असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

18 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 18 जुलाई, 2019 ई0
त्रयोदश सत्र — 27 आषाढ़, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या : ''क'' 8 (श्री भाई वीरेन्द्र)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य,भाई वीरेन्द्र जी का प्रश्न पूछा हुआ है, माननीय मंत्री खाद्य, उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

माननीय सदस्यगण, मुझे एक सूचना देनी है सदन को कि पिछले हफ्ते दिनांक 11 जुलाई को भाई वीरेन्द्र जी का ही प्रश्न था इसी विभाग से संबंधित, जिसमें मैंने नियमन दिया था कि मैं स्वयं देख लूंगा और अगर आवश्यक हुआ तो सदन की कमिटी बनाकर इस मामले को देखा जायेगा, तो मुझे सूचित करना है कि उस प्रश्न के संबंध में मैंने निर्णय लिया है कि सदन की एक समिति बनाकर उसकी जांच करायी जायगी और मैं सही समय पर एक समिति बना दूंगा ।

इस प्रश्न का उत्तर सर्कुलेटेड है, भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि 15.8.2011 से 25.11.2018 तक 31 लाख 11 हजार 129 आवेदन लोक सेवाओं के अधिकार नियम के तहत राज्य के 38 जिलों के प्रखंडों में खोले गए आर0टी0पी0एस0 काउन्टर में राशनकार्ड हेतु जो आवेदन लाभार्थियों द्वारा जमा किये गये, जिसका निष्पादन 30 कार्य दिवस के अंदर किया जाना था, जिसमें 30 कार्य दिवस बीत जाने के बाद भी 10 लाख, 23 हजार, 536 आवेदन निष्पादित नहीं किये गये । हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि किस कारण से वह निष्पादित नहीं हो सके, शेष जो हैं वह किस कारण से निष्पादित नहीं किये गये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । राज्य में 1 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत पूर्व से प्राप्त एवं अन्त्योदय योजना के पात्र लाभुकों को उनकी प्रमाणिकता के अनुसार खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है । इस क्रम में छूटे हुए एवं नये पात्र

लाभुकों का नाम भी जोड़ने हेतु बिहार लोक सेवा अधिकार नियम 2011 के अन्तर्गत तीन नई सेवाएँ यथा नये राशनकार्ड का निर्गमन, राशनकार्ड में संशोधन, नाम में संशोधन, नाम जोड़ना एवं नाम हटाना, राशनकार्ड का प्रत्यार्पण, रद्धीकरण को शामिल किया गया । उक्त के माध्यम से प्रखंड कार्यालय में स्थित आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर आवेदन लिया जा रहा है, जिसपर 15 कार्य दिवस में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष भेजा जाता है, जहाँ 15 कार्य दिवस में नियमानुसार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जांचोपरान्त कार्रवाई करते हुए नये राशनकार्ड का निर्गमन कार्य किया जाता है । वर्तमान में दिनांक 5.7.2019 को आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत राशनकार्ड हेतु प्राप्त आवेदन/प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि बिहार राज्य के 38 जिलों में राशनकार्ड हेतु कुल 35 लाख, 97 हजार 788 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 26 लाख 74 हजार 316 अभ्यावेदन को निष्पादित कर दिया गया है एवं 12 लाख 5 हजार 923 आवेदन स्वीकृत किया गया है तथा 14 लाख 38 हजार 393 आवेदन अपात्र पाये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है, अब तक कुल 7 लाख 36 हजार 464 आवेदन स्वीकृत करते हुए राशनकार्ड निर्गत कर दिया गया है एवं शेष पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । हाल ही में संपन्न लोक सभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के कारण विगत तीन माह से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में राशनकार्ड निर्गत करने पर रोक था । उक्त के क्रम में दिनांक 19.6.2019 एवं 5.7.2019 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ विडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निदेशित किया गया है कि जिलान्तर्गत आर0टी0पी0एस0 से प्राप्त लंबित अभ्यावेदन का निष्पादन त्वरित गति से की जाय, इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक-2907 दिनांक 2.7.2019 के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को राशनकार्ड निर्गत करने हेतु कंडिकावार निदेश निर्गत किये गये है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभुकों के पात्रता का भौतिक सत्यापन करते हुए अपात्र लाभुकों का राशनकार्ड रद्ध किया जाय एवं पात्र परिवारों को राशनकार्ड निर्गत करते हुए डाटा बेस में अद्यतन किया जाय, साथ ही पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के पहचान हेतु ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, इतना लंबा-चौड़ा उत्तर इन्होंने दिया है और ये ऑकड़ों .....

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जब भी उत्तर देते हैं, तो सविस्तार देते हैं जिससे माननीय सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं हो ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इतना विस्तार से सवाल का जवाब देने का काम किया लेकिन घिसा-पीटा सब

ऑकड़ा है, वे ऑकड़ों के खेल में सदन को फॅसाना चाहते हैं तो क्या सरकार जो पदाधिकारी आज तक उनको राशनकार्ड निर्गत नहीं किया है, क्या उन पदाधिकारियों पर सरकार जांच कर कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सदन फॅसे हुए लोगों को उबारने के लिए होता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, तो हमलोग सदन में किसी को फॅसाने की अपने उत्तर के माध्यम से कोशिश नहीं करते है ।

अध्यक्षः भाई वीरेन्द्र जी, आपने जो कहा न कि ऑकड़ों में फॅसाना चाहते हैं, वे उसका जवाब दे रहे हैं ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः महोदय, उनके प्रश्न का जवाब हम अब दे रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, हमलोगों ने ही प्रयास किया था कि जो भी अपात्र लाभुक हैं, उनको चिन्हित करके हटाया जाय और जो पात्र हैं और किसी कारण से उनका नाम छूट गया है या परिवार का विस्तारीकरण हुआ है तो ..... (व्यवधान)

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो इनकी चिंता है, वही हमलोगों की भी चिंता है । हमलोग उसमें जो छूटे हुए लोग हैं.....(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य ने स्पष्ट रुप से कहा है और उनकी चिंता की आप भी ताईद कर रहे हैं, आप की भी चिंता है, सरकार चाहती है कि ससमय जो पात्र है या हकदार है, उनको राशनकार्ड मिल जाय । माननीय सदस्य की चिंता है कि ससमय देने में जो पदाधिकारी कोताही करते हैं, सरकार के चाहने के बावजूद पात्र व्यक्ति उपलब्ध रहने के बावजूद, अगर उनको राशनकार्ड नहीं मिल पाता है तो जो अधिकारी इस विलंब के लिए जिम्मेदार होते हैं, स्वाभाविक रुप से उसकी पड़ताल होनी चाहिए और अगर किसी अधिकारी के कारण सरकार की योजना फेल कर जायगी, तो वह तो कार्रवाई का हकदार होगा ही, इसको दिखवाइये ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः निश्चित रुप से अध्यक्ष जी हमलोग इसको ससमय पूरा कर लेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी डिटेल में बताये है, तो उनसे हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि सरकार के जी0एस0आर0-7/विधि-141364 दिनांक 25.7.17 के द्वारा एक समिति बनायी गयी राज्यस्तरीय/ जिलास्तरीय/ अनुमंडलस्तरीय और प्रखंडस्तरीय, अनुमंडल में माननीय विधायक उसके अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड में सी0ओ0 होते हैं, तो यह बैठक आज तक 2017 से, अभी तक न तो कमिटी ही बनायी गयी और न ही इसकी बैठक की गयी..... (व्यवधान)

अध्यक्षः यह कमिटी किस चीज के लिए थी ?

श्री अवधेश कुमार सिंहः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

अध्यक्षः यह अनुश्रवण समिति होगी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: तो यह अध्यक्ष महोदय, अगर यह समिति काम करती, तो आज गरीब गुरबा का जो राशनकार्ड वितरण नहीं हुआ है और आज माननीय मंत्री जी .....

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप उस सर्कुलर को देख लीजियेगा, अगर यह लागू है तो होना चाहिए ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/18-7-19

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, सदन भी चिन्तित है और माननीय मंत्री भी चिन्तित हैं परन्तु लगता है कि नीचे के अधिकारी चिन्तित नहीं हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 12 लाख 59 हजार इन्होंने कहा कि अभी तक लंबित है, एक एक साल से दो दो साल से लंबित है तो क्या कोई समय सीमा तय करेंगे । ठीक है 15 दिन में, एक एक साल से, दो दो साल से, मैं भी जानता हूँ और माननीय मंत्री जी का भी जिला है इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कोई समय सीमा इसमें जो है क्या माननीय मंत्री जी तय करेंगे, किस अधिकारी के लैप्सेस के कारण जो है साल, दो-दो साल से..

अध्यक्ष: वह तो बात हो ही चुकी है ।

श्री संजय सरावगी: समय सीमा अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : संजय जी, इसमें समय सीमा मंत्री जी के द्वारा तय करने का प्रश्न नहीं है । आप मूल प्रश्न में देखिये, सरकार आर0टी0पी0एस0 में समय सीमा तो तय किये हुए है, केवल उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना है ।

अब तारांकित प्रश्न श्री ललित कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'क'-242 (श्री ललित कुमार यादव)

अध्यक्ष: पूछा हुआ है, उत्तर भी वितरित है, पूरक पूछिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: (1) यह अस्वीकारात्मक है । भारत सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा जांचोपरांत मात्र 85,95,494 रू0 मात्र के अमानक गन्नी बैग पाये गये । खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में गन्नी बैग की आवश्यकता एवं आपूर्त्ति को ध्यान में रखते हुए निविदा के माध्यम से सभी विहित प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा प्रमाणित जूट मिल मे0 विन्सम इंटरनेशनल लि0 से गन्नी बैग आपूर्त्ति प्राप्त करने हेतु एकरारनामा किया गया था । मे0 विन्सम इंटरनेशनल लि0 द्वारा आपूर्त्ति की गयी गन्नी बैग की जांच माह सितम्बर, 2015 में जूट कमिशनर, कोलकत्ता के कर्मी द्वारा की गयी थी जिसमें क्रमश: कैमूर एवं अरवल जिले में कतिपय गन्नी बैग्स में अमानक जूट बैग प्राप्त होने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया । उपर्युक्त दोनों जिलों में मिल द्वारा मानक के अनुरूप गन्नी

बैग्स आपूर्त्ति नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा अपने पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2016 के माध्यम से जांच दल का गठन किया गया जिसमें भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली, जूट कमिशनर कार्यालय डी0जी0एस0 एंड डी0 कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, पटना के कार्यालय तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम के कार्यालय के पदाधिकारी सम्मिलित थे । उपर्युक्त जांच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार के द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-4-18 के द्वारा निदेश दिया गया कि कैमूर तथा अरवल जिलों मे0 विन्सम इंटरनेशनल द्वारा अमानक जूट बैग की आपूर्त्ति की गयी है इसलिए उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय तथा इन जिलों में अमानक जूट बैग आपूर्त्ति प्राप्त करने के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाय । भारत सरकार द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध मे0 विन्सम इंटरनेशनल जूट मिल से अमानक जूट बैग की मूल्य 85,95,494 रू0 की वसूली की गयी है तथा उक्त मिल को निगम के पत्र संख्या 9757, दिनांक 19-9-18 द्वारा 19-4-18 के प्रभाव से तीन वर्षों के लिए काली सूची में नाम दर्ज किये जाने के अतिरिक्त अरवल एवं कैमूर जिलों में आपूरित अमानक बोरे के भुगतेय राशि की कटौती एवं उक्त क्षति के परिप्रेक्ष्य में दावा का निर्धारण कर वसूली करने का आदेश निर्गत किया गया है । भारत सरकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अमानक गन्नी बैग प्राप्त करने हेतु दोषी पदाधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अरवल एवं श्री बालेश्वर मिश्र, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गयी है । उपर्युक्त कार्रवाई एवं अनुपालन प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या-62/बिहार/2018-19 दिनांक 30-3-19 तथा स्वीकृत्यादेश संख्या- 8/बिहार/2019-20 दिनांक 23-4-19 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 के गन्नी बैग के अनुदान मद में रोकी गयी 184.27 करोड़ रू0 विमुक्त की जा चुकी है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में धान अधिप्राप्ति हेतु अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप पूर्व से भंडारण सुरक्षित बोरे को घटाने के पश्चात् आवश्यकता के अनुरूप बोरे की आपूर्त्ति के लिए निविदा दिनांक 28-11-14 को आमंत्रित की गयी थी एवं आवश्यकता के अनुसार मात्र 28700 गन्नी बैल्स समय समय पर चक्रीय व्यवस्था अन्तर्गत आपूर्त्ति किये जाने हेतु न्यूनतम निविदा दाता को सफल निविदा दाता मे0 विन्सम इंटरनेशनल जूट मिल को चरणबद्ध रूप से आपूर्त्ति आदेश दिया गया था । यदि निगम द्वारा 60 हजार गन्नी बैल्स की

आपूर्त्ति हेतु क्रय करना निर्धारित रहता तो उक्त निर्धारित संख्या से कम बोरा क्रय नहीं किया जाता ।

(3) उपर्युक्त कंडिका के तथ्यों से स्पष्ट है कि मामले की जांच भारत सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय टीम द्वारा की गयी एवं उक्त के प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई एवं मे0 विन्सम इंटरनेशनल लि0 को काली सूची में दर्ज कर राशि वसूली का आदेश दिया गया है । इसके साथ ही 2015-16 के उपरांत जूट बैग की खरीद पूर्व की भांति जूट आयुक्त, कोलकाता के माध्यम से कराया जा रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को देखेंगे और माननीय मंत्री जी का उत्तर भी देखेंगे । हमने महोदय कहा है कि 15.75 करोड़ का बोरा निम्न गुणवत्ता मतलब कि अमानक कहें लेकिन सरकार केवल 85.95 लाख को ही माना है, तो इनके प्रश्न को देखिये, हमने 15.75 करोड़ कहा है और इन्होंने 85.95 लाख माना है, मतलब कि प्रश्न महोदय कहीं न कहीं सही है । 15 करोड़ नहीं ये 85 लाख ही माने हैं महोदय तो महोदय, मेरा कहना है कि भारत सरकार के टीम कितने जिले, ये केवल दो जिला महोदय बतला रहे हैं अरवल और कैमूर, मेरा कहना है कि पूरे बिहार में, 38 जिलों में क्या राज्य सरकार ने जांच करायी है भुगतान से पहले या भारत सरकार ने जो जांच करायी तो सिर्फ वह दो जिला में किया या महोदय 38 जिलों में किया गया ? मेरा दूसरा प्रश्न है महोदय, जो हमने कहा कि बिहार में 10 साल में कितनी आपूर्त्ति की गयी है, महोदय उसका भी जवाब नहीं है और महोदय, भुगतान से पहले जांच की प्रक्रिया, हर निविदा में यह शर्त्त में रहता है तो इन्होंने भुगतान से पहले जांच करायी या नहीं महोदय या ऐसे ही भुगतान हो गया बिना जांच के, इसमें जांच प्रतिवेदन का बिहार सरकार का कोई उल्लेख नहीं है महोदय कि भुगतान से पहले जांच हुआ है यही, यही मेरा सवाल है महोदय ।

अध्यक्ष: इस उत्तर से ललित जी लगता है कि जांच कई जिलों में हुई थी लेकिन दो जिले कैमूर और अरवल जिले में कतिपय गन्नी बैग में अमानक जूट बैग प्राप्त होने की बात प्रकाश में आयी थी और उत्तर के खंड -4 में स्पष्ट है कि यह जो जांच में आया उसके आधार पर कैमूर तथा अरवल जिलों में मे0 विन्सम इंटरनेशनल द्वारा जो अमानक जूट बैग की आपूर्त्ति की गयी, इसके लिए इनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की गयी और इन जिलों में इनके विरूद्ध 85 करोड़ 95 लाख रू0 की वसूली की गयी है । आपका प्रश्न सही वे मान रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः हम 15 करोड़ का सवाल उठा रहे हैं महोदय, हमने कहा कि 15.75 करोड़, इन्होंने 85.95 लाख, ये लाख की बात कर रहे हैं महोदय, 15 करोड़ की बात नहीं स्वीकार रहे हैं ।

अध्यक्षः 85 लाख 90 हजार वसूली की गयी है ।

श्री ललित कुमार यादवः ये दो जिला का अरवल और कैमूर की ये बात कर रहे हैं, हम पूरे बिहार का प्रश्न किये हैं महोदय तो राज्य सरकार ने..

अध्यक्षः क्या मंत्री जी..

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें दो जिला का जो खराब बोरा..

अध्यक्षः मतलब बाकी जिला में सही आया था ?

श्री मदन सहनी, मंत्रीः बाकी जिलों में भी जांच हुई थी, वहां कोई अमानक बोरा नहीं पाया गया।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, तो ये जांच किस पदाधिकारी ने किया, जांच प्रतिवेदन का पत्रांक दिनांक क्या है, यही बतला दिया जाय ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः ये एफ0सी0आई0 और एस0एफ0सी0 दोनों के संयुक्त रूप से टीम बनाकर जांच हुआ था ।

श्री ललित कुमार यादवः पत्रांक दिनांक उसका बतला दिया जाये ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः पत्रांक दिनांक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री ललित कुमार यादवः ये पत्रांक, दिनांक और कौन पदाधिकारी जांच किये, ये तो बतलाईए, ये प्रश्न को देखिये महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है महोदय...

अध्यक्षः ये तो उत्तर में दिया हुआ है और उसमें भारत सरकार के एफ0सी0आई0 और बिहार सरकार की संयुक्त जांच हुई थी, मंत्री बता रहे थे...

श्री ललित कुमार यादवः उसका पत्रांक दिनांक तो बतलाया जाय महोदय और किस पदाधिकारी ने...

अध्यक्षः इसमें 19-04-18 दिया हुआ है ।

श्री ललित कुमार यादवः ये दो जिला का है महोदय..

अध्यक्षः पत्रांक दिनांक बतला दीजियेगा मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आप ही ने कहा था कि उत्तर को संक्षेप कर दीजिये । हमलोगों ने तो सारा पत्रांक दिनांक और भारत सरकार के द्वारा जो टीम का गठन किया गया था, टीम में कौन कौन लोग थे, किस किस स्तर के थे सब दिये थे..

अध्यक्षः पिछली बार मंत्री जी ने यही सब इतना पत्रांक, दिनांक, नाम पढ़ा था तब हुआ था कि .

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, प्रश्न की गंभीरता को देखा जाय । ये गन्नी बैग निम्न घटिया किस्म की आपूर्त्ति पदाधिकारी और ठीकेदार के मिलीभगत से हुई ,महोदय इसमें

हमने कहा कि कोई भी निविदा में शर्त्त होता है, भुगतान से पूर्व सरकार जांच करायी या नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है महोदय, हमने कहा कि पूरे बिहार में 10 साल में कितनी आपूर्त्ति हुई, उसका भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं । महोदय, ये प्रश्न बहुत गंभीर है, तीन दिन आपने इस प्रश्न को यहां स्थगित किया है महोदय..

श्री मदन सहनी, मंत्री: महोदय, जो जवाब हमने पहले दिया था, हमको लगता है कि उसी को बंटवा दिया जाय आपका आदेश होगा तो, चूंकि इससे ये संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है,आप उसी को बंटवा दीजिये ।

अब प्रश्न संख्या- 666, श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता ।

(व्यवधान)

अब आगे चलने दीजिये ललित जी, बहुत हो गया इस पर ।

(व्यवधान)

सरकार ने जांच करायी, बाकी जिलों में सही पाये गये । दो जिला अरवल और कैमूर में गड़बड़ पाया गया, उसके विरूद्ध कार्रवाई की गयी, 85 लाख रू0 का रिकवरी किया गया, यही तो ये कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

नहीं, अब आगे चलने दीजिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-666 श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता</u>

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि छपरा नगर निगम में कुल 5870 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कराने हेतु लाभुकों को राशि उपलब्ध कराया जाना था । सभी 5870 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गयी है । द्वितीय किस्त की राशि जिओ टैगिंग के उपरांत 5722 लाभुकों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है, शेष 148 लाभुकों को शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरांत द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: सुन लिया और सरकार ने जवाब भी बतला दिया । अब क्या चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि दूसरा प्रश्न नहीं हो तो कोई बात नहीं है, दूसरा प्रश्न भी होने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री भोला यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और मंत्री जी को अपने चैम्बर में बुलाकर...

अध्यक्ष: ठीक है, हम बुला लेंगे ,मान लिया ।

श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ता: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि शौचालय निर्माण सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में आता है एवं यह गरीबों से जुड़ा हुआ

विषय है, बाकी जो पेमेंट करना है उसको जल्द से जल्द करवा दिया जाय, यही मैं चाहूंगा ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः महोदय, 148 का जो बाकी है, उस पर कार्रवाई चल रही है, रिपोर्ट आ जाने पर उसका भी भुगतान करा दिया जायेगा ।

श्री(डॉ0)सी0एन0गुप्ताःधन्यवाद ।

श्री मुनेश्वर चौधरीः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रथम किस्त का भुगतान कब किया गया और अभी तक दूसरे किस्त के भुगतान में इतना बिलम्ब का कारण क्या है ?

अध्यक्षः मंत्री जी ने तो कहा है कि उसका भुगतान करा दिया जायेगा तो अब क्या है ?

श्री मुनेश्वर चौधरीः प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है । मैं हुजूर, पूछ रहा हूँ कि प्रथम किस्त का भुगतान कब किया गया है, ये मैं जानना चाहता हूँ ।

टर्न-3/मधुप/18.07.2019

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, हमने तो द्वितीय किश्त का भी भुगतान 5700 का कर दिया है, 148 का जो बाकी है, उसको भी हम करने जा रहे हैं, उसकी इनक्वायरी हो जायेगी, उसको भी पेमेंट करवा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : श्री विद्या सागर केसरी । श्री विजय कुमार खेमका पूछेंगे । नगर विकास एवं आवास विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1584 (श्री विद्या सागर केसरी)</u>

(मा0स0श्री विजय कुमार खेमका द्वारा पूछा गया)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत जोगबनी के सभी वार्ड आच्छादित हैं । नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा प्रश्नगत नाला एवं सड़क का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है । आवश्यक स्वीकृति के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर नाला निर्माण की कार्रवाई नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा पूरा करा दिया जायेगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, यह जोगबनी नगर पंचायत का मुख्य मार्ग है, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं और बताना भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के बंद होने के बाद शहरों की जो बड़ी सड़क हैं, उसकी बड़ी ही जर्जर स्थिति है । वह मुख्यमंत्री गली नाली योजना में जो नगर

निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत जो बनाता है, वह छोटी सड़क को बनाता है। यह बड़ी सड़क है, इसमें विद्यालय भी है, इसको लेकर काफी परेशानी है ।

इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की योजना से, विभाग की योजना से इसको बनाया जा सकता है क्या ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सात निश्चय में बड़ी से बड़ी सड़क बनायी जा रही है, अगर वहाँ से सात निश्चय में यह नहीं बनाया जायेगा तो इसका प्राक्कलन हमलोगों के पास भेजा जायेगा, हमलोग इसपर विचार करेंगे ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से फिर हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, यह जो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना है, जिसकी लगातार विधायक सब माँग भी कर रहे हैं कि इसे चालू करने का, बड़ी-बड़ी सड़कें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, आर0ई0ओ0 से बनी हुई है, हर शहरी क्षेत्र में दो-दो दर्जन ऐसी सड़कें हैं जो लम्बित हैं । इसलिये महोदय, आपके माध्यम से आग्रह भी करेंगे, एक तो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना लागू हो और दूसरा यह जो सड़क है.....

अध्यक्ष : बाकी डिटेल माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1585 (श्री राजेन्द्र कुमार)</u>

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अन्तर्गत हरसिद्धि ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्ष 2005-06 में स्वीकृति दी गई थी, इसमें 50 हजार गैलन क्षमता के जलमीनार का प्रावधान है । तुरकौलिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति वर्ष 2007-08 में दी गई थी, इसमें 1 लाख गैलन क्षमता के जलमीनार का प्रावधान है । दोनों योजनाओं में जलमीनार का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार कराया गया है ।

योजना पुरानी होने के कारण इसमें थोड़ी मरम्मति की आवश्यकता हो गई थी । हरसिद्धि जलमीनार की मरम्मति कराकर इसके माध्यम से हर घर नल जल देने के लिए 1,66,33,000 रू0 की स्वीकृति दी गई और इस योजना से वार्ड नं0 1 से 7 तक 1054 घरों को गृह जल संयोजन देकर जलापूर्ति आरंभ कर दी गई है । तुरकौलिया योजना में भी जो निर्मित जलमीनार था, मरम्मति कराते हुये हर घर नल जल योजना के लिए 1,53,56,700 रू0 की स्वीकृति दी गई, जिससे वार्ड नं0 1 से 6 एवं 8 शामिल है। इस योजना का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है । योजना के अन्तर्गत प्रावधानित कुल गृह जल संयोजन 1700 के विरूद्ध अबतक 675 अदद गृह जल संयोजन का कार्य पूरा कर लिया गया है । इस योजना के शेष

कार्यों को कराकर एक महीना के अन्तर्गत बाकी घरों को भी हर घर नल से जल दे दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि प्राक्कलन के मुताबिक, जो मानक तय की गई है उसके मुताबिक संवेदक के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा रहा है, घटिया सामग्री का..

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि मानक के मुताबिक काम किया गया है । मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : वही बात के बारे में बता रहा हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि अगर मानक के अनुरूप कार्य हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से आप जॉच करवा लीजिये, उसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और जितना डेप्थ पाईपलाईन बिछाना चाहिये, वह मात्र उपर डेढ़ फीट - एक फीट पर बिछा दिया है, कहीं भी कोई रास्ते पर काम करने आ रहे हैं तो कटकर वह नल जल की जो योजना है, बाधित हो रही है ।

महोदय, मैंने तो जॉच की बात कही है कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, डेप्थ कम दिया गया है, मैं जॉच की बात कर रहा हूँ, आप स्वीकृति की बात कर रहे हैं ! इसलिये महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप किसी वरीय पदाधिकारी या फिर सदन की कमिटी के माध्यम से जॉच कराने का विचार रखते हैं ?

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल था कि जो जल-मीनार हैं, खंड-2 देखेंगे, क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराये जाने के कारण जल-मीनार जगह-जगह टूट रहा है, तो मैंने यह बताया कि यह 2005-06 में स्वीकृत हुआ था, पुरानी हो गई थी तो टूट-फूट की मरम्मति कराकर हर घर नल से जल इससे दिया जा रहा है । अब इन्होंने नया सवाल किया है तो ये लिखकर देंगे तो हम उसकी भी जॉच करा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय....

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि आप लिखकर दीजिये, जॉच करा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, एक आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी का कहना है कि पुराना था और टूट-फूट होने की वजह से मरम्मति कार्य हो रहा है । माननीय मंत्री जी से महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि इस सदन के माध्यम से जो बजट पास होते हैं, जो पैसे का प्राक्कलन बनता है, वह किसी के घर का नहीं है, वह मरम्मति का सवाल है और मरम्मति में अगर पैसा गया 1 करोड़ 66 लाख रू0 । इसलिये यह जॉच का विषय है ।

अध्यक्ष : प्रश्न सं0 1586-श्री ललित कुमार यादव । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

(व्यवधान)

उन्होंने कह दिया है कि जॉच करा देंगे, आप सुनते तो हैं नहीं दूसरे की बात !

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, किससे जॉच करायेंगे ? यह स्पष्ट नहीं कहा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हर घर नल जल योजना जो है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक आदमी बोलिये न !

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हर घर नल जल योजना जो है, पूरे प्रदेश में घटिया किस्म का पाईप दिया जा रहा है और आप भी कहीं से विधान सभा चुनाव जीते हैं, हुजूर, वहॉ भी जॉच करा लीजिये.....

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, अभी जो प्रश्न है, यह 2005-06 में एक योजना स्वीकृत हुई थी, उसका 14 साल हो चुका है..... सुनिये न.... अभी पहले सुन लीजिये । यह प्रश्न जलमीनार से संबंधित है, पाईप से संबंधित नहीं है । वही तो हम कह रहे हैं । एक योजना है 2005-06 की, 14 साल हो गया और दूसरी योजना है 2007-08 की, 12-13 साल हो गये, मंत्री जी फिर भी कह रहे हैं कि माननीय सदस्य जिस चीज की जैसे कहेंगे जॉच कराने की, करा देंगे । अब क्या चाहिये ?

(व्यवधान)

किससे जॉच चाहते हैं ? आप लिखकर दे दीजिये, जॉच करा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : निगरानी विभाग से....

अध्यक्ष : निगरानी विभाग से जॉच करायें ?

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : क्या-क्या त्रुटि इनको लगता है, लिखकर दें जिससे कहेंगे हम जॉच करा देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब क्या चाहिये ? आप लिखकर दे दीजिये न, कह तो रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1586 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री राणा रणधीर, मंत्री : महोदय, समय चाहिये ।

अध्यक्ष : समय चाहिये ।

श्री सुबाष सिंह । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, समय चाहिये तो कब इसका जवाब होगा ?

अध्यक्ष : लिखकर दे दीजिये न । ललित जी, आप पुराने सदस्य हैं । जब सरकार आपकी इच्छा का इतना आदर कर रही है तब अनावश्यक क्यों इस प्रश्न को खींच रहे हैं ? सुबाष सिंह का उत्तर दिया जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं अपने प्रश्न के बारे में कह रहा हूँ कि कब मंत्री जी उत्तर देंगे?

अध्यक्ष : अगली तिथि को देंगे । यह तो सामान्य-सी चीज होती है । आप तो इतने पुराने सदस्य हैं, जिस दिन अगली तिथि होती है, उस दिन आता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1587 (श्री सुबाष सिंह)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इंडिया मार्क-2 एवं मार्क-3 पम्प के साथ निर्मित गोपालगंज जिले में कुल 371 चापाकल हैं । मृत चापाकलों के स्थल से हटाये जाने का कार्य.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, समान नजर रखा जाय ।

अध्यक्ष : मेरी नजर बराबर रहती है । ललित जी, आसन हमेशा सबको समान नजर से देखता है लेकिन यह अलग बात है कि आसन कभी किसी के आचरण से या किसी चीज से प्रभावित होकर कोई फैसला नहीं लेता है । यह भी उतना ही सत्य है ।

क्रमशः...

टर्न-4/आजाद/18.07.2019

..... क्रमशः .....

अध्यक्ष : आसन हमेशा सामान्य नजर रखता है, सभी माननीय सदस्यों को सामान्य नजर से देखता है लेकिन कभी किसी दूसरी चीज से प्रभावित होकर नजर भी नहीं बदलता है ।

माननीय मंत्री । माननीय सदस्य श्री सुबाष सिंह के प्रश्न का जवाब दिया जाय।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इंडिया मार्क-2 एवं 3 पम्प के साथ निर्मित गोपालगंज जिले में कुल 371 चापाकल हैं । मृत चापाकलों के स्थल से हटाये जाने का कार्य संवेदक द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कुल 187 अदद मृत चापाकल स्थल से हटाया जा चुका है । शेष मृत इंडिया मार्क-2 चापाकल को स्थल से हटाने का कार्य कराया जा रहा है । 100 फीट के दायरे में चापाकल उपलब्ध नहीं रहने पर हटाये जाने की जगह के 100 फीट के दायरे में चापाकल उपलब्ध नहीं रहने पर आवश्यकतानुसार पेयजल समस्या वाले स्थलों पर नये चापाकल का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री सुबाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उखाड़े गये चापाकल से प्रभावित कितनी आबादी है और चापाकल स्थल पर लोगों को पेयजल हेतु कौन सा विकल्प उपलब्ध कराया गया है ?

अध्यक्ष : सब तो बता दिये हैं ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : महोदय, हम तो सब बता दिये हैं । चापाकल निरन्तर रूप से जो मृत थे, जो मरम्मती योग्य नहीं थे, सरकार का निर्णय हुआ कि एक ही जगह तीन-तीन, चार-चार चापाकल हो गये हैं, इसीलिए इसको हटा लिया जाय । लेकिन एक दूसरी नीति निर्धारित की गई है कि उसके 100 फीट के अन्दर अगर कोई दूसरा चापाकल नहीं होगा, वहां नया चापाकल हम करायेंगे ।

श्री सुबाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि यह सारा रिपोर्टिंग गलत दिया गया है । माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 100फीट की दूरी पर अगर चापाकल नहीं है तो दूसरा नया चापाकल दिया गया है लेकिन वहां 100फीट क्या 400फीट की दूरी पर भी चापाकल नहीं है । फिर भी चापाकल को इस गर्मी में उसको उखाड़ लिया गया तो वैसे भी अगर वह चापाकल पड़ा रहता तो उसमें वाल वाशर चेंज करके या उसको लोग रबर से बांध करके अपना काम चलाते, क्योंकि मंत्री जी उसके विकल्प के रूप में .....

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री सुबाष सिंह : हम वहां पर नया चापाकल चाहते हैं और विभाग के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वहां जो चापाकल उखाड़ा गया है, उसके बदले में नये चापाकल लगाये जायेंगे । मैं चाहता हूँ कि जहां-जहां से चापाकल उखाड़े गये हैं, वहां पर नया चापाकल लगाया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लीजियेगा ।
क्या है नेमतुल्लाह जी ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिला सहित पूरे बिहार में कहीं उखाड़-गाड़ नहीं हो रहा है, जस का तस पड़ा हुआ है और वही बगल में पानी नहीं गिर रहा है महोदय और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट चापाकल लगा हुआ है, उसमें पानी गिर रहा है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में बताये माननीय मंत्री जी । इनके जो निष्क्रिय निचले पदाधिकारी हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष : क्या कुछ है विशेष ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : महोदय, ऐसी कोई सूचना नहीं है । जहां आप सूचना देंगे, हम उसकी जॉच करा लेंगे लेकिन इसके अतिरिक्त भी हर घर नल जल से काम चल रहा है । विभाग मार्च, 2020 तक हर घर नल जल भी दे रही है और चापाकल

की भी समानान्तर व्यवस्था चलाये रखेगी और जहां भी हमें आवश्यकता महसूस होगी, हम चापाकल देंगे।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, महोदय ....

अध्यक्ष : क्या है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, पूरे प्रदेश का मामला है, लोग त्राहिमाम है पानी के लिए और जहां कहीं भी चापाकल सरकारी गड़ा हुआ है, उसका लेयर भाग गया है और ये केवल माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उखाड़-गाड़ का काम चल रहा है, मरम्मती का काम चल रहा है लेकिन कहीं प्रदेश में यह काम नहीं चल रहा है । यह झूठा ब्यान है और पदाधिकारियों के द्वारा जो लिखित है, उसको ये पढ़ने का काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1588(श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2060 दिनांक 15.07.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वासभूमि रहित व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है । सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि क्रय नीति के तहत सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों को वासभूमि आवंटित की जायेगी ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चहाती हूँ कि इसके लिए समय सीमा तय करें क्योंकि कभी भी अभी तक नहीं हुआ है?

श्री राणा रणधीर,मंत्री : कार्रवाई चल रही है, यथाशीघ्र इसको कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1589(श्रीमती रंजु गीता)

श्रीमती रंजू गीता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर खोज रही थी तो मिला है कि पंचायती राज में हस्तांतरित हुआ है ।

अध्यक्ष : पंचायती राज को देना है । जवाब है मंत्री जी ।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : महोदय, नहीं है, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : समय चाहिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1590(श्री कौशल यादव)

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

नवादा जिला में कोई हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय नहीं है । वर्तमान में राज्य में एकमात्र महाविद्यालय है, जो नवादा जिला से सटे नालन्दा जिले के नूरसराय में अवस्थित है । वर्तमान में नवादा जिले में हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय के स्थापना की कोई योजना नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1591(श्री सुबेदार दास)

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : समय चाहिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–1592(श्रीमती अनिता देवी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : हस्तांतरित है ग्रामीण कार्य विभाग को ।

अध्यक्ष : ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित है ।

तारांकित प्रश्न सं0–1593(श्री चंदन कुमार)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पढ़े हैं ।

श्री चंदन कुमार : लेट आया है सर ।

अध्यक्ष : लेट नहीं आया है, अब हम डेट, टाईम भी रखते हैं । यह 17 तारीख को 3.00 बजे अपराह्न में लोड किया गया है । फिर भी माननीय मंत्री जी पढ़िए ।

श्री राणा रणधीर सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ 2018 मौसम से पूर्व राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित थी ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : सर्वर डाऊन रहे तो कोई बात नहीं है लेकिन माननीय सदस्य को डाऊन नहीं रहना चाहिए । माननीय मंत्री जी ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ 2018 मौसम से पूर्व राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित थी । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खगड़िया जिले में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 42,547 लाभान्वित किसानों को 67.59 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 (खरीफ) में 7,194 लाभान्वित किसानों को 25.06 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है । मात्र रब्बी 2017–18 में क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रियाधीन है । खरीफ 2018 मौसम से राज्य में बिहार राज्य फसल सहायता योजना कार्यान्वित की गई है । इस योजना के अन्तर्गत खगड़िया जिले में कुल 125 पंचायतों के 12,381 किसानों द्वारा निबंधन कराया गया था । योजना के प्रावधानानुसार खगड़िया जिला के सभी 7 प्रखंडों में फसल कटनी प्रयोग प्रतिवेदन के आधार पर 94 पंचायतों के 5211 योग्य किसानों को 5.55 करोड़ रूपये सहायता राशि अनुमानित है, इसमें से अभी तक 1,436 योग्य किसानों के खाते में 1.60 करोड़ रूपये सहायता राशि हस्तांतरित किया जा चुका है। शेष

किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है । रब्बी 2018-19 मौसम हेतु बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत निबंधित किसानों का सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्तमान खरीफ 2019 मौसम के लिए भी राज्य में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू है ।

श्री चंदन कुमार : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1594(श्री महबूब आलम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1595(श्रीमती सावित्री देवी)

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड में समेकित मुर्गी विकास योजना पूर्व से संचालित है । उक्त प्रखंड में अंडा पॉल्ट्रीफोर्म को बढ़ावा देने हेतु 10000 मुर्गी एवं 5000 मुर्गी लेयर फोर्म के तहत कुल दो लाभुकों का चयन किया गया है । यह योजना राज्य में लागू है कि कोई भी आवेदक आवेदन दे सकते हैं । चकाई एवं सोनो प्रखंड सहित सम्पूर्ण जिला में लॉ-इनपुट योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार को 10 रू0 प्रति चूजा के दर से एक परिवार को 25 चूजा एवं ए0पी0एल0 परिवार को 20रू0 की दर से एक परिवार को अधिकतम 25 चूजा दिया जाता है । यह योजना बैकवर्ड पॉल्ट्रीफोर्मिंग के तहत संचालित है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1596(श्री अमरनाथ गामी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-5/शंभु/18.07.19

तारांकित प्रश्न सं0-1597(श्रीमती गुलजार देवी)

श्री सुरेश शर्मा,मंत्री : प्रश्न स्वीकारात्मक ।

नगर पंचायत घोघरडीहा के प्रतिवेदन अनुसार विषयांकित सड़क पर खासकर अस्थाई फुटकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा जाम लगाया जाता है । सब्जी विक्रेताओं के लिये अलग से बाजार चिन्हित कर लिया गया है जिसे विकसित किया जा रहा है । उक्त सड़क पर अवस्थित सभी सब्जी विक्रेताओं को हटाकर नवनिर्मित बाजार में स्थानांतरित कर दिया जायेगा । शेष फुटकर एवं अन्य विक्रेताओं से उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु जिला प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया जा रहा है ।

श्रीमती गुलजार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो जवाब दिया है नगर पंचायत घोघरडीहा में अतिक्रमण हटिया को लेकर होता है, लेकिन इन्होंने जवाब दिया है कि जगह चिन्हित कर दिये हैं तो इसमें जगह का नाम कहीं नहीं है कि जगह कहां चिन्हित किये हैं । उसके बाद दिये हैं कि डी0एम0 को आग्रह किये हैं यह तो बहुत लंबा सफर है । वहां इतनी जाम होती है कि 24 घंटे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है । ये वहां हटिया का जगह परिवर्तित कर देते तो हो जाता । हमको जवाब घर से पढ़ाकर भेजा गया था इतनी बात कहने के लिए । इसमें समय सीमा दे देते ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, जो यह कह रही हैं उसको करा दीजिए, मैथिली में बोले तो समझे कि नहीं, ठीक है ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : जी ठीक है ।

(व्यवधान)

श्रीमती गुलजार देवी : हम सब जगह मैथिली ही बोलते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप जो मैथिली में बोली है उसको समझकर मंत्री जी ने कहा है कि वे करायेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0-1598(डा0 संजीव चौरसिया)

अध्यक्ष : यह नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित हुआ है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1599(श्री विद्या सागर केशरी)

(मा0स0श्री विजय कुमार खेमका द्वारा पूछा गया)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में वर्णित योजना को विभागीय राज्यादेश सं0-63, दिनांक-27.09.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । नगर निकाय को प्राप्त राशि 53.78 लाख मात्र को स्थानान्तरित किया जा रहा है । योजना का क्रियान्वयन वुडको द्वारा कराया जाना है ।

2- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री विजय कुमार खेमका : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1600(श्री शिवचन्द्र राम)

अध्यक्ष : आपका उत्तर दिया हुआ है । पढ़े हैं ?

श्री शिवचन्द्र राम : नहीं पढ़े हैं ।

अध्यक्ष : पढ़ दीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । विगत वर्ष में अल्प वर्षापात के कारण भूजल स्तर में कुछ प्रखंडों के कतिपय क्षेत्र में जल स्तर

के नीचे चले जाने से कुछ साधारण चापाकल अकार्यरत हो गये हैं, परन्तु आवश्यकता के अनुरूप साधारण चापाकल और आइ0एम0-2 और आइ0एम0-3 चापाकल चालू है और जलापूर्ति की जा रही है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- पेयजल समस्या को दूर करने के लिए वैशाली जिले में 291 अदद नये चापाकलों का निर्माण किया गया है । 234 अदद चापाकलों का राइजर पाइप बढ़ाया गया है । 282 चापाकलों को विशेष चापाकल में परिवर्तित किया गया है तथा 1211 चापाकलों की मरम्मति की गयी है । आवश्यकतानुसार जिले में प्रतिदिन 32 टैंकरों से जलापूर्ति भी की गयी थी । इसके अतिरिक्त जिले के सभी ग्रामीण घरों में हर घर को नल का जल देने का काम 2020 तक का लक्ष्य है और उससे हर घर को नल का जल दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : इसपर तो व्यापक विमर्श हो चुका है ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो मरम्मति की बात कर रहे हैं तो मरम्मति कौन कर रहा है और किसके अनुशंसा से कर रहा है ? ये आंकड़ा दे दिये कि 1 हजार की मरम्मति हो गयी, कुछ चापाकल गाड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन जब हमलोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो कहीं कोई पता नहीं और लोग पानी के लिए परेशान हैं । ठीक है-बाढ़ कुछ जगहों पर आयी है, लेकिन हमलोगों के वैशाली जिला में इस तरह की बात नहीं है, जल स्तर बढ़ा ठीक कह रहे हैं कि बारिश हुई है, लेकिन समस्या अभी उसी तरह से है । अध्यक्ष महोदय, इनको जितना आंकड़ा वैशाली के पदाधिकारी दिये हैं वह आंकड़ा हमको नहीं भा रहा है, हो सकता है कि मंत्री जी को भा रहा है । हम जानना चाहते हैं कि इसकी जानकारी मंत्री जी खुद लेकर उसके बाद अवगत कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : मंत्री जी, अपने स्तर पर समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं । ठीक है ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : आपकी बात माननीय मंत्री जी ने मान ली है ।

श्री शिवचन्द्र राम : किससे जॉच कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : आपने मंत्री जी से कहा कि अपने स्तर पर समीक्षा करके इसका संज्ञान ले लीजिये।

श्री शिवचन्द्र राम : यह कब तक होगा ?

अध्यक्ष : कब तक होगा मंत्री जी, बता दीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : उसका काम भी चल रहा है, हर घर नल का जल का भी काम चल रहा है और इन्होंने कहा कि जो राइजर पाइप बदले गये हैं वह सही जानकारी नहीं है। मैं उसकी जॉच करा लूंगा, समीक्षा करूँगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महेश्वर जी का पूरक है सुन लीजिए । आप तो कन्कलुड कर चुके थे फिर शुरू कर दिये ?

श्री शिवचन्द्र राम : यह गंभीर मामला है इसके लिए सरकार चिंतित है, काम हो रहा है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि अगर मानकर चलिये मंत्री जी तो यह पानी का मामला हर जगह का मामला बिहार का मामला है तो क्या सदन की कमिटी बनाकर जॉच करायेंगे ?

अध्यक्ष : किस चीज की सदन की कमिटी जॉच करेगी ?

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, ये चापाकल के लिए कि कहां-कहां चापाकल लग रहा है, कहां मरम्मति हो रही है ।

श्री महेश्वर यादव : महोदय, मेरा पूरक है कि पूरे बिहार में चापाकलों के मरम्मति का काम हो रहा है, लेकिन विधायकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है । क्या माननीय मंत्री जिन क्षेत्रों में जहां चापाकल की मरम्मति हो रही है उसकी सूचना माननीय विधायक को देने का कष्ट करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह जो श्री महेश्वर यादव जी ने कहा है यह बात उचित प्रतीत होती है क्योंकि अगर कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में चापाकलों की मरम्मति का कार्य कर रहे हैं और इसकी सूचना उस क्षेत्र के विधायकों को मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल भी होगी । आपकी सरकार का उसपर नियंत्रण और सही फीडबैक भी मिलेगा । केवल वह सूची जो आपको भेज रहे हैं कि हम इतने- शिवचन्द्र जी भी कह रहे थे कि अगर वे सूची भेज देते हैं- मान लीजिए किसी क्षेत्र में हमने 50 की मरम्मति करा दी, लेकिन सही मायने में हुआ कि नहीं इसको जरूर आप देखिये कि जिस क्षेत्र में चापाकलों की मरम्मति कराने का रिपोर्ट या प्रतिवेदन या आपके अधिकारी क्लेम करते हैं उसकी सूची संबंधित विधायकों को या उनको भी विश्वास में लेकर कराइये । यह उचित है ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : जी, करवा देते हैं सर ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1601(श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)</u>

श्री राणा रणधीर,मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता कटिहार के पत्रांक-1031, दिनांक-16.07.2019 के प्रतिवेदनानुसार कोढ़ा प्रखंड में हल्का-5 राजवाड़ा के कर्मचारी के द्वारा अपने हल्का कार्यालय का काम देखा जाता है । अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक पूरे कार्यालय का काम देखते हैं । जहां तक राशि की मांग किये जाने से संबंधित मामला है । इस सन्दर्भ में कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं है ।

श्रीमती पुनम कुमार उर्फ पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब बिल्कुल गलत है क्योंकि कई ऐसे आदमी हमारे पास आये हैं और कहा है कि कर्मचारियों के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है उसके बाद आपका काम करेंगे । उन्हें यह भी कहा गया कि जब तक वे लोग अंचल पदाधिकारी को पैसा नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होगा ।

अध्यक्ष : आप क्या चाहती हैं ?

श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : हम चाहते हैं कि इसकी जॉच होनी चाहिए और ये सिर्फ मैंने हल्का कर्मचारी एक ही का रखा है, इसमें चार-पांच हल्का कर्मचारी हैं और सभी जगह इस तरह का काम होता है और बिना पैसे का दो-दो महीना तक रसीद नहीं कटता है ।

अध्यक्ष : पूनम जी, एक मिनट बैठ जाइये । आपको पता है और सदन को पता है कि ये म्युटेशन दाखिल खारिज का काम सरकार ने आर0टी0पी0एस0 के अधीन डाल रखा है, अगर उसके अधीन किसी ने दाखिल खारिज का उसके लिए जो उपयुक्त दस्तावेज हैं उसके साथ जमा किया है और ससमय उसका निष्पादन नहीं किया गया है । आप उसकी स्पष्ट और स्पेसिफिक सूचना दीजिये, सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी ।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए न अभी बात खत्म नहीं हुई ।

क्रमशः

टर्न-6/ज्योति/18-07-2019

क्रमशः

अध्यक्ष : क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ये तो उसी का नाजायज फायदा, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो इसी का जो अवेयरनेस नहीं है, जागरुकता नहीं है, इसी का फायदा कर्मचारी उठा रहे होंगे । आप अपने लोगों को जागृत करिये कि वे आर.टी.पी.एस. के माध्यम से इस चीज की जानकारी लें । अगर आर.टी.पी.एस. में एक निश्चित अवधि तक नहीं देता है कोई और उसके लिए संबंधित दस्तावेज भी सही होना चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन एक होता है, एक आदमी के नाम पर से जमीन दूसरे के नाम पर जाती है तो जबतक उसके लिए औथेन्टीकेटेड वर्सन डौकुमेंट का नहीं होगा, अगर समय सीमा के अंदर नहीं देता है तो सरकार उसपर निश्चित कार्रवाई करेगी ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आर.टी.पी.एस. के माध्यम से होता है लेकिन कई लोगों की जानकारी के अभाव से यह दोहन निश्चित तौर पर होता है, साथ ही साथ हम यह कहना चाहते हैं कि जब कि

कोई कर्मचारी अभी आपने ही यह बात रखी है सदन में कि जमीन किसी का और किसी को रसीद काट दिया जाता है और यह कई जगह एक नहीं कई लोगों के साथ इसतरह से हो रहा है ब्लौकों में और अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि क्या ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई होगी और कबतक होगी ?

अध्यक्ष : ठीक है । सिद्दिकी जी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आप हमलोगों के संरक्षक हैं और माननीय अध्यक्ष हैं, पक्ष और विपक्ष का कोई भाव नहीं है जो मंत्री को बोलना चाहिए आप उनकी तरफ से जवाब देने लगते हैं ।

अध्यक्ष : आखिर ..

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन बातों का उल्लेख आपने किया वह तो मंत्री जी को बताना चाहिए था मगर मैं कहता हूँ कि सांच को आंच क्या जो आर.टी.पी.एस. में सब लोग नहीं जाते हैं जो गरीब आदमी है अंगूठा छाप है, उसको जाना पड़ता है, ब्लौक में या जहॉ कार्य है, वहॉ जाना पड़ता है, उसके साथ यह दिक्कत हो रही है तो सरकार को बहुत सारे मामले उठ रहे हैं महोदय, तो सांच को आंच क्या , कोई एक मामला सैम्पल में ले कर आप सदन की कमिटी बनाकर जॉच करा दीजिये, सच्चाई का पता चल जायेगा ।

अध्या : आपके कहने से अभी हमने एक सदन की कमिटी बनायी है आप नहीं थे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है, चलिए । पूनम जी बैठ जाईये आपका चांस खत्म हो गया । आप बैठ जाईये। एक मिनट अवधेश जी, हम आप पर आते हैं । माननीय सिद्दिकी साहेब ने कहा कि हम सरकार की तरफ से जवाब देते हैं । हम नहीं देते हैं । सरकार की जो घोषित नीति इसी सदन में रहती है अब सिर्फ माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए देते हैं क्योंकि हमारा मानना है, आसन का मानना है कि अगर सुश्री पूनम कुमारी ने यह प्रश्न पूछा है तो उनके क्षेत्र के गरीब लोगों का दोहन नहीं हो, इसके लिए उन्होंने पूछा है और उनका प्रश्न पूछने का मकसद कैसे पूरा होगा, हमने तो उनकी सहूलियत के लिए सरकार की घोषित नीति बताया । हम तो कोई नीति की घोषणा करते नहीं है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मंशा वह नहीं थी मगर कम से कम ....

अध्यक्ष : आपकी मंशा सही थी तब न कमिटी बनायी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, कम से कम आसन मंत्री जी को ताकीद करे कि वे अप टू डेट होकर आया करें ।

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी यह सब बात बताया करिये । बोलिए अवधेश जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत साफ है, सरकार की नीयत पर कोई ऊंगली और आक्षेप नहीं करना है पर आर.टी.पी.एस. की जो स्कीम हैं उस स्कीम में आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहते हैं कि जो डाटा उस प्रखंड का, उस अंचल का जो फिक्स किया गया, वह कर्मचारी के द्वारा किया गया या किसी हायर पदाधिकारी द्वारा किया गया ? नंबर वन प्वायंट और नंबर टू प्वायंट कि आर.टी.पी.एस. में उन किसानों और उन मजदूरों का जो नाम है जैसे श्रवण कुमार इनका नाम है और इनके नाम के आगे श्रवण सिंह लिख दिया तो यहीं से दोहन शुरु हो जाता है अध्यक्ष महोदय । यह पूरे बिहार में चाहे सत्ता हो या विपक्ष के लोग हों, सरकार की नीयत साफ है मगर इस पर जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिला पदाधिकारी के लेवेल पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेवेल पर तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि उन प्रखडों में पूरे बिहार में जॉच कर गरीबों को राहत दें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमलोग जानते हैं कि भू एवं राजस्व विभाग सभी अभिलेखों को कम्पयूटर पर अपलोड कर चुका है और यह रजिस्ट्री ऑफिस में भी अपलोडेड है महोदय, तो क्या सरकार जब सारे अभिलेखों को कम्पयूटर पर अपलोड कर चुकी है तो रजिस्ट्री के समय ही चूंकि रजिस्ट्रार के पास भी यह व्यवस्था है तो जिस समय रजिस्ट्री होती है तो क्या उसी समय भूमि अंतरण करने का सरकार विचार रखती है ।

अध्यक्ष : आप अपना सुझाव लिखकर दे दीजियेगा, सरकार जरुर विचार करेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 1602 (श्री चन्द्रशेखर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा प्रखंड के पंचायत नं0 2 एवं ग्राम भेलवा में पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं, जहां डा0 बैजू साह, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह नियमित रुप से निर्धारित समय पर जाते हैं उनके द्वारा पशु चिकित्सा टीकाकरण एवं कृमि नाशक दवाओं का वितरण प्रत्येक पशुपालकों के घर जाकर किया जाता है । जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 839 दिनॉक 2-7-19 के द्वारा भेलवा एवं साहुगढ़ बाजार केन्द्र में श्री कवीन्द्र कुमार वर्मा एवं श्री रण विजय कुमार सिंह पशुधन सहायक को अपने कार्य के अतिरिक्त पशु चिकित्सा टीकाकरण कार्य हेतु कार्य भारित कर दिया गया है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में अस्वीकारात्मक कहा । प्रश्न जाने के बाद 2-7-2019- ध्यान दीजियेगा अध्यक्ष महोदय, 2-7-2019 को दो पशुधन सहायक की पोस्टिंग हुई है । मेरा गांव भेलवा है, मेरा ननिहाल साहुगढ़ है और कम से कम 20 पंचायत के पशुपालक उस पर आश्रित हैं, सच्चाई यह

है कि जो केन्द्र खुलता था उसमें ताला शायद 10 वर्ष से नहीं खुला है मैं तो आठ साल पीछे की बात कह रहा हूँ तो मैं यह जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से क्या मंत्री जी दो दिन, सप्ताह में सात दिन में दो दिन कौन सा तय करते हैं सच्चाई यह है कि भ्रामक प्रतिवेदन विभाग द्वारा दिया गया है और 2-7-19 को अभी पोस्टिंग की गयी है तो भाई डॉक्टर कब जाते हैं बिना पशुधन साहायक के तो दो दिन कौन सा करते हैं जरा सदन को बताये हमलोग भी पब्लिक को बतला देंगे ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मंगलवार और शुक्रवार को दो दिन महोदय, तय कर दते हैं यदि नहीं जायेंगे तो ऐसे डौक्टरों पर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1603 (श्री अबू दौजाना)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।

अध्यक्ष : आपने दोजाना जी आपने उत्तर देखा है क्या ? यह कल ही आपलोड हुआ है ।

श्री अबू दोजाना : नहीं ।

अध्यक्ष : यह कल ही अपलोड हुआ है । मंत्री जी ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत सरयुग उच्च विद्यालय के नजदीक सुरसंड पश्चिमी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना एवं भिठ्ठा मोड़ के श्री खंडी भिठ्ठा पूर्वी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति का कार्य पूरा कर लिया गया है, जलापूर्ति की जा रही है । मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत हर घर नल से जल हेतु श्रीखंड भिठ्ठा पश्चिमी वार्ड 1,5,6 एवं 8 हेतु 67 लाख 41 हजार रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है । निविदा प्राप्त हो गयी है । संवेदक से एकरारनामा के पश्चात हर घर नल का काम शुरु हो जायेगा । सुरसंड पश्चिम में 'हर घर नल योजना' अंतर्गत इसी मीनार से 2,5,6,9,10 एवं 12 वार्ड हेतु 50 लाख 43 हजार 200 रुपये की योजना स्वीकृत हो गयी है । निविदा प्राप्त हेा चुकी है । संवेदक से एकरारनामा के बाद हर घर नल से जल का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । इन दोनों योजनाओं को 6 महीना में पूरा कर हम हर घर नल से जल दे दें गे ।

3- उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

टर्न-7/18.07.2019/बिपिन

श्री सैयद अबु दौजाना: अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले हमने जलमीनार का उद्घाटन किया था, जलमीनार बनकर सिर्फ खड़ा है, एक आइकॉन बना हुआ है हमलोगों के लिए, लेकिन जलमीनार कब से चालु होगा, इसका निर्धारित समय बता दें ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि छः महीना में हम सब कुछ करा देंगे ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं । कार्यस्थगन ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था 1689 पर मेरा नगर विकास विभाग के तहत लेकिन मैंने जो सवाल उठाया है वह मोतिहारी नगर परिषद से संबंधित था महोदय लेकिन इसमें फुलवारी, पटना का छप कर चला गया है ।

अध्यक्ष : वह आप दे दीजिएगा लिखकर ।

कार्यस्थगन सूचना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 18 जुलाई, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :

श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री मो0 नवाज आलम एवं श्री कुमार कृष्ण मोहन ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है, अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल ।

(व्यवधान)

शून्यकाल चलने दीजिए । बहुत लोगों का है । सबलोग का हो जाएगा ।

शून्यकाल

श्री विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत गया से नगर सेवा बस शेरघाटी भाया चेरकी होकर सरकारी बसों का परिचालन प्रमंडलीय प्रबंधक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम गया के मौखिक आदेश पर हो रहा है ।

गया स्टेशन से चेरकी होते शेरघाटी तक बसों का परिचालन हेतु स्थायी परमिट निर्गत करने की माँग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह(224): अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखण्ड में संढ़ैल पहड़चापी पहाड़ का उत्खनन किया जा रहा है । उक्त पहाड़ के आस-पास घनी आबादी बसी हुई है ।

जनहित में पर्यावरण एवं ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए उक्त पहाड़ के उत्खनन पर रोक लगाने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा प्रखंड में शौचालय निर्माण में जियो टैगिंग कार्य एवं नलजल योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर का कार्य संतोषजनक नहीं है । इनके द्वारा कुछ पंचायतों में आर.टी.पी.एस. काउण्टर नहीं खोला गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी की कार्यशैली की जांच कर कार्रवाई की जाय ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के ग्राम मिर्जापुर एन.एच.28 से रूपनछाप ग्राम जाने वाली सड़क के बीच अवस्थित वितरणी नहर पर पुल टुट गया है जिस कारण से दूर्घटना होती है । अतः सरकार उक्त पूल का निर्माण शीघ्र कराये ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखण्ड के मोहम्मदपुर पंचायत के ग्राम अहिरौली के पास डुमरखोह घाटी के पास दनदनॅवा नदी पर चेकडैम निर्माण हो जाने से मोहम्मदपुर सहित प्रखण्ड क्षेत्र के कई पंचायतों की लगभग 3(तीन) हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ।

उक्त नदी पर शीघ्र चेकडैम का निर्माण करायें ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामनगर के ग्राम चुड़िहरवा से बलुआ बखराहा के बीच सिंगहा नदी पर पुल की मांग करती हूं ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, गर्दनीबाग वार्ड नं0-16 में चंडी स्थान से कच्ची तालाब होते हुए सरिस्ताबाद मेन रोड बाईपास तक नाला निर्माण का कार्य वर्ष 2017 से चल रहा है लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।

मैं उक्त नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की मॉग करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के हसूआहा मानिकपुर पंचायत में सदी खां के घर से विशुनपुरवा मठ तथा महादलित टोला होते हुए मटियारिया सिवान तक जाने वाली कच्ची सड़क जर्जर अवस्था में है । इससे आम जनता को काफी परेशानी होती है ।

अतः उक्त पथ को जनहित में पक्कीकरण कार्य करायी जाए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, प्रकृति से उपक्षित दिव्यांगों को सामाजिक सहानुभूति और सहयोग आवश्यक है । इसलिए दिव्यांगों के लिए राज्य की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग करता हूं ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत कोचस के वार्ड नं0-11 के रामचन्द्र चौहान पिता स्व0 सुखदेव चौहान का दिनांक 14.07.2019 को पानी में डुबने से मृत्यु हो गया ।

सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मृतक के आश्रित को मुआवजा दिया जाए ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज प्रखंड के गनगनिया एवं कमरगंज पंचायत के गंगा नदी किनारे कटावग्रस्त गांवों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक गार्डवाल की मांग सराकर से करता हूँ ।

सुश्री पुनम कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मदरसा आधुनिक विज्ञान शिक्षक जो सेन्ट्रल स्कीम के तहत है उन्हें तीन साल से वेतन नहीं मिला है । ऐसे शिक्षकों को वेतन लेने की मांग करती हूं ।

श्रीमती अमिता भूषण : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले में पिछले 2 महीनों से बिजली आपूर्त्ति की व्यवस्था पूर्णतः चरमरायी हुई है । अनियमित आपूर्त्ति, लो-भोल्टेज की समस्या से आमलोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

अत: जनहित में सरकार जिले की चरमरायी बिजली अवस्था को सुधारने पर गंभीरतापूर्वक विचार करे ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत गिधा औद्योगिक क्षेत्र में विष्णु विशाल पेपर मिल अम्रपाली सिलेंडर एचपीसीएल, एलओसीएल गैस प्लांट सहित अन्य कई फैक्ट्रियां हैं । प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के द्वारा रिश्वत लेकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है । उक्त सभी प्रदूषण फैलाने वाले संबंधित फैक्ट्री पर रोक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें ।

श्री चंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखण्ड में खगड़िया अलौली पी.डब्लू.डी. पथ धोबघट्ठा से अलौली अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है जिससे बर्षात में पैदल चलना भी मुश्किल है ।

अत: उक्त पथ का पुन: निर्माण शीघ्र कराने का सरकार से मांग करता हूं।

श्री सूबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड हुलासगंज मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थित है । भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पुरी ठाकुर के नाम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नामकरण हेतु सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में कमलपुर डाकबंगला से पूर्णिया बोर्डर तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है । सड़क पर लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है । उक्त सड़क का यथाशीघ्र मरम्मती कराने की माँग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री सुधीर कुमार : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत 2015 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि कुछ विद्यालय में वितरित नहीं किया गया है । छात्र/छात्राएं निराश हैं ।

अतएव जनहित में शीघ्र छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिलाने की मांग करता हूँ ।

श्री नन्द कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पश्चिमी के अधीन मोतीपुर प्रखंड में सड़कों का निर्माण कार्य विभागीय गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रहा है जिससे जनता में असंतोष है । मैं सरकार से सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, विशेष शाखा बिहार द्वारा RSS एवं सहयोगी संगठन के पदाधिकारी का दूरभाष पता सह व्यवसाय का प्रतिवेदन माँगने की खबर पर एडीजी द्वारा RSS पर खतरा तथा हलके विषय की बात कही ।

अत: उक्त जारी पत्र की जाँच एवं दोषी अधिकारी पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के प्रखंड राजनगर के गांव सुगौना में कमला नदी के बाढ़ में चाचा-भतीजी डूब कर मर गया । मृतक का लाश भी नहीं मिला । सरकार से 08 लाख रूपए की मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, नरकटिया विधान सभा में छौड़ादानों प्रखंड, बनकटवा प्रखंड एवं बनजरीया प्रखंड में अनेकों गांव का रोड टूट जाने से संपर्क टूट गया है ।

अतः टूटे स्थान की जांच कर अविलम्ब रोड को चालु करे एवं उक्त स्थान पर पुल-पुलिया का निर्माण करावे ।

टर्नः 08 /कृष्ण/18.07.2019

श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत काम करनेवाले मजदूरों की मजदूरी 177 रूपये है जो बहुत कम है । मजदूरी कम होने से उनके परिवार के भरण-पोषण में काफी कठिनाई होती है ।

अतः मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 177 से बढ़ाकर 350 रूपये किया जाय।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला में अत्यधिक वर्षा होने तथा कई क्षेत्रों में बाढ़ आने से किसानों के फसल तथा बिचड़ा पूर्णतः बर्बाद हो गया है । बिचड़ा के अभाव में धान की रोपनी संभव नहीं है ।

फसल क्षतिवाले किसानों को चिन्हित कर मुआवजा देने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के बक्सर सदर में अवस्थित जय प्रकाश नारायण बस अड्डा का सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पक्कीकरण आदि निर्माण कार्य कराने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, मसौढ़ी नगर परिषद अन्तर्गत मुहल्ला काश्मीरगंज निवासी श्री अखिलेश कुमार पिता श्री वीरा रविदास, श्री दिलीप कुमार पिता श्री धनेश्वर मोची इत्यादि को प्रधान मंत्री आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में अग्रिम राशि 50,000/-रूपया दिया गया जिसके कारण आवास निर्माण अधूरा है। अतः भवन निर्माण हेतु सम्पूर्ण राशि का भुगतान यथाशीघ्र कने की मांग करता हूं ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा नगर परिषद को जल-जमाव एवं सड़ांध से मुक्त कर महामारियों की संभावनाओं से बचाने हेतु बेतरतीब नालों को ठीक करने, समुचित जल निकासी युक्त नाला बनाने तथा गड्ढ़ों में तब्दिल सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद नगर क्षेत्र के मल्हचक निवासी श्री राम जन्म केवट की जमीन खरीददार श्री अर्जुन यादव से माफिया रंजित कुमार उर्फ मुन्ना सिंह जमीन हड़ने की नीयत से मारपीट की है ।

अतः अपराधी रंजित कुमार पर कानूनी कार्रवाई कर अर्जुन यादव की सुरक्षा की मांग करता हूं ।

श्री शत्रुघन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के बनियापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज सतुआ के मुखिया द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में भारी वित्तीय अनियमितता की गयी है । प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर के पत्रांक 544 दिनांक 08.06.2019 से इसकी पुष्टि हेाती है । मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

डा0 अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा से शिवाजी नगर जानेवाली पथ निर्माण ाविभाग की सड़क के करियन गांव से गुजरनेवाले भाग में जल जमाव के कारण यातायात बाधित है ।

अतएव सरकार यातायात सुचारू ढंग से चालू करने के लिये जल-जमाव दूर करने की त्वरित कार्रवाई करे ।

श्री जीवेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले प्रखंड के मिल्की के पास खिरोई नदी का तटबंध टूटने से सड़क, कृषि एवं जान-माल की भारी क्षति हुई है ।

अतः मैं जिले के जाले एवं सिंहवाड़ा समेत सभी प्रखंडों को बाढ़ प्रभावित घोषित करने तथा मुआवजे की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री रामविलाश पासवान : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड एवं कहलगांव प्रखंड में वर्ष 2016-17 में आये बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा की राशि (क्षतिपूर्त्ति अनुदान) अभी तक नहीं मिला है ।

अतः उक्त प्रखंडों में प्रभावित किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा की राशि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री शंभुनाथ यादव : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के चक्की प्रखंड के मौजा सिवपुर दियर सोमाली गंगबरार का हजारों एकड़ भूमि का सर्वे होने के बाद जमीन का लगान निर्धारित नहीं होने से रसीद नहीं कटा रहा है जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है।

अतः उक्त मौजा का लगान निर्धारित कर रसीद कटवाने की मांग करता हूं ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत एन0एच0-2 से देवभामा करहारा पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा 2017-18 में कराया गया था ।

संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है जिसके कारण दुघर्टना की संभावना बनी रहती है ।

अत: उक्त पथ की जांच कराकर पथ निर्माण का कार्य पूरा कराया जाय।

डा सी0एन0गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, पटना जिला में स्थित पी0एम0सी0एच0 में अब मरीजों के लिये मेडिकल गोदाम से सप्ताह में तीन दिन दवायें देने की सरकार की योजना है बाकी दिन दवायें मरीजों को नहीं मिलने पर काफी कठिनाई हो रही है। अस्पताल में प्रतिदिन दवा उपलब्ध करावें ।

डा0 फराज फातमी: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला का प्रखंड सिंहवाड़ा एवं केवटी में बाढ़ आने से जानमाल की माफी क्षति हुई है । उक्त प्रखंड एवं जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ने वाली मुख्य सड़क एन0एच0 57 क्षतिग्रस्त होने से पथ में बिरदीपुर चौक से पहले पावर हाउस के पास करीब 25-30 फीट सड़क का कटाव एवं अरई नया टोला में नवनिर्मित आर0सी0सी0 पुल बह जाने से आवागमन पूर्णत: बंद है । इसे चालू करने की मांग करता हूं तथा उक्त प्रखंडों को बाढ़ ग्रसित घोषित कर सरकार द्वारा दी जानेवाली मुआवजा मिले एवं अविलंब क्षतिग्रस्त सड़क पुल का वैकल्पिक निर्माण की जाय ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारूण प्रखंड में जोगिया में दो समुदायों के बीच हमेशा संषर्घ का खतरा बना रहता है । कभी भी बड़ी घटनायें घट सकती है । थाना से लंबी दूरी होने के कारण विधि-व्यवस्था में विलंब होती है ।

अत: जोगिया में ओ0पी0 बनाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : शून्यकाल समाप्त हुआ । ध्यानाकर्षण-सूचना लिये जायेंगे । क्या है ?

डा0 रंजु गीता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहती हूं । बाढ़ के चलते बाजपट्टी के इन्टर की छात्रा चंचला कुमारी, सुरसंड की दो वर्षीय पुत्री मैहर खातून और बोखरा के दुवेश कुमार बाढ़ के तेज प्रवाह के कारण उसमें वह बह गया और डूबकर उनकी मृत्यु हो गयी । अत: उनके परिजनों को अनुग्रह राशि देने की मैं मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । सरकार सूचना ग्रहण करे । आप को क्या है ? बाढ़ राहत का तो विषय अभी नहीं है सुदामा जी ।

श्री सुदामा प्रसाद : बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ पीड़ितों का एक मुट्ठी चूड़ा नहीं मिल रहा है, बाढ़ पीड़ितों की हालत खराब है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव । स्थगित है । सूचना पढ़िये।

ध्यानाकर्षण–सूचना

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, मुद्रिका प्रसाद राय एवं अन्य सात सभासदों की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य में लाखों किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना से वंचित कर दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन में कहा गया था कि 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर 7500 रूपये हेक्टेअर एवं 20 प्रतिशत से अधिक होने पर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेअर दिया जायेगा । राज्य भर में किसान ऑनलाईन आवेदन भी किये । अब क्रॉप कटिंग के आधार पर सहायता देने की बात हो रही है, जिसकी कोई सूचना किसान को नहीं दी गई है ।

अतएव किसानों को राज्य फसल सहायता योजना का लाभ दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण लाया है । यह किसानों के हित का प्रश्न है ।

महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ 2028 मौसम से राज्य में बिहार राज्य फसल सहायता योयना कार्यान्वित की जा रही है । योजना के प्रावधानुसार प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी श्रेणी में निबंधित किसानों रैय्यत एवं गैर रैय्यत उनके फसल उत्पादन मे 20 प्रतिशत तक ह्रास की स्थिति में रूपये 7500 प्रति हेक्टेअर एवं 20 प्रतिशत से अधिक ह्रास की स्थिति में रूपये 10 हजार प्रति हेक्टेअर अधिकतम 2 हेक्टेअर के लिये क्रमशः 15 हजार रूपये एवं 20 हजार रूपये सहायता राशि देय है ।

उल्लेखनीय यह है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 4989 दिनांक 08.06.2018 द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसके कंडिका 3 के 8 एवं 9 में फसल उत्पादन एवं उत्पादन में ह्रास के निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट की गयी है । उक्त निर्धारण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा इस योजना के परियोजनार्थ अधिसूचित फसलों के फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल पर आधारित होना है । पुनः खरीफ 2018 मौसम से राज्य में कार्यान्वित बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिसूचना संख्या 5389 दिनांक 21.06.1918 की कंडिका 4 में स्पष्ट है कि

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सम्पादित अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटनी प्रयोग प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित फसल उत्पादन में ह्रास के आलोक में सहायता राशि देय है एवं कंडिका 5 में उपज दर में ह्रास का मूल्यांकन निर्धारित ऊपज की तुलना में वास्तविक ऊपज दर में हुये के आधार पर किया जाना है ।

महोदय, पूर्व से भी फसल उत्पादन दर के निर्धारण एवं फसल उत्पादन दर में ह्रास निर्धारण के आधार पर संचालित योजनाओं जैसे भारत सरकार की फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में भी फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल पर फसल उत्पादन दर एवं उत्पादन दर में ह्रास के निर्धारण के प्रावधान है ।

क्रमशः

टर्न–9/अंजनी/दि0 18.07.19

श्री राणा रणधीर, मंत्री : क्रमशः... खरीफ 2018 से राज्य में लागू बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत निबंधित किसानों की संख्या साढ़े 11 लाख है, जिसमें से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सम्पादित फसल कटनी प्रयोग प्रतिवेदन के आधार पर 3 लाख 85 हजार किसानों के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना को 317.31 करोड़ रूपया भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से 3.34 लाख योग्य किसानों को 280 करोड़ 89 लाख रूपया सहायता राशि इनके खाते में हस्तनांरित किया जा चुका है, शेष किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है कटनी का, क्रौप कटिंग के बारे में चर्चा नहीं थी, यह सरकार के संकल्प में भी है । मुख्यमंत्री फसल सहायता योाजना जो राज्य की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, इसके पूर्व भी जो भी बीमा की योजना है, जैसा मैंने उत्तर में कहा है, सभी में क्रौप कटिंग के आधार पर जो प्रतिवेदन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय भेजता है, हम उसी के आधार पर किसानों का भुगतान भी करते हैं, जिसकी सूचना मैंने सदन को दी है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन है सरकार का और उसमें कहीं भी क्रौप कटिंग की चर्चा नहीं है । किसान रात–रात भर जाग–जागकर 100–200 रूपया खर्च करके ऑनलाईन आवेदन किये । हमारे यहां की स्थिति है मीनापुर का, 28 पंचायत का मैं डी0सी0ओ0 से रिपोर्ट मांगा, जाना, सामान्य रिपोर्ट है और उस परिस्थिति में 10 पंचायत को चयनित किया गया और बाकी 18 पंचायत को

चयनित नहीं किया गया, उसका भी कागज हमारे पास है । इसी तरह से पूरे बिहार में हुआ है और यह किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है तो हमारा आग्रह है कि इसकी जांच करायी जाय, जैसा कि इन्होंने कहा है कि साढ़े 11 लाख किसान ऑनलाईन आवेदन किये हैं, 3 लाख 85 हजार किसानों का इन्होंने चयन किया है, बाकी जो सात लाख से उपर किसान हैं, उनका क्या होगा ? इसलिए मैं आग्रह करूंगा मंत्री जी से कि जो सांख्यिकी विभाग की बात करते हैं, जब सामान्य रिपोर्ट आया है, बी0सी0ओ0 एवं सामान्य लोगों से मैंने जानकारी लिया, तमाम रिपोर्ट गया है, समीक्षा सामान्य हुआ है, उसके बाद भी फिर किस आधार पर 10 पंचायत को चयनित किया गया और 18 पंचायत को छोड़ दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए और जो छूटे हुए लोग हैं, जो किसान वंचित रह गये हैं, उनको अविलंब इसका लाभ मिलना चाहिए ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से सदन को बताना चाहता हूँ कि इसकी सूचना है और उसका कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैंने खरीफ का आंकड़ा दिया है । खरीफ 2018 में हमने फसल सहायता शुरू की और साढ़े 11 लाख किसानों का निबंधन हुआ और अभी रब्बी हमारा शुरू हुआ है, उसमें साढ़े 17 लाख उसकी संख्या है । 2018-19 में जो कुल निबंधित कृषकों की संख्या 17 लाख 54 हजार 350 है, जिसमें रैयत किसान से ज्यादा हमारा गैर रैयत हैं और बिहार की जो कृषि है, वह ज्यादा गैर रैयत किसान करते हैं । माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस संबंध में बताना चाहता हूँ कि अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग एक तो सरकार या कहीं से भी कोई सहायता हम जो देते हैं, वह प्राकृतिक आपदा की स्थिति में देते हैं ।

(व्यवधान)

एक मिनट सुन लिजिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए । बीच में नहीं बोलिए । मंत्री जी बोलिए ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : यह जानना चाहिए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका जो फलाफल आ रहा है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है । जैसा मैं बता रहा था कि गैर रैयत किसानों की संख्या, रैयत किसानों से ज्यादा है, यह दिखाता है और कृषि डिपार्टमेंट में हमारे किसान भाईयों का करीब 60 लाख किसानों का निबंधन हुआ है। यह बताता है कि नीचे भी जो योजना गयी है, उनको पता है कि किस तरह से हमलोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है । सरकार की सहायता प्राकृतिक आपदा की स्थिति में है और उसके लिए सरकार का जो प्रावधान है कि हम कैसे सहायता देंगे, उसमें सरकार अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग से मदद लेती है । जिला में व्यवस्था है, जिला पदाधिकारी होते हैं, अंचलाधिकारी होते हैं, सी0आई0 होते हैं, ब्लॉक के

एग्रीकल्चर पदाधिकारी हैं और आपका जो सांख्यिकी पदाधिकारी अगर ब्लौक स्तर पर हों तो उनको लेकर हर पंचायत में, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पहले प्रखंड स्तर पर था प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री सहायता योजना पंचायतों पर है और हर पंचायत में पांच जगह पर फसल कटनी प्रयोग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय करता है और उसके आधार पर जो प्रतिवेदन भेजता है, उसके आधार पर हम सहायता देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं, वह सही है । आपने कहा है कि यही प्रक्रिया पहले से चली आ रही है । यह भी सही है । माननीय सदस्य का कहना दूसरा है, उनका कहना है कि सामान्य रूप से जब कभी इस तरह के फसल बीमा या किसानों को सहायता देने की कोई योजना बने और इसका जब सरकार विज्ञापन निकाले या किसानों को सूचित करे तो उसमें क्षति के आकलन का जो तरीका सरकार रखती है, उसका भी जिक्र होना चाहिए । वे कह रहे हैं । जैसे वह जो विज्ञापन निकला, जो 20 प्रतिशत क्षति के बाद सरकार देगी, वह 20 प्रतिशत क्षति है या 30 प्रतिशत है, वह कैसे आंका जायेगा ? आप ही की बात कह रहे हैं ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : हुजूर, 1 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक में साढ़े सात हजार..

अध्यक्ष : हम आप ही की बात कह रहे हैं । आप फिर प्रतिशत में उलझ रहे हैं । हम कह रहे हैं कि यह प्रतिशत का आकलन जो होता है, इसमें किसी किसान को जानकारी नहीं मिल पाती है । जब विज्ञापन निकलता है, उसी में यह भी मेन्शन रहेगा तो अच्छा रहेगा । सरकार को भी सहूलियत रहेगी और किसानों को भी सहूलियत रहेगी । अगर उनको पहले से पता रहेगा तो वे सचेत रहेंगे । जो आपके अधिकारी देते हैं या चार जगह लेकर चले गये, अगर किसान मुस्तैद हैं, कहीं आप सोचकर देखिए कि अगर कहीं कोई ऐसा गांव या ऐसे किसान हों, जिनकी फसल क्षति हो गयी और आपके अधिकारी ने रिपोर्ट सही नहीं दिया, जिस कारण से वे वंचित हो रहे हैं तो ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिए आप कुछ जरूर कीजिए। इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, वह बता दीजिए ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो अध्यक्ष महोदय का निर्देश हुआ है, चूंकि प्रश्न बहुत अच्छा है और किसानों से जुड़ा हुआ है.....

अध्यक्ष : किसानों के हित का मामला है ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : और इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : इसमें दोनों चीज है, किसानों का हित भी है और सरकार की नीतियों का सही क्रियान्वयन भी है ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : मैंने बैठक की है और जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, भाई शक्ति सिंह जी ने भी कहा कि मैंने विज्ञापन देखा नहीं है, अगर इसमें कमी होगी तो उसको आगे से हमलोग उसको डलवायेंगे और फसल कटनी प्रयोग को पोपुलर कराने का भी काम करेंगे ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो योजना है, वह बीमा कम्पनी जो किसान उसमें लुटाते थे, बीमा कम्पनी का जो लूट था, उससे बचाने के लिए यह योजना सरकार ने लायी है । मेरा एक ही निवेदन है कि मैं प्रखंड से लेकर जिला तक जानकारी लिया और जिला के लोग ने भी कहा, डी0सी0ओ0 ने भी कहा कि हमलोगों के स्तर से कहीं कोई सर्च नहीं हुआ तो फिर पटना में बैठकर सांख्यिकी विभाग ने कैसे लाखों किसानों का छटनी किया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को बुलाकर उसकी समीक्षा कर लीजिए।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : हम बता देंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : आप सिग्नेचरी नहीं हैं अवधेश जी ।

(व्यवधान)

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, क्या हो सकता है, उसी के हिसाब से आपने माननीय मंत्री जी का संरक्षण किया और हित में किया ।

अध्यक्ष : फिर आप सिद्दिकी साहेब वाली बात मत करिए । एक बात बताइए, अगर किसानों की सुविधा की बात किसानों के संज्ञान में डालना है तो इसमें मंत्री का हिस्सा है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : जो सवाल उन्होंने उठाया, उसमें आपने समझा कि खतरा क्या है, उन चीजों को आपने बिन्दुवार तरीके से रखा । सबसे बड़ी बात है कि जब पदाधिकारी को जिला में मालूम नहीं है, बैठकर सचिवालय में ये लोग आकलन करते हैं। इसके लिए वृहत बैठक करनी होगी, सिर्फ मुन्ना जी को बुलाने से सवाल हल नहीं होगा, यह सवाल पूरे बिहार का है ।

अध्यक्ष : आप भी चले जाइए । क्या सूचना है अवधेश जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना यह है कि प्रखंड में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, बी0सी0ओ0, बी0ए0ओ0 और सांख्यिकी विभाग, अगर बी0सी0ओ0 बी0ए0ओ0 और सांख्यिकी का, ये तीनों रिपोर्ट को सदन और माननीय मंत्री जी देखें, अगर बी0ई0ओ0,बी0सी0ओ0 ने रिपोर्ट दिया कि सुखाड़ है और सिर्फ सांख्यिकी विभाग कहता है कि 30 परसेंट और 40 परसेंट है तो यह किसानों के हित में है। इसपर सरकार ध्यान दे ।

टर्न–10/राजेश/18.7.19

सर्वश्री मनीष कुमार, रत्नेश सादा एवं अन्य छह सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मनीष कुमार: अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष सावन माह में करोड़ों श्रद्धालु .....(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारे तरफ आपका ध्यान नहीं है ।

अध्यक्ष: आपकी तरफ तो पूरा ध्यान है । हम आगे बढ़कर घूमकर भी आप ही को देखते है।

श्री ललित कुमार यादव: हम तो आपसे पूछे महोदय लेकिन आप मनीष कुमार के तरफ चले जाते हैं ।

अध्यक्ष: नहीं–नहीं । हम आप ही तरफ देख रहे हैं । बोलिये,भगवान ने आपको वह कद–काठी दी है कि आपको बिना देखे रह कैसे सकते है ?

श्री ललित कुमार यादव: आप मनीष कुमार को देख लेते हैं ।

अध्यक्ष: नहीं–नहीं, हम आपको देखते हैं । आप पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, यह इनकी पुरानी नीति है, कोई नई नीति लाकर जो इसमें दोष है, उसको दूर करते हुए बिहार के किसानों को ये लाभ देना चाहते है ।

दूसरा मेरा महोदय यह है कि रैयत किसान जो हैं, क्या उसके लिए सरकार की कोई नीति है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ललित जी, दोनों बातें सरकार ने पहले ही बता दी हैं कि जो अभी सहायता दी गयी है संख्या के हिसाब से, रैयत से अधिक गैर रैयात किसानों को ही उन्होंने सुविधा दी है, उन्होंने मूल जवाब में ही कहा था और जहाँ तक प्रणाली में सुधार की बात है, उन्होंने कहा है विज्ञापन वाली बात भी, कि आप जो भी सूचना देंगे, उसपर वे करेंगे । अब जांय न मनीष जी के पास ललित जी, अरे भाई, अब जाय न मनीष जी के पास । मनीष जी पढ़िये ।

श्री मनीष कुमार: अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष सावन माह में करोड़ों श्रद्धालु एवं भक्त सुलतानगंज से पवित्र गंगा जल के साथ देवघर तक की पैदल यात्रा कर बाबा भोले नाथ को जल अर्पित करते हैं । सावन माह के अलावे पूरे वर्ष भी श्रद्धालुओं एवं भक्तों की यात्रा कावंड़िया मार्ग पर होती रहती है । सुलतानगंज से दूम्मा तक यह मार्ग बिहार राज्य के अंतर्गत है लेकिन असरगंज से दूम्मा तक इस रास्ते की स्थिति काफी खराब होने के कारण सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इस पथांश पर एक बड़ी राशि व्यय कर लाल बालू डालकर मार्ग को सहज बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष डाला गया यह लाल बालू वर्षा के पानी में बहकर खेतों में चला

जाता है, जिससे खर्च की गयी राशि अगले वर्ष तक उपयोग के लायक नहीं रहती है ।

अतः इस पथांश पर गार्ड वॉल बनाते हुए इस पर गंगा बालू डालकर श्रद्धालुओं के लिये पथ को सरल एवं सुगम बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, आपको ध्यान में होगा कि यह कच्चा कॉवरिया पथ एन0डी0ए0 की सरकार ने ही बनाने का काम किया है और माननीय सदस्य ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है.....(व्यवधान)

माननीय सदस्य अवधेश बाबू पहले पूरी बात को सुना कीजिये । मैंने कच्चा कॉवरिया पथ की बात की है, हमने बनवाया है, हमारी एन0डी0ए0 की सरकार ने ही बनवाया है, आपने नहीं बनाया है । आप बैठिये । हर समय खड़ा हो जाते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप जवाब जारी रखिये ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, करते तो है ये लोग कुछ नहीं और जो करता है उसको श्रेय भी नहीं देते है, यह कैसे होगा । महोदय, मैंने पहले ही कहा कच्चा कॉवरिया पथ एन0डी0ए0 की सरकार ने ही बनवाया महोदय, मैं ही उस समय पथ निर्माण मंत्री था, इसलिए कहना चाहता हूँ, आप भी तो रहे हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलिये ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह विषय बड़ा ही माकूल है और जब से कच्चा कॉवरिया पथ हमलोगों ने बनाया तब से मिट्टी डालना, बालू डालना, यह सब करते रहे हैं और जिस समस्या की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, उसपर हम सभी का ध्यान भी आया है, इसलिए सरकार ने तय किया है कि पूरा कॉवरिया पथ जो सुलतानगंज से असरगंज, तारापुर, जिलेबिया, कटोरिया, दूम्मा होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है, उस पूरे कच्चे कॉवरिया पथ में हम गॉर्ड वॉल, कॉवरियों को तत्काल आराम देने हेतु सिटिंग प्लेटफार्म आदि का निर्माण करेंगे, इसका निर्णय हमलोगों ने किया है महोदय । महोदय, इसका स्टीमेट बनाने का आदेश दे दिया है लेकिन इस बार तो नहीं हो पायेगा महोदय, उतना समय नहीं है लेकिन अगले श्रावणी मेला के पूर्व इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा । इस वर्ष महोदय पूरी लंबाई में तीन ईंच बालू डालने का प्रावधान किया गया है, जिसे पूरा महीना मेनटेन किया जायेगा ।

श्री मनीष कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ । यह बात सही है कि एन0डी0ए0 की सरकार जब 2005 में आयी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह नया पथ का परिवर्तन किया गया लेकिन महोदय इसमें जो लाल बालू डाला जाता है, मेरा स्पेसिफिक क्वेशचन था कि लाल बालू

की जगह पर गंगा बालू डाला जाय और इस बात से सारे लोग परिचित है कि लाल बालू की जगह अगर गंगा बालू रहे, तो चलने में बहुत सहुलियत होती है, सुविधा होती है, यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और मुझे लगता है कि इस सदन के बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जो कॉवरिया मार्ग का उपयोग भी करते हैं, श्रद्धालु के रुप में जाते हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ महोदय कि गॉर्ड वॉल का तो इन्होंने आश्वासन दिया लेकिन गंगा बालू देना चाहते है कि नहीं, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य को ध्यान में होगा कि गंगा नदी जो सुलतानगंज से कहलगॉव तक का जो क्षेत्र है महोदय, यह डॉलफिन संरक्षित क्षेत्र है, यह घोषित है महोदय और इसके कारण से वहॉ से गंगा बालू के उत्खनन पर प्रतिबंध है और इसीलिए चाहने के बावजूद कठिनाई है, इसलिए हम उस पथ में गंगा बालू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लाल बालू के प्रयोग के लिए हमने निदेश दिया है, कभी-कभी शिकायतें आती हैं कि मोटा लाल बालू दिया जा रहा है, तो हमने निदेश दिया है कि उसको चाला जाय और चालकर महीन बालू ही प्रयोग में लाया जाय, यह निदेश दिया गया है ।

श्री मनीष कुमार: महोदय, गंगा बालू केवल सुलतानगंज से लेकर कहलगॉव तक ही नहीं है महोदय, गंगा तो गंगोत्री से शुरु होता है और यह मालदा तक जाता है, अगर वहॉ पर बैन किया गया है महोदय, तो उससे थोड़ा पश्चिम जा करके मोकामा से उठाया जाय, बक्सर से उठाया जाय .....(व्यवधान)

अध्यक्ष: कहॉ से बालू उठाया जाय, इसके बारे में कुछ कहा है क्या ?

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री: महोदय, इन्होंने बताया स्पेसिफिक कि उस एरिया में गंगा बालू उत्खनन नहीं हो सकता है, यह बात तो सर्वविदित है कि वहॉ पर गंगा बालू का उत्खनन नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष: बालू ये कहॉ से लायेंगे, यह आप कैसे समझ गये । माननीय मंत्री जी बालू कहॉ से लायेंगे, इन्होंने तो नहीं कहा । दूसरी बात इन्होंने साफ कहा है कि मोटा बालू देने से कॉवरिया को चलने में दिक्कत होगी, इसलिए ये बालू को चलवाकर जो पतला बालू होगा, वही डालेंगे, अब क्या समझना चाहते हैं ?

श्री मनीष कुमार: महोदय, बिना गंगा बालू के नहीं हो पायेगा ।

अध्यक्ष: अब हो गया ।

सर्वश्री आलोक कुमार मेहता, भोला यादव एवं अन्य चार सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान आरक्षण नियमों के अनुसार सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में सीटों के आवंटन में कुल सीट का 01% अनुसूचित

जनजाति को, अनुसूचित जाति 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 18%, पिछड़ा वर्ग 12%, आरक्षित वर्ग की महिला 03% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन विभागों द्वारा कुल उपलब्ध सीटों में से सर्वप्रथम 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घटाकर शेष सीटों का 50% (अर्थात् 90 का 50%) ही आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिससे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 05% सीटों से वंचित हो जा रहे हैं ।

उदाहरण स्वरूप बिहार के मेडिकल, डेंटल, भेटनरी कॉलेजों में नामांकन हेतु चल रहे काउन्सिलिंग में उपलब्ध कुल 1024 सीटों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 100, सामान्य कोटि को 461 (कुल 561 सीट) जबकि सभी आरक्षित श्रेणी को कुल मिलाकर 463 सीटों पर ही नामांकन किया जा रहा है, जिससे आरक्षित श्रेणी को अनेकों सीटों से वंचित किया जा रहा है ।

अत: मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कुल सीटों में से नियमानुसार आरक्षित श्रेणी (SC, ST, MBC, BC, BCW) को 50% सीट तथा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ देने हेतु वर्तमान के काउंसिलिंग को रोककर नियमानुकूल सीटों का आवंटन करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-11/सत्येन्द्र/18-7-19

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष: अब इस पर बात नहीं रखी जाती है, आप स्थान ग्रहण कर लें । आपने बिल्कुल ही शुरू में कहा कि यह मामला गंभीर है । इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही आसन ने इसकी स्वीकृति दी थी वरना तो दर्जनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इस मुद्दे की महत्ता को देखते हुए जब इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री देंगे तो आप सुनेंगे न ? आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न स्वास्थ्य विभाग से पूछा है तो हम सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि जब....

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: आप इसमें सिग्नेचरी नहीं है, आप नहीं समझा सकते हैं । आप सिग्नेचरी नहीं है, आप बैठ जाईए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: इसमें जवाब तो सामान्य प्रशासन एवं कार्मिक विभाग देगा ।

अध्यक्ष: ये चूंकि मेडिकल कॉलेज का मामला है । आप अंतिम पारा, ऑपरेटिव पार्ट पढ़िये न ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, ये उदाहरण दिया गया है, ये विशुद्ध रूप से आरक्षण का मामला है, सामान्य प्रशासन एवं कार्मिक विभाग को इसका उत्तर देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है, आप बैठ जाईए । सामान्य प्रशासन आरक्षण के नियमों की अधिसूचना निकालता है, आरक्षण से संबंधित नियमों को सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचित करता है लेकिन अपने अपने विभागों में उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना ये विभाग का दायित्व होता है । आपने इसके ऑपरेटिव पार्ट में मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का पालन हो रहा है कि नहीं, उसके संबंध में पूछा है । अभी हम प्रश्न स्थगित करते हैं ।

अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/मधुप/18.07.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, गृह विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिये 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	- 60 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 19 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	- 2 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 2 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 1 मिनट
निर्दलीय	- 3 मिनट

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, ये प्रभारी मंत्री कब से हो गये गृह विभाग के ?

अध्यक्ष : जब से जवाब दे रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आपके प्रभारी तो हम हैं न, बैठिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर प्रभारी मंत्री मौजूद नहीं हैं...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"गृह विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 109,68,58,44,000/- (एक सौ नौ अरब अड़सठ करोड़ अंठावन लाख चव्वालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मॉग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । ये सभी व्यापक हैं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, चूंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है और इसके प्रभार में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं हैं और जब माननीय मुख्यमंत्री गृह विभाग की मॉग पर यहॉ उपस्थित नहीं हैं तो हम अपना प्रस्ताव क्या मूव करेंगे ? जब गृह विभाग के प्रभारी मंत्री होते तो मैं प्रस्ताव मूव करता और इसपर बोलता । मगर चूंकि प्रभारी मंत्री नहीं हैं इसलिये मैं मूव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक की मॉग 10/- रूपये से घटाई जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर सरकार द्वारा अनुदान मॉग लाया गया है, हमलोग कटौती-प्रस्ताव लाये हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, प्रभारी मंत्री जी आ गये ।

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहब, अब आपका समय निकल गया ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय मुख्यमंत्री जी समय पर नहीं आये तो हम क्या मूव करते !

अध्यक्ष : सरकार तो उपस्थित थी ही ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सरकार तो सरकार है, सरकार उपस्थित है लेकिन....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये पुराने माननीय सदस्य हैं, मंत्री भी कई बार रह चुके हैं, इनको जब ज्ञान का अभाव है तो मुझे हैरत हो रही है । अब थोड़ा उम्र का असर हो गया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : इनसे अगर ज्ञान सीखना होता तो फिर हम यहॉ थोड़े ही आते । इतने बड़े ज्ञानी हैं आप । माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, कुछ सीखिये। थेथरई मत कीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि इनको बुढ़ापे का असर हो गया है । मैंने यह नहीं कहा कि आप अज्ञानी हैं लेकिन उम्र का असर हो गया है और दरभंगा के पानी का भी असर हुआ है ।

अध्यक्ष : अब आप दोनों से पूछकर हम आगे बढ़ें !

श्री ललित कुमार यादव जी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, भारत गणराज्य में सभी राज्य को संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कानून-व्यवस्था के तहत जहॉ शासन व्यवस्था जनता के लिए, जनता द्वारा, महोदय, यह शासन जनता के लिए सरकार चुनती है और जनता के लिए यह शासन व्यवस्था की जाती है ।

महोदय, आज गृह विभाग का अनुदान मॉग है, हमलोग जानते हैं कि हमारे राज्य में कम पुलिस रहते हुये भी जो बिहार के पुलिस हैं, उसके जो कार्य हैं, बिना उनके हमारे राज्य की कानून-व्यवस्था एक मिनट नहीं चल सकती है । कम पुलिस रहते हुये जिस तरह से वे सेवा देकर काम कर रहे हैं, हमको इसपर गर्व है कि वे अपनी सेवा हमलोगों को अनवरत देते रहते हैं और राज्य में अमन-चैनम ये कायम रखते हैं । लेकिन महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज राज्य के इतने बड़े विभाग का अनुदान मॉग जो सरकार के द्वारा लाया गया है, हमलोग इसकी स्वीकृति के पक्ष में क्यों रहें ? क्यों हमलोग स्वीकृति दें ? चूंकि सरकार, जो विधि-व्यवस्था है और अमन-चैन है, उसमें विफल है । विफल इस मामले में है कि प्रत्येक दिन आप अखबार देखिये, सरकार विफल है लेकिन हमें पुलिस पर गर्व है जो इतनी कम संख्या में रहकर भी राज्य की विधि-व्यवस्था को मेन्टेन करने की कोशिश करते हैं ।

महोदय, गिरती विधि-व्यवस्था का आप अखबार में प्रतिदिन देखिये, सुबह में हमलोग उठते हैं, जब भी देखते हैं, प्रत्येक दिन लूट, हत्या, बलात्कार, इसके अलावा समाचार-पत्र में कुछ भी नहीं रहता है । महोदय, हम आपके समक्ष कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारे राज्य की अभी जो विधि-व्यवस्था है, पिछले एक माह में केवल, जो अप्रील माह है, उसमें देखिये, 16 अप्रील को शादी समारोह से भोर में घर लौट रहे थे, रौशन की गोली मारकर हत्या, 2 मई को पंडारक में सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या । इस तरह से 5 मई, 10 मई, 11 मई, 14 मई, 19 मई, 20 मई, 22 मई, 26 मई, 27 मई, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के किदवईपुरी में मॉर्निंग वॉक के दौरान रवि कुमार की गोली मारकर हत्या ।

महोदय, इस तरह से यह मात्र एक माह का हत्या का हम आंकड़ा सदन के संज्ञान में रखना चाहता हूँ । महोदय, लूट और रंगदारी के मामले में, 1 मई को अगमकुऑ थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड निवासी विधायक राजेश कुमार से रंगदारी मॉगा गया । महोदय, मोकामा के नगर परिषद कार्यालय के बगल में निजी फायनेंस कम्पनी कर्मी से 13 लाख रू0 की रंगदारी । महोदय, इस तरह के करीब 25 आंकड़े हैं हमारे पास । महोदय, जब एक माह में इतना लूट, हत्या, अपहरण होता है तो इस राज्य में गिरती कानून-व्यवस्था का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है ?

महोदय, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो पुलिस विभाग का आंकड़ा उपलब्ध है, संज्ञेय अपराध-19499 केवल अप्रील, 2019 तक का है, हत्या-222, डकैती-21, लूट-158, चोरी-2785, दंगा-511, अपहरण-985, रेप-127, रोड डकैती-22, रोड लूट-145 । यह जनवरी, 2019 से अप्रील, 2019 तक का आंकड़ा है। संज्ञेय अपराध-86161, हत्या-947, डकैती-109, लूट-642, चोरी-11265, दंगा-2298, अपहरण-3488, रेप-480 । महोदय, यह राज्य का फिगर है और राज्य की गिरती-व्यवस्था का यह सरकार को आईना है ।

महोदय, सरकार की लापरवाही के लिए मैं सदन के माध्यम से गृह विभाग का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव जी का एक प्रश्न दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा की जमीन के संबंध में था ।

... क्रमशः ...

टर्न-13/आजाद/18.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 5 साल से राशि दी गई है और यहां इसके संबंध में गृह विभाग और भवन निर्माण विभाग से प्रश्न का जवाब आता है कि 5 साल से जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है । तार कांटा किया हुआ बौन्ड्री के लिए 5 साल से राशि है । जिला प्रशासन और पुलिस के नकारात्मक सहयोग के कारण, यह सरकार का उत्तर है महोदय । यह कोई मेरी बात नहीं है महोदय । भवन निर्माण मंत्री और गृह विभाग का भी जवाब है । महोदय, वहां पर दूसरी वारदात महोदय 570/15, 24.7.2015, 585/15, 388/15, 415/2004 में भी, इस तरह से महोदय भू-माफिया द्वारा उस इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन को जो तार कांटा किया हुआ है, उसमें से मिट्टी काटकर बेच देना, अन्य तरह से 10 केस मब्बी थाना में हुआ है महोदय लेकिन पुलिस प्रशससन क्या कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ लीपा-पोती, एक केस में भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है । इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिखकर के थाना में, एस0एस0पी0 को भी दिया, 5 साल से राशि है, राशि 2 करोड़ 50 लाख रू0 दिया गया है और महोदय यह अब कम से कम 4 करोड़ हो जायेगा । 5 साल से राशि पड़ी हुई है, इसमें राशि जो बढ़ेगी, उसके लिए कोई जवाबदेह होगा कि नहीं महोदय ? मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । यह आपकी ही सरकारी जमीन है, आपकी ही राशि है और 5 साल से आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण घेराबंदी नहीं हो रही है । महोदय, राज्य की गिरती कानून व्यवस्था और राज्य के अकर्मण्यता

यह पुलिस और प्रशासन विधि-व्यवस्था हर मोर्चे पर सरकार विफल है । हम इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि सरकार अभी भी चेते ।

दूसरा महोदय, हमलोग कल देख रहे थे, एक मैसेज लीक हुआ था, यह सभी क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, सभी जिला विशेष शाखा पदाधिकारी, यह विषय है- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं उनके सहयोगी अग्रणी संगठनों के संबंध में महोदय कुछ लिखा गया है, जो आपके संज्ञान में है या नहीं, उसमें दिया गया है कि 19 ऐसे संगठन हैं, जिनकी सरकार, यह तो महोदय रूटीन वर्क है, सरकार इस तरह की जॉच कराती रहती है लेकिन महोदय, यह अच्छी बात है, सरकार जॉच करावे लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं ए0डी0जी0 स्पेशल ब्रांच का कल एक पी0सी0 हुआ महोदय, उससे लगता है कि यह मामला कहीं न कहीं गंभीर है और लगता है कि सरकार किसी से डर रही है या क्या है महोदय, यह सरकार बतावे । महोदय, कहा गया कि एस0पी0 के स्तर से पत्र निकला है, जो आनन-फानन में पी0सी0 का क्या औचित्य है, यह मुझको समझ में नहीं आता है । लगता है कि सरकार किसी के दबाव में है और उसमें साफ स्पष्ट है कि एस0पी0 के स्तर से यह पत्र निकला है । एस0पी0 के स्तर से पत्र निकला है महोदय लेकिन डी0आई0जी0 को भी गया है, आई0जी0 को भी गया है .....

(व्यवधान)

हमको दर्द हो रहा है कि आपलोग साम्प्रदायिक हैं, आपलोगों पर सरकार अंकुश लगाने में अक्षम हो रही है । दंगाई लोग, ये जो दंगाई संगठन है महोदय, यह साम्प्रदायिक संगठन है, इसपर अंकुश लगनी चाहिए । यह सरकार का रूटीन वर्क है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : अभी बैठिए, अभी कोई बात नहीं ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, इन्होंने आपत्तिजनक बात की है .....

अध्यक्ष : कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है । आप बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल, ये हिन्दु जागरण समिति, महोदय.....

अध्यक्ष : संजय सरावगी जी, बैठ जाईए । ललित जी को बोलने दीजिए, बोलिए ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संजय जी, आपकी बारी आयेगी तो आप अपनी बात कहियेगा । ठीक है । ललित जी बोलिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उसमें जो विशेष शाखा, बिहार, पटना द्वारा पत्र में अनुरोध किया गया है, सरकार जॉच करा रही है, हमारी गतिविधि की भी सरकार जॉच करा सकती है । किसी का भी, मंत्री के गतिविधि का भी जॉच करा सकती है तो इन लोगों को महोदय, यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद् ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : फिर आपस में बात का सिलसिला बढ़ रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हिन्दु जागरण समिति, धर्म जागरण समन्वय समिति, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हिन्दु राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय सेवका समिति, शिक्षा समिति, दुर्गावाहिनी, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान मजदूर संघ, भारतीय रेलवे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और हिन्दु महासभा, हिन्दु युवावाहिनी, हिन्दु पुत्र संगठन इस तरह से 19 संगठन, सरकार हमारी भी गतिविधि की जॉच करा सकती है । सरकार मंत्री का भी, सरकार किसी की भी जॉच करा सकती है । सरकार को यह अधिकार है, जिन लोगों को दर्द हो रहा है महोदय, हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इच्छाशक्ति दिखाईए, सरकार दिखावे । आप याद करिए कि आपके ही समस्तीपुर में लालू यादव जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आडवाणी जी जैसे नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजा था । आज भी आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है, सरकार को हिम्मत दिखाने की जरूरत है । सरकार हिम्मत जुटावे, यह तो छोटा संगठन है । जब उनके आंका आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तो यह संगठन के लोग छोटे-मोटे लोग हैं महोदय । सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपका यह जॉच जो भी है, डी0आई0जी0 को भी मिला है, एस0एस0पी0 को भी, यह कहा गया कि नहीं वरीय पदाधिकारी को कोई संज्ञान में नहीं है तो विशेष शाखा, खुफिया विभाग है, सबको कैसे जानकारी देगी । लेकिन सरकार को दे सकती है, मुख्यमंत्री जी को दे सकती है । जिस विभाग के मंत्री हों, उनको और मुख्यमंत्री को दो आदमी के प्रति यह विभाग जवाबदेह है खुफिया विभाग ....

अध्यक्ष : आप सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम यह कह रहे हैं कि ए0डी0जी0,मुख्यालय को , उन्होंने कहा कि एस0पी0 के अलावा किसी के संज्ञान में नहीं था तो महोदय डी0आई0जी0 के संज्ञान में था, आई0जी0 के संज्ञान में था विशेष शाखा और किसको जानकारी देगा महोदय, मैंने कहा कि गृह मंत्री को जानकारी दे सकता है । उसके प्रति जवाबदेह है, मुख्यमंत्री को विशेष शाखा बता सकती है । महोदय, ये सारे लोगों की

जानकारी में यह था और यह सरकार हिम्मत, इच्छाशक्ति दिखाये, सरकार अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करे, लेकिन पता नहीं यह सरकार डर गई है, क्या बात है महोदय, आनन-फानन में पी0सी0 हुई । महोदय, जॉच होनी चाहिए जो लोग हों, अगर हम यदि उग्रवादी संगठन या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, समाज में जो लोग विद्वेष फैलाना चाहते हैं तो हम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए , नहीं तो जितने संगठन के लोग हैं, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए महोदय । इस राज्य में दंगा फैलाने की छूट नहीं दीजिए महोदय । महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री नेमतुल्लाह साहब अपनी बात रखेंगे, सूची में है । हम अपनी बात को समाप्त करते हैं ।

अध्यक्ष : श्री चन्द्रसेन प्रसाद ।

ललित जी, आपने 15 मिनट समय ले लिया है और आपका नाम आपके ही द्वारा भेजी गई सूची में कहीं नहीं है । अब आगे जो नामजद लोग हैं, उनके बारे में सोचियेगा अगर उनको समय नहीं मिलेगा तो । अब चन्द्रसेन जी का सुनिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग पर अनुपूरक बजट पर बात रखने के लिए कहा गया है । इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ इस विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में आज बिहार न्याय के साथ विकास और सुशासन की सरकार चल रही है ।

महोदय, हम उस ओर जाना चाहते हैं और हम माननीय सदस्य विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि गृह विभाग, आप 2005 के पहले याद कीजिए कि गृह विभाग में क्या होता था, हम उस आंकड़ा की ओर जाना नहीं चाहते हैं लेकिन जाना चाहते हैं कि जिस आंकड़ा को आपने पढ़ने का काम किया, वह 2005 के पहले के भी आंकड़ा को पढ़ने का काम कीजिए ।

महोदय, आज बिहार में न्याय के साथ विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है । बिहार में गृह विभाग जहां बिहारियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है, वही न्याय के साथ विकास की गाड़ी में जब सुशासन है, शासन है, तब बिहार में विकास हुआ है । यानी यहां पर कानून का राज है और कानून का राज सबका साथ, सबका विकास है । महोदय, इसी बिहार में आप जानते हैं, महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसी बिहार में सभी लोगों के सहयोग से शराबबंदी हुई ।

..... क्रमशः .....

टर्न–14/शंभु/18.07.19

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : क्रमशः....शराब बन्दी की लोग कल्पना नहीं करते थे कि इस बिहार में जहां पर कानून का राज नहीं था शराब बन्दी हो सकेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसी बिहार में कानून के राज में शराब बन्दी लागू हुआ और कानून का राज शराबबन्दी लागू होने से इस क्षेत्र में काफी रोकथाम किया गया । इसमें काफी लोगों को कानून के तहत पकड़कर रोक लगाने का काम किया गया । बिहार पर नजर दुनिया के लोगों का लगा हुआ था कि क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि बिहार जैसे राज्य में शराब बन्दी लागू हो गया । महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार में इन्होंने शराबबन्दी लागू करने का काम किया है । कानून का राज, इसी बिहार में याद कीजिए उस क्षण को यहां आने से लोग भड़कते थे । जब बिहार आने की बात होती थी तो लोग यहां आने से भड़कते थे उस समय कैसा कानून का राज था, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अमन–चैन का राज कायम हुआ तो इसी बिहार में लोग पूरे देश और दुनिया से आकर रहने लगे, लोगों के साथ न्याय होने लगा और लोगों के साथ न्याय के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का कार्य होने लगा। महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पुलिस का यहां पर आधुनिकीकरण करने का काम किया गया । इतना ही नहीं जब झारखण्ड और बिहार का बंटवारा हो गया था तो यहां पर पुलिस अकादमी नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजगीर जैसे जगह में पुलिस अकादमी का निर्माण कराया गया और वहां पर आधुनिक तरीके से पुलिस कर्मियों को स्मार्ट पुलिस बनाने का काम किया जा रहा है । हम बताना चाहते हैं कि उसी राजगीर की धरती पर पुलिस के लोगों को सारी व्यवस्था से लैस होकर ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है । आज बिहार पुलिस स्ट्रेन्थ से इतना परिपूर्ण है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है । बिहार में लोग कहते थे जब कानून का राज नहीं था तो इसी बिहार में दंगा होता था, फसाद होता था और आज इसी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से इनका शासन शुरू हुआ यहां पर न कोई दंगा हुआ, न कोई फसाद हुआ । हुआ इतना कि जब भागलपुर में दंगा हुआ था और पीड़ित लोगों को इन्होंने सुरक्षा प्रदान करने का काम किया, मुआवजा देने का काम किया । महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसी बिहार में कानून के राज के चलते चाहे कब्रिस्तान के घेराबन्दी का सवाल हो– आज पूरे बिहार में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने के लिए कब्रिस्तान की घेराबन्दी का काम कराया जा रहा है, मुसलमान भाइयों के साथ और अब तो हिन्दुओं के लिए भी मंदिर की घेराबन्दी हो रही है। दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलकर

के इस बिहार को वैसे विकसित बिहार की श्रेणी में बढ़ाना है जिसकी कल्पना शायद पूरे हिन्दुस्तान के राज्य के लोग नहीं करते हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहां पर इसी सुशासन की सरकार में लूट में कमी आयी, डकैती में कमी आयी- पहले जब कोई घटना होती थी तो लोग जाते थे थाने में और कोई एफ0आइ0आर0 लेनेवाला नहीं होता था, लेकिन आज इसी बिहार की धरती पर किसी भी थाना में जाइये, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइये एक सिस्टम बना हुआ है तुरंत थाना में आपका एफ0आइ0आर0 दर्ज होगा और उसपर कार्रवाई होगी । कोई घटना होती है लेकिन सुशासन के सरकार में उसपर कार्रवाई होती है । महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि घटना घटी और लोगों को न्याय नहीं मिला । इसलिए महोदय, आज हम गृह विभाग के अनुपूरक बजट पर कहना चाहते हैं कि जो भी राशि सरकार ने रखा है उसमें निश्चित रूप से विपक्षी सदस्यों को स्वीकृति देने की बात है । हम कहना चाहते हैं कि जो पुलिस थाना होता था, पहले की जो परिस्थिति थी वह थाना में भवन नहीं होता था । थाना में पुलिसकर्मियों को रहने के लिए जगह नहीं था, लेकिन इसी बिहार में सुशासन के राज में पुलिस थाना स्थापित करने का एक कंपनी बना और आज सभी थाना को आधुनिक बनाया जा रहा है । जिससे कि पूरे बिहार में कहीं भी कोई अपराध अगर घटता है तो निश्चित समय के अंदर वहां पर सुरक्षाकर्मी जाते हैं और उनपर कार्रवाई करने का काम करते हैं । महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसी बिहार से लोग छोड़कर जा रहे थे और आज परिस्थिति है कि लोग बिहार में वापस लौट रहे हैं । यही गृह विभाग का कमाल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सका है । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार में जब कानून का राज है तो निश्चित तौर पर लोग न्याय के साथ विकास की गाड़ी में चाहे विकास का कोई भी सवाल हो- कहीं के लोग आते हैं । पहले बाहर के लोग यहां पर आने से भड़कते थे कि हम वहां जायेंगे तो सुरक्षित वापस लौटेंगे कि नहीं लेकिन विकास की गाड़ी में आज गृह विभाग पूरे देश से लोग आते हैं और अपना विकास का काम करके बिहार का विकास आगे बढ़ाने का काम करते हैं । यहीं महिलाओं के लिए सात निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लागू हुआ । महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया । महोदय, वहीं गृह विभाग ने महिलाओं को सिपाही में भर्त्ती करने के लिए एक स्थान दिया गया, आज हमलोग देखते हैं कि बिहार की महिलाएं भी अस्त्र-शस्त्र लेकर हमलोगाों के सुरक्षा में लगी रहती है । हमलोग पहले जब दिल्ली जाते थे तो वहां सोचते थे कि यहां तो महिला भी पुलिस है, लेकिन आज यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और

सुशासन के कृपा से बिहार की महिलाएं भी रक्षा करने में सक्षम है । हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति गृह विभाग निश्चित तौर पर सुशासन की सरकार जो है लोगों को सुरक्षित–पहले लोग जातपात करने का काम करते थे, लेकिन आज गृह विभाग की तरफ से जो व्यवस्था हुआ है उसमें आपसी सौहार्द्र है और मिलजुलकर के न्याय के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : अब एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, अंत में हम कहना चाहते हैं कि हमारे जिले में भी गृह विभाग बढ़िया काम कर रहा है और हमारे एकंगर सराय थाना और इस्लामपुर थाना क्योंकि एकंगर थाना में नया भवन का निर्माण हो गया है, इस्लामपुर थाना का भी निर्माण चल रहा है और जल्द ही निर्माण हो जायेगा । वही ओम्बारी थाना भवन का निर्माण हुआ, तेल्हारा में भी नये थाना भवन का निर्माण हुआ, लेकिन मैंने एक पुलिस चौकी के लिए निवेदन किया था पारथू मकदुमपुर रोड में गृह विभाग से जवाब भी आया था कि वहां पर स्थापित किया जायेगा । महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वहां पर जल्द से जल्द चौकी स्थापित करने की कृपा की जाय । साथ ही महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस्लामपुर एक बहुत बड़ा प्रखंड है, लेकिन जैतीपुर एक इन्टेरियर इलाका है और जैतीपुर से इस्लामपुर की दूरी 8 कि0मी0 हो जाता है और 8 कि0मी0 के अंदर कोई चौकी नहीं है । इसलिए महोदय, हम जैतीपुर में एक पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग करते हैं । अंत में आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि बिहार में जंगलराज से आज मंगलराज में बदल गया है । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय हिन्द, जय बिहार ।

टर्न–15/ज्योति/18–07–2019

अध्यक्ष: श्री मिथिलेश तिवारी, आपके लिए समय है 8 मिनट ।

श्री मिथिलेश तिवारी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं बजट सत्र 2019–20 के लिए पेश गृह विभाग द्वारा लाए गए कुल 10349.98 करोड़ रुपये के बजट पर कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसके लिए महोदय, मैं आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और बैकुंठपुर की महान जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ । गृह विभाग पर चर्चा के पहले कुछ चीजें इस सदन में भी कहना जरुरी है । पक्ष के विपक्ष के सब हमारे माननीय बैठे हुए हैं शायद उनकी स्मृति थोड़ी कमजोर होगी तो याद भी आ जायेगा । इसलिए महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि 2005 के पहले बिहार में सरकार थी तथाकथित (व्यवधान) सुन लीजिये, सुनिये, बड़ा अच्छा

लगेगा आपको, चिंता मत करिये, पूरा पोल खोलेंगे आपका । 2005 के पहले अध्यक्ष महोदय, जो बिहार में सरकार थी तथाकथित कहा जाता था कि जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य इस बिहार को चलाते थे, जब उनके हाथ में सरकार थी, 15 साल जो बिहार में त्राहिमाम था तो उस समय उसके बाद जब बिहार में सत्ता आदरणीय नीतीश जी को सौंपी गयी तो नीतीश कुमार जी भी जयप्रकाश जी के अनुयायी के रुप में जान जाते हैं इसलिए जब माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता अपने हाथ में ली तो उन्होंने एक संकल्प किया और वह संकल्प जयप्रकाश जी के चरणों में किया, वह दो लाईन मैं बोलकर अपनी बात शुरु करुंगा । ''जयप्रकाश जी रखो भरोसा टूटे सपनों को जाड़ेंगे चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोडेंगे ।'' यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था और ये हमारे जो मित्र हैं विपक्ष के ये लोग भूल जाते हैं, 2005 से पहले बिहार के बहुचर्चित डॉक्टर हुआ करते थे रमेश चन्द्रा, उनका अपहरण किसने कराया था, क्यों हुआ था, उसके बाद वह बिहार छोड़कर चले गए । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा पूरे बिहार को कि 2005 से पूर्व डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण होता था, अब हमारी सरकार में मेदान्ता जैसा अस्पताल बिहार में खुल रहा है, यह परिवर्तन बिहार में हुआ है । 2005 से पूर्व इसी बिहार में, मैं एक नाम भूल रहा हूं, शायद सही हूं तो दीना नाथ मांझी एक ड्राईवर हुआ करते थे, उनका नाखून खींच लिया गया था इसी बिहार में महोदय और इसी बिहार में अब स्वर्गीय दशरथ मांझी को आई कॉन बनाने का काम यह सरकार कर रही है यह अंतर हुआ है । 2005 से पूर्व एक मंत्री के द्वारा जो आज इस सदन में एक विधायक के रुप में है पता नहीं कहीं चले गए हैं, उनको याद हो सकता है कि शायद यह चर्चा हो जाय । 2005 के पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी की शादी होती थी तो पटना के सारे फर्निचर की दुकान से सारा सोफा उठा करके लाया जाता था और आज की हमारी यह सरकार है महोदय, यह सरकार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मुद्रा लोन दे करके और छोटे छोटे इसप्रकार के जो लकड़ी के व्यवसायी हैं, उनको प्रोमोट कर रही है और उनको पेंशन देने का काम कर रही है । यह काम कर रहे है । 2005 से पूर्व जो बिहार में सरकार थी उस सरकार का ऐसा इकबाल था कि पुलिस आगे भागती थी और अपराधी उसके पीछे दौड़ते थे । पुलिस जान बचाती थी अपराधियों से कि पता नहीं कौन सा अपराधी किस मिनिस्टर का रिश्तेदार होगा, अगर उसपर कार्रवाई करेंगे तो कल कुर्सी चली जायेगी लेकिन अब उल्टा हुआ है, अपराधी भाग रहे हैं और पुलिस खदेड़ रही है, यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । ये लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन में जो 1974 से 1977 का

समय था, पूरा देश आक्रान्त था, इसी बिहार से आन्दोलन हुआ था उसमें कितने ऐसे लोगों को जिन्होंने कौंग्रेस की बौराई सत्ता को चुनौती दिया उसको जेल में डालने का काम किया लेकिन जब हमारी सरकार आयी तो उनको जे.पी. सेनानी पेंशन के माध्यम से 3259 सेनानियों को पेंशन दे करके, उनके घर परिवार की चिंता कर रही है । यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । भ्रष्टाचार, यह हमारे मुख्यमंत्री जी का , हमारे उप मुख्यमंत्री जी का प्रथम संकल्प है और भ्रष्टाचार पर जीरो टौलरेंस हमारी नीति रही है और शायद हमारे विपक्ष के साथी इस आंकड़े को नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2018-19 में 33 सरकारी सेवकों को बर्खास्त किया गया है, इसके अतिरिक्त निगरानी वादों में शामिल 170 सेवकों पर विभागीय कार्यवाही संचालित है और 29 सरकारी कर्मी निलंबित है, यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । मैं तो कहूंगा कि मेरे ही क्षेत्र के एक थानाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको बर्खास्त किया शराब के मामले में पकड़े गए, यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । यह हमारी सरकार का इकबाल है । जब यहाँ प्रश्न काल होता है विपक्ष के हमारे बहुत साथी कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए खड़े होते हैं, सरकार से डिमान्ड करतें हैं, सरकार करा भी रही है, यह पहली सरकार है जिसने कब्रिस्तान की घेराबंदी की और मंदिरो की घेराबंदी का संकल्प ले करके काम कर रही है । यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है । महोदय, जो केन्द्रीय सुरक्षा बल है, जो हमारे केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों के सहादत होते थे उसमें अनुग्रह अनुदान राशि जो 5 लाख से बढ़ा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11 लाख की राशि का प्रावधान किया है, यह बहुत बड़ी बात हुई है । बिहार लोक शिकायत निवारण कानून के माध्यम से 2018 में कलाम इनोवेशन इन गवर्ननेंस एवार्ड तथा स्क्वैच एवार्ड फौर गवर्ननेन्स इस बिहार सरकार को मिला है जो शायद इनके शासन काल में एक भी एवार्ड नहीं मिलता था । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार सरकार के कार्य की प्रशंसा हो रही है । उसमें सी.ए.पी.एम. एवार्ड के फाईनल में सीटीजन फोकस इनोवेशन श्रेणी में सर्टिफिकेट औफ डिस्टींक्शन का सम्मान बिहार सरकार को मिला है इससपर तो सव को गर्व होना चाहिए । महिला की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार चिंतित है । दिल्ली पुलस की तर्ज पर हमारी मोबाईल ऐप हिम्मत पर कार्य चल रहा है जो बहुत जल्द हम लोगों के बीच आने वाला है । लापता किशोरों, बच्चों के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है और शराबंदी में अप्रील 2016 से दिसंबर 2018 तक 6 लाख 95 हजार 339 छापेमारी की गयी है जो अपने आप में एक रेकर्ड है । 1 लाख 35 हजार 796 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गय है इसलिए हमारी सरकार

का इकबाल है और यह सरकार अच्छा काम कर रही है । हम कहना चाहते हैं, अभी यहॉ पर कुछ लोग आर.एस.एस. के बारे में टिप्पणी कर रहे थे और शायद भूल गए जब कौंग्रेस सत्ता में थी अटल बिहारी बाजपेयी ने देश में पोटा कानून लागू किया था वह पोटा कानून किसके लिए आतंकवादितयों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ..

अध्यक्ष : अब आप एक मिनट में समाप्त करिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : एक मिनट में समाप्त करेंगे । वह पोटा कानून खत्म किया गया जिस कानून को अटल बिहारी बाजपेयी जी ने लागू किया था और कौंग्रेस की शासन आयी पोटा कानून खत्म कर वोट बैंक की चिंता की गयी और उनके साथ बैठे हुए हमारे विपक्ष के लोग हैं शाायद भूल रहे हैं अब इनके लिए तो महोदय, हम एक बात जरुर करेंगे । आपके हल्ला करने से और आपके फूट डालने से एन. डी.ए. गठबंधन मे किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नही आ सकती क्योंकि हमने तय किया है ''कुछ कांटो से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंजित यौवन निरवता से मुखरित मधुवन परहित अर्पित अपना तन मन जीवन को शत शत आहूति में जलना होगा, जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा । '' महोदय, मैं एक छोटा सा डिमान्ड कर अपनी बात खत्म करुंगा । महोदय, हमारा बैकुंठपुर क्षेत्र जो बहुत बड़ा क्षेत्र है और गोपालगंज सदर के एस.डी.पी.ओ. पूरे क्षेत्र को देखते हैं, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा इसलिए एस.डी. पी.ओ. का कार्यालय गोपालगंज के बैकुंठपुर के सिधवलिया में जो प्रखंड कार्यालय की खाली भूमि है, उसमें बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें एस.डी.पी.ओ. का कार्यालय खोला जाय ताकि अपराध में नियंत्रण हो सके । बैकुंठपुर में एक सर्किल इंसपेक्टर का पद स्वीकृत किया जाय । सभी कमीशनरी में महोदय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोला जाय । यह बहुत आवश्यक है और इसी के साथ महोदय, हम कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार में डब्ल इंजन की सरकार है और यह डब्ल इंजन की सरकार लगातार बिहार में विकास कर रही है और आर.एस. एस. के बारे में आप चिन्ता करिये, आर.एस.एस. एक ऐसा संगठन है जो बिना शादी विवाह किए पूरे देश को समर्पित करने वाला जीवन वाला संगठन है । उसकी तुलना देश में कोई नहीं कर सकता है और आपको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री विजय शंकर दूबे, आपका 9 मिनट समय है ।

श्री विजय शंकर दूबे : मेरी कौंग्रेस पार्टी का 19 मिनट टाईम है ।

अध्यक्ष : 9 मिनट का भी समय आप ही की पार्टी ने दिया है । हमने नहीं दिया है ।

श्री विजय शंकर दूबे : ठीक है । अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग की मांग पर कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आया है । अब्दुल बारी सिद्दिकी और अन्य माननीय सदस्यों की ओर से उस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आज राज्य में ।

क्रमशः

टर्न-16/18.07.2019/बिपिन

श्री विजय शंकर दूबेः क्रमशः... महोदय, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए इसलिए खड़ा हूं कि आज राज्य में अमन-चैन के बजाय अपराध के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं और आपराधिक घटनाएं, जितने तरह के आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, उसका ग्राफ दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है । इसलिए सरकार को अत्यधिक पैसा देकर क्या होगा ? राज्य की जनता महोदय, अमन-चैन से जीना चाहती है और अमन-चैन का प्रभाव, अब तो सरकार खुद समझती है, गृह विभाग के मुख्यमंत्री प्रभारी हैं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, दुबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के राज्य में ठीक होने के कारण बनी थी और उसके बाद महोदय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने । प्रायर गठबंधन था आर.जे.डी. कांग्रेस और नीतीश जी की, तब वे हुकूमत में आए और उस हुकूमत की, जनता के मैंडेट को तिरस्कार करके आज भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के साथ सत्ता में बने हुए हैं । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य में अमन-चैन होना चाहिए । सब दल के लोग चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है और कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस के हुकूमत काल में जितनी...

(इस अवसर पर श्री तारकिशोर प्रसाद ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया।)

कांग्रेस के हुकूमत काल में जितनी राज्य में विधि-व्यवस्था और सारे प्रबंध केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार काम करती थी और कांग्रेस भी चाहती है कि इस राज्य में अमन-चैन हो । सभापति जी, पिछले समय 2019 का मैंडेट आया । मैंडेट का बड़ा शोर भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1984 में कांग्रेस लोकसभा में प्रबल बहुमत से जीती थी और आज 350 की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं । कांग्रेस को, 515 के चुनाव हुए थे और 404 सीटों पर राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीती थी । वह लैंडमार्क अभी समाप्त नहीं हुआ और 300-350 सीट पर जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतने उतावलेपन में हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं । इस देश में महोदय, लोकतंत्र चलेगा और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं । हार और जीत दोनों लोकतंत्र का अंग है । केवल जीत ही लोकतंत्र

नहीं है, हार भी लोकतंत्र है । जीत-हार चलता रहेगा लेकिन कांग्रेस जीती, इतना कोहराम, इतना हल्ला कांग्रेस ने नहीं की बल्कि हारने वाले पार्टियों का भी सम्मान किया, विश्वास में लेकर देश का विकास किया । ये 350 पर इतरा गए हैं और 350 सीटें बिहार में चर्चा करते हैं । 1984 में बिहार में 52 सीटें, झारखंड और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, 52 में 48 सीटें कांग्रेस अकेले जीती थी और आज तो नीतीश कुमार जैसा चेहरा लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इतनी सीटें जीती हैं इसमें निर्विवाद सत्य है अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो किया, सभी राज्यों के, छोटे राज्य, पिछड़े राज्य, बिहार भी, 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत थी । राज्यों के केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी ? कांग्रेस ने बढ़ाया था । सभी राज्यों का हिस्सेदारी बढ़ा और पैसा बढ़ते चला गया । आज 76000 करोड़ पहुंच गया है । बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जिससे राज्य को विकसित करने में मदद मिलता था । यह महोदय में बताना चाहता हूं कि 2005-06 में 1447 करोड़ रूपया भारत सरकार के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बिहार की थी और वह बढ़ते-बढ़ते जब कांग्रेस सत्ता से हटी 2014 में तो 37977 करोड़ केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ी थी और आज और बढ़ा है, यह मैं मानता हूं लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि इसकी शुरूआत किसने की ? कांग्रेस ने किया । कांग्रेस की कोई तुलना हो नहीं सकती और महोदय कौन नहीं जानता ? भारत लूटा-पिटा देश, जब भारत स्वतंत्र हुआ यह देश लूटा-पिटा देश जवाहर लाल के हाथ में मिला था और जवाहर लाल ने, जवाहर लाल अवतारी पुरूष थे, अवतार थे । देश की सृजना किया, एक-एक चीज स्थापित किया भारत में । आज भारत, मजबूत भारत मोदी जी के हाथ में, एकाएक आसमान से गिर कर मोदी जी के हाथ में नहीं आ गया । कांग्रेस का बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान है । कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस के नेता जवाहर लाल से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, उसके बाद के जितने प्रधानमंत्री हैं, सबके कंट्रिब्यूशन से इंकार नहीं किया जा सकता इस मजबूत भारत के निर्माण में लेकिन आज कहा जा रहा है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया । अरे भाई, आप आए और आपको आसमान से भारत मिल गया । आज दुनिया में विकसित भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जाते हैं तो प्रतिष्ठा मिलती है और भारत के प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी लुटा-पिटा देश के प्रधानमंत्री होकर दुनिया में जो प्रतिष्ठा स्थापित की, लोकतंत्र को जितना मजबूत किया, कोई माई का लाल कर नहीं सकता है और आज इसलिए मैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं सदन में, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं । जवाहर लाल सबके थे, कोई दल के नेता नहीं थे, दल से परे थे । इस बात को आप मानते हैं । जवाहर लाल की मूर्त्ति पटना

रेलवे जंक्शन के सामने कैसी स्थिति में पुल के नीचे पड़ी हुई है, सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, इसको आप ...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: कुछ पता नहीं रहता है, वह हम ही देखकर कर दिए हैं और अलग लगेगी उनकी मूर्त्ति । उसके स्थल का भी चयन हो रहा है । अभी चल रहा है निर्माण । इसकी चिंता मत करिए । अब अभी हम पूछें आपसे कि बेली रोड का नाम कब जवाहर लाल नेहरू मार्ग बना था, कांग्रेस का राज्य था और आज तक उसका नाम कोई नहीं बोल रहा है । सब बेली रोड बोलता है । अब हम जवाहर लाल नेहरू मार्ग का नामकरण बदलकर नेहरू पथ करने वाले हैं ताकि दो शब्द में रहेगा तो लोग याद रखेंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : इसके लिए आपको धन्यवाद । यह पहले होना चाहिए था । देर ही से आए, दुरूस्त आए लेकिन ...

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य, अपनी बात कंक्लुड करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय मेरे दल का समय अभी है । तो महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे कांग्रेस के कृतियों का, कांग्रेस के नेताओं का, उनके किए हुए काम को इंकार नहीं किया जा सकता स्वतंत्र भारत में, यह मैं कहना चाहता हूं .....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय मेरे दल का समय अभी है । इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए- शास्त्री जी, कौन नहीं जानता है महोदय ? अन्न के मामले में आज तो हम 125 करोड़ के देश हैं । जब 76000 करोड़ आबादी थी भारत की, कोई प्रधानमंत्री हों, कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी कटोरा लेकर अमेरिका, इंग्लैंड कनाडा जाते थे .....क्रमशः...

टर्न : 17/कृष्ण/18.07.2019

श्री विजय शंकर दूबे (क्रमशः) : और अन्न के मामले में हम सम्पन्न नहीं थे । लेकिन अन्न के मामले में स्वतंत्र किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया शास्त्रीजी ने, इन्दिरा जी ने किसानों को ललकारा और आज 125 करोड़ की आबादी का देश अपने देश के किसानों का पैदा किया हुआ अनाज खाता है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : इन्डियन नेशनल कांग्रेस के एक और माननीय सदस्य को बोलना है । इसलिए आप कंक्लूड कीजिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, राज्य के मुख्य मंत्री जी का यह विभाग है । मैं आपको कहना चाहता हूं कि अच्छे अधिकारी को बैठा दिया गृह आयुक्त या डी0जी0पी0 के पद पर, बैठाने से नहीं होगा । आपने बयान भी दिया । आपका अच्छा बयान था कि आउट पुट भी होना चाहिये, रिजल्ट भी आना चाहिए । क्राईम कंट्रोल होना चाहिये ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, क्राईम कंट्रोल हो, बिहार की जनता भूखे रहकर सोना पसंद करती है, अमन-चैन से रात में सोना चाहती है । आप बिहार का लॉ एण्ड ऑर्डर ठीक कराईये, अमन-चैन कायम कराईये ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप समाप्त करेंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : एक मिनट । अंत में महोदय, मैं गया जिला की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं । गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के तरवां में थाना खोलने का प्रस्ताव जिला से आया हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं, आप से आग्रह है कि थाना खोलने का जिला से प्रस्ताव आया है उसकी स्वीकृति दें, वह झारखंड और बिहार के बोर्डर पर अवस्थित है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करेंगे । माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह जी, आप अपनी बात प्रारंभ करें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : सभापति महोदय, मैं गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान मांग के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महोदय, बिहार की हालत जो सुनाने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे । भीड़ में खो गयी इंसानियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जमाने लगेंगे। महोदय, कल इसी को ढूंढने के लिये लाईब्रेरी में समय बिताया । मेरे साथ अनवर साहब थे, मैंने कहा कि चलिये भाई, देखा जाय कि जंगल राज की परिभाषा क्या है । बहुत लोग हमारे लालू, राबड़ी जी के राज को जंगल राज कहते थे । वहां पर माननीय सदस्य डा0 रामानुज जी भी मिल गये । उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भाई जंगल राज की परिभाषा तो कहीं मिल नहीं रहा है । तो उन्होंने कहा कि अभी देख लीजिये । अभी का जो हाल है, इसी को कहते हैं जंगल राज । वह तो जंगल राज खत्म हो चुका जिसे लोग कहते थे । हमने कहा कि जंगल राज क्यों तो इन्होंने कहा कि जब डिप्टी सी0एम0 गिड़गिड़ाकर अपराधियों से कहेंगे कि भाई अब अपराध खत्म करो, बहुत हुआ अपराध, कुछ दिनों के लिये अब रूक जाओ । उसको हमलोग जंगल राज नहीं कहेंगे तो और किसको जंगल राज कहेंगे ?

महोदय, आज क्राईम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है । आज सुबह-सुबह अखबार पढ़िये तो अखबार में पढ़ने को मिलेगा कि कहीं लूट है, कहीं डकैती है, कहीं मर्डर है, कहीं बलात्कार है, कहीं मॉब लीन्चिंग हैं ।

आज तो पूरा अखबार भरा पड़ा हुआ है बाढ़ के मामले । बाढ़ तबाही में भी लोग सुरक्षित नहीं है । वहां सारे लोग लगे हुये हैं और वहां भी रोड पर तरह-तरह की घटनायें हो जा रही है । महोदय, यह हाल है बिहार का । कॉगनीजेबुल ऑफेंस बढ़ा है बिहार में । मर्डर बढ़ा है बिहार में । महोदय, आप एक प्रस्ताव ले आईये । मॉब लीन्चिंग के मामले में एक निन्दा प्रस्ताव लाकर पूरे देश को संदेश दीजिये । इसमें आप पहला राज्य बनिये और इसका प्रस्ताव लाकर पास कीजिये । आज पूरे देश में मॉब लीन्चिंग हो रही है । यह क्या हो रहा है? एफ0आई0आर0 करने जाईये, आज बिना पैसे लिये एफ0आई0आर0 नहीं हो रहा है । महोदय, पासपोर्ट की वेरीफिकेशन एवं इन्क्वायरी होती है, बिना पैसे लिये पासपोर्ट की इन्क्वायरी होती है क्या ? कभी नहीं । देश से बाहर बच्चे जाते हैं? गरीब बच्चे हैं, दौड़ते रहते हैं, एम0एल0ए0 के यहां जाते हैं कि हमारा इन्क्वायरी है, जरा फोन कर दीजिये । एम0एल0ए0 लोग फोन करते हैं, थानेदार उठाता नहीं है, नोटीस नहीं लेता है । चूंकि कोई एम0एल0ए0 अगर फोन कर दिया तो पैसा लेने में उसे दिक्कत होगी । इसलिये वह फोन तक नहीं उठाता है। वह पैसा लेता है तब वह पासपोर्ट वेरीफिकशेन रिपोर्ट भेजता है । माननीय सदस्य ललित जी के लड़का को पासपोर्ट वेरीफिकेशन में पैसा देना पड़ा । एक पुलिस वेरीफिकेशन होता है, अगर कोई कोर्ट में जाता है तो बिना पुलिस वेरीफिकेशन के नौकरी नहीं हो पाता है । बिना वेरीफिकेशन के वीजा नहीं मिलता है । तो पुलिस वेरीफिकेशन के लिये मुंहमांगा पैसा मांगता है थानेदार । क्यों मांगता है? इसलिए कि थाना में जब पोस्टिंग होती है तो बोली लगती है और जब बोली लगाकर थाने में पोस्टिंग होगी तो वहां उगाही होगी ही । इसलिये इस पर अंकुश लगना चाहिए । हमारे जिला एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि थाना में रंगेहाथ एस0पी0 ने पकड़ा शराब बेचते हुये, शराब डिलीवरी करते हुये थानेदार को, सही कहा उन्होंने । साबित कर दिया कि हर थानेदार होम डिलीवरी कराता है दारू को और थाने से सप्लाई होता है, हर घर में, जिसकी जो इच्छा होती है, वह फोन कर देता है और थाना से उसके यहां शराब चला जाता है । वह तो साबित हो गया कि थाना में रखकर शराब बेचा जाता है । महोदय, वह बोर्डर इलाका है ।

महोदय, आज शराब यू0पी0 से आता है । नेपाल से आता है शराब । नेपाल से लोग शराब लाकर यहां बेचते हैं । हरियाणा से शराब यहां आता है,

ट्रक में भर कर शराब आता है । हमलोग इसी सदन में पक्ष और विपक्ष के सारे लोगों ने कसम खाया था कि न शराब पियेंगे और न किसी को शराब पीने के लिये प्रोत्साहित करेंगे । लेकिन इसी सदन में कितने लोग हैं कि रात में बिना शराब पिये उनको नींद नहीं आती है ।

(व्यवधान)

आप जानते हैं कि कौन-कौन हैं, हम कैसे जानते हैं ? यह तो जांच का विषय है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति , शांति ।

श्री मो0नेमतुल्लाह : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने 2015 में कहा था कि पूरे भारत को हम संघ मुक्त राष्ट्र बनायेंगे । इन्होंने उसी क्रम में शुरूआत की है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है । महोदय, जो रिपोर्ट मांगा है आपने, उस रिपोर्ट को भी सदन में पेश कर दीजिये । आपने एक हफ्ता में आपने रिपोर्ट देने के लिये कहा होगा ।

महोदय, भ्रष्टाचार की बात है । यहां भ्रष्टाचार की कमी नहीं है । सृजन घोटाला 18,000 करोड़ रूपया का है, बांध घोटाला 360 करोड़ रूपये का है, सोलर लैम्प घोटाला 40 करोड़ रूपये का, शौचालय घोटाला 25 करोड़ का, दवा खरीद घोटाला 22 करोड़ रूपये का, बाढ़ राहत घोटाला 17 करोड़ का है, महादलित विकास मिशन घोटाला, जनवितरण दुकान घोटाला, मनरेगा घोटाला, टॉपर घोटला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, बी0पी0एस0सी0, एस0एस0सी0 नियुक्ति घोटाला, जननी प्रवास घोटाला, अनुबंधन आधारित घोटाला, नियुक्ति घोटाला, इन्दिरा आवास घोटाला, डस्टबीन घोटाला, स्कूल भवन निर्माण घोटाला, एस0टी0एस0 घोटाला, दारोगा नियुक्ति घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, राईस मिल घोटाला, सात निश्चय घोटाला आदि आदि घोटाले हुये है। महोदय, घोटाला ही घोटला है । 34-38 घोटाले हैं और कहते हैं कि यहां कानून का राज है ।

महोदय, दरभंगा में एक यादव टोला है । मोदी जी का फोटो को टांगकर चौक पर रंगदारी करता है तेज नारायण यादव । मोदी जी का फोटो लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का तरह-तरह का नारा लगाया, उस पर सी0सी0ए0 लगा हुआ है लेकिन हिम्मत नहीं है पुलिस को उसको पकड़ने की । वहां पुलिस प्रशासन नहीं जाती है ।

महोदय, कब्रिस्तान के घेराबंदी के बारे में कहना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं । उस दिन माननीय प्रभारी गृह मंत्री ने कहा था कि

कब्रिस्तान की घेराबंदी सूची से अलग होगी । माननीय विधायक जो अनुशंसा करेंगे सूची में, उस कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी ।

क्रमश :

टर्न–18/अंजनी/18.07.19

श्री मो0 नेमतुल्लाह : क्रमश:..... तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि सूची से अलग भी हो सकता है तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि हां, फिर बाद में हमलोगों के वाक–आउट कर जाने के बाद उन्होंने क्लियरफिकेशन दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें एक मिनट के लिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी के बारे में हुआ था कि सूची में जो रहेगा, उसी में से माननीय सदस्य देंगे । अगर माननीय सदस्य घूम रहे हैं, कहीं जरूरत महसूस कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी सूची से अलग दें तो क्या उसकी अनुशंसा कर सकते हैं कि नहीं ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि कर सकते है लेकिन फिर बाद में आकर इसका क्लियरफिकेशन दिया कि नहीं, सूची में से ही कर सकते हैं । इसलिए आपके माध्यम से आग्रह है कि उनको इतना छूट दिया जाय कि जहां चाहे वह कब्रिस्तान की घेराबंदी या मंदिरों की घेराबंदी, मठों की घेराबंदी करा सके, यह मेरा आपसे आग्रह है महोदय । आज जो हालत है जेलों की, जेल में भेड़–बकरियों की तरह कैदी रहते हैं । जो ट्रेनिंग चलता था जेलों में, अच्छे–अच्छे कम्बल बनते थे, आज उसकी स्थिति मेटेरियल के अभाव में बंद है । बक्सर में रस्सी बनता था, अगर किसी कैदी को फांसी की सजा होती थी तो उसी रस्सी से फांसी पर लटकाया जाता था । उस रस्सी की इतनी महत्ता थी कि उसकी सप्लाई हर जगह होता था । आज मेटेरियल के अभाव में वह काम नहीं हो रहा है। कम्बल बनता था भागलपुर में लेकिन मेटेरियल के अभाव में वह काम नहीं हो रहा है । जेल मैनुअल के हिसाब से जेलों में उनको वह सुविधा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आज जेल में जो कैदी हैं, वह भेड़–बकरी की तरह रह रहे हैं । उनको रेमीशन मिलता था, उनको छूट मिलती थी, मीटिंग होती थी हर तीन महीने पर, आज उनको छूट नहीं मिल रहा है । जो गरीब बच्चे दारू पी लिया करते थे, वे जेल में बंद हैं । लीगल ऐड के अभाव में आज भी वे जेल में बंद हैं । उनके पास पैसा नहीं है, जिसके कारण वे अपना पैरवी करा सकें । आरा में इलाज के अभाव में रामाधार कैदी मर गया,.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): आप अपने भाषण को कंक्लुड करेंगे ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : रामाधार राय इलाज के अभाव में मर गया । जेलों में इलाज की व्यवस्था नहीं है और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गयी । महोदय, मेरा थाना बहुत बुरी हालत में है । थाना के भवन का छत चूता है, वह बरौली का जो पुलिस स्टेशन है, उसके जीर्णोद्धार करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध

करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री रवि ज्योति कुमार, आपको पांच मिनट में अपनी बात को रखना है ।

श्री रवि ज्योति कुमार : सभापति महोदय, सदन में उपस्थित हमलोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार, मैं समस्त राजगीर की महान जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि गृह विभाग की ओर से मुझे बोलने का मौका दिया गया । आज पूरे बिहार सूबे में हमारी सरकार कृतसंकल्पित है कि लॉ एण्ड ऑर्डर एण्ड क्राइम कन्ट्रोल पर जितनी संजीदा से आज पूरे बिहार में शांति व्यवस्था कायम हुई है, वह माननीय नीतीश कुमार जी का देन है, निश्चित रूप से हमारा यह बेसलाइन है, एक बैकबॉन है, आज पुलिस डिपार्टमेंट जितनी तत्परता से काम कर रही है, वह काबिलेतारीफ है। मैं विपक्ष के साथियों की बात सुन रहा था तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि वर्त्तमान में जो पुलिस व्यवस्था है, उसकी रिसपोंस टाईम क्या है ? निश्चित रूप से रिसपोंस टाईम बहुत ही बढ़िया है, जिससे आज पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम है । मैं सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो बिहार में डेवलपमेंट हुई है, वह लॉ एण्ड और्डर के बेस से ही हुई है । मैं दो-तीन बातों को बताना चाहूंगा । माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि अदर स्टेट में जैसे-एम0पी0 है, यू0पी0 है, सात किलोमीटर के अन्दर पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर होती है, उसको यहां लागू किया जाय और जितने भी पुलिस लाईन है, उसमें शौचालय की माकुल व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था करायी जाय एवं सारे पुलिसकर्मियों के लिए प्रत्येक जिला के पुलिस लाईन में कैंटिन की भी व्यवस्था किया जाय, जिससे हमारी पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके । जय हिंद-जय भारत ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम ।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के समर्थन में और सरकार द्वारा अनुदान मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । आज गृह विभाग पर चर्चायें चल रही है और सारे माननीय सदस्य अपने-अपने विचारों को रख रहे हैं । आज संयोग से मुख्यमंत्री जी भी, जो यहां चर्चायें चल रही है, उसमें वे शामिल हैं । आज जो राज्य की स्थिति है, बद-से-बदतर स्थिति बन गयी है । सभापति महोदय, जिस तरीका का पुलिसया जूल्म बढ़ता चला गया है, आज किसी गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है । लोग याचना करने के लिए थाना जाते हैं और थाना का जो दारोगा है, वह एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिए उनसे पी0सी0 मांगते हैं । पी0सी0 मिलने के बाद भी वह एक जिस्ता कागज और कार्बन लेने का काम करते हैं । यह भी जब दे देते हैं तो थानाध्यक्ष कहता है कि कलम नहीं लाये । यह

हालत आज बिहार की स्थिति बन गयी है और ये सुशासन की बात करते हैं । कैसा सुशासन ? जहां पर लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, गरीबों का चैन छीनना, दबे-कुचले को सताया जाना तो यह कैसा सुशासन है ? किस चीज का सुशासन है। हम तो देखे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत जुटाने का काम किया था और इन्होंने एक पत्र 28.05.2019 को निर्गत कराने का काम किया जो ज्ञापांक 9832 है, कम-से-कम हमारे यहां 19 जो संगठन है, जो विधि व्यवस्था को खराब कर रहा है, समस्यायें उत्पन्न कर रहा है तो आज हमलोग जब इस संबंध में पत्र देते हैं तो ए0डी0जी0 साहेब कहते हैं कि मैंने पत्र निर्गत नहीं किया । अगर आपने पत्र निर्गत नहीं किया तो यह पत्र अपर पुलिस महानिदेशक के पास कैसे पहुंचा, पुलिस महानिरीक्षक के पास कैसे पहुंचा, पुलिस उप महानिरीक्षक के पास कैसे पहुंचा । हिम्मत जुटाना पड़ेगा । हिम्मत है, इस राज्य को चलाने में तो मैं दाद देना चाहता हूँ अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जो इस राज्य में जिस तरीका से कोहराम मचाने के लिए जब अडवाणी जैसे का रथ आता है तो हिन्दुस्तान में किसी की ताकत नहीं हुई, अगर बिहार में किसी की ताकत हुई तो लालू प्रसाद यादव जी की ताकत हुई जो उन्होंने अडवाणी जी का भी रथ रोकने का काम किया । यही नहीं सभापति महोदय, तोगरिया ऐसे लोग यहां आकर माहौल को खराब करने के लिए आते थे, उनको बिहार में सिर्फ यही नहीं हवाई अड़्डा पर ....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उनके बारे में नाम लेकर कुछ भी नहीं कहिए ।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, बिहार में जो घटना घटी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने जमीन पर ही नहीं, तोगरिया ऐसे लोग जो हवाई जहाज से आते हैं.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): नाम लेकर टिप्पणी न करिए ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, हवाई जहाज से उनको बाहर करनेवाला कोई ताकतवर और हिम्मतवाला कोई नेता अगर है तो वह लालू प्रसाद यादव जी है सभापति महोदय । इस तरीका का हिम्मत जुटाने की जरूरत है । अच्छी पहल की गयी है, 19 लोगों पर जो चिट्ठी आयी और 19 लोगों के यहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच से पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसा खुराफात कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में पता चलेगा सभापति महोदय । महोदय, हम कहना चाहते हैं, हम वैशाली जिला से आते हैं डी0जी0 टीम वहां पर कैम्प कर रही है, कैम्प करने के बाद जो हत्या का आलम है वहां, मात्र 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक वहां पर कम-से-कम 24 घटनायें घटी हैं ।

क्रमशः....

टर्न–19/राजेश/18.7.19

श्री शिवचन्द्र राम : क्रमशः... और सारे हत्याएँ हुई, लूट हुई, गैंगरेप हुआ, अपहरण हुआ और अब व्यवसायी लोग हाजीपुर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग रहे हैं । यही है, यहाँ मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम अपने यहाँ से पलायन को रोकने का काम करेंगे, हम उद्योग लगाने का काम करेंगे, हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में विगत 15 सालों से आपका शासन हो रहा है, ये सुशासन की बात करते हैं, कौन सा उद्योग लगा, आप बतायेंगे, जब गृह विभाग की मांग पर जब भाषण देंगे, तो बतायेंगे कि हम यहाँ–यहाँ उद्योग लगाने का काम किये, यहाँ जो उद्योग लगाने के लिए आये थे लोग, व्यवसाय करने के लिए आये थे, वे सारे के सारे पलायन कर गये, दूसरे प्रदेशों में चले गये और यहाँ कोई भी उद्योग नहीं लगा । सभापति महोदय, यही नहीं, ये कहते हैं कि हम दलितों का काम कर रहे हैं, एस0सी0/एस0टी0 का काम कर रहे हैं, हम दलितों के विकास का काम कर रहे हैं, दलितों को हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, दलितों के लिए हम अच्छा–अच्छा आयाम ला रहे हैं, हम दलितों के लिए उद्योग विभाग से ऋण देने का काम कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएँ हो रही हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि वह दलित जिनकी आरक्षण छीन ली गयी, कोई भी उनके आवाज को उठाने वाला नहीं हुआ, संविधान जल रहा था, संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा था, कोई उनकी बात उठाने वाला नहीं हुआ लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संविधान को बचाने की बात की और उसको प्रेस में उठाने का काम किया, इसी के कारण हमारे दलित/महादलित के भाईयों ने पूरे देश में, भारत बंद करने का काम किया, भारत बंद 2 अप्रैल, 2018 का वह दिन जो ऐतिहासिक दिन हम लोगों का था, जो आरक्षण को ले करके दलित लोगों ने, हमारे भाई लोगों ने, अपने अधिकार के लिए, संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेदकर साहब के विचारधारा को लाने के लिए, उनका विचार जहाँ खंडित हो रहा था, उनके विचारों को जहाँ तोड़ा जा रहा था, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने जो हमें सम्मान दिया था, उस सम्मान को तोड़ने का काम, चाहे वह राज्य में बैठी सरकार हो, चाहे देश में बैठी सरकार हो, ने करने का काम किया, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को समाप्त किया गया, बैकलॉक जो अनुसूचित–जाति एवं जनजाति का था, उसको समाप्त किया गया, प्रोन्नति में जो आरक्षण था, उसको समाप्त किया गया, इसको ले करके पूरे देश में बंदी की गयी और बंदी करके उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुआ लेकिन क्या किया सरकार ने, सरकार ने उन गरीब, दलित, शोषित, दबे, कुचले बेटा को जो रोड से

हटकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, रोड और ब्लॉक से हटकर, जो शाांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, उसको जबरदस्ती सभापति महोदय, 8 हजार नौजवानों को जेल में बंद कर दिया गया और उनपर मुकदमा आज भी चलता है । इसलिए मैं चाहता हूँ सभापति महोदय कि अगर मंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी, अगर सचमुच में एस0सी0/एस0टी0 के प्रति वफादार हैं, तो कम से कम जो 2 अप्रैल का दिन..... ..... (व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवचन्द्र राम: तो कम से कम जो 2 अप्रैल का दिन, जो हमारे लोग जेल में बंद हैं, जिनपर मुकदमा हुआ है, उसको कृपया वापस लेने का काम करेंगे ।

सभापति महोदय, आज के डेट में एस0सी0/एस0टी0 थाना है लेकिन थाना अपने आप को ऑसू चुआ रहा है, उसका कोई भवन नहीं है, वहॉ पर सिपाही नहीं है, वहॉ पर देखने वाला कोई नहीं है, गाड़ी नहीं है और एस0सी0/एस0टी0 थाना तो बना दिया गया है, तो एस0सी0/एस0टी0 थाना का क्या मतलब होता है, जहॉ पर कागज नहीं है, न कोई वहॉ पर बल है, न ही वहॉ पर कोई ताकत है, तो ऐसी स्थिति में सभापति महोदय हम यह कहना चाहते हैं .....(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री शिवचन्द्र राम: सभापति महोदय, एक मिनट । तो निश्चित रुप से अगर यह सरकार दलितों के प्रति, महादलितों के प्रति अगर थोड़ा सा भी हितैषी हैं, तो इन सभी चीजों पर आज इन्हें सोचने की जरुरत है, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): श्रीमती आशा देवी, 4 मिनट में अपनी बात को रखना है ।

श्रीमती आशा देवी: सभापति महोदय, मैं 2019-20 के गृह विभाग पर लाये गये अनुदान की मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदय, राज्य सरकार कानून का राज स्थापित करने और लोगों को भयमुक्त समाज का निर्माण करने का काम कर रही है और इस कड़ी में सरकार को सफलता भी प्राप्त हो रही है । अपराध नियंत्रण, महोदय 2018-19 में कुल 2 लाख 23 हजार 596 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने हेतु सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को दी गई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगायी जाय ।

महोदय, सरकार महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर रोकथाम के लिए राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में महिला थाना खोला गया है । इसके अतिरिक्त महिलाओं को सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की तर्ज पर ही हिम्मत मोबाईल पटना से एक प्रोजेक्ट के रुप में प्रारंभ करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ।

महोदय, शराबबंदी, सरकार द्वारा 5.4.2016 के पूर्व शराबबंदी लागू किया गया है, जिसका शाश्वत् परिणाम आने लगा है । महोदय, राज्य के पुलिस द्वारा अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2018 तक शराब का निर्माण एवं बिक्री पर रोक हेतु कुल 6 लाख 95 हजार 339 छापेमारी की गयी है तथा 1 लाख 35 हजार 796 व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है ।

महोदय, कब्रिस्तान । राज्य सरकार द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना की शुरुआत में ही की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 79 कब्रिस्तान की घेराबंदी की गयी है, इसके तहत सरकार मंदिर रख-रखाव एवं बहुमूल्य मूर्तियों एवं आभूषणों की सुरक्षा हेतु मंदिरों में सुरक्षा की भी व्यवस्था की गयी है । चूंकि महोदय, मुझे समय तो बहुत ही कम दिया गया है, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की देख-रेख में 2005 से बिहार की जनता ने सत्ता सौंपी है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को शांति प्रदान कर रहे हैं । महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या है । महोदय, दानापुर अर्न्तगत काशिमच, पानापुर, मानस पंचायत पहले से दानापुर थानान्तर्गत में था लेकिन पंचायत अकीलपुर थाना को सारण जिला में कर दिया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि अकीलपुर थाना को दानापुर थाना में किया जाय, क्योंकि लोगों को दूरी के कारण भर दिन एक केस के लिए सारण जाने में बहुत ही समस्या झेल रहे हैं । महोदय, आज जो बिहार में हमारे भाई लोग बता रहे थे कि हमलोग लाईब्रेरी में गये और वहाँ देखे, महोदय, 2000-01 में हमलोग देखे थे, उस समय हम जिला पार्षद थे, तो उस समय क्या होता था, हम बिहटा से पार्षद् का चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ जब प्रचार में निकलते थे, तो हमलोग वहाँ से जल्दी भागते थे सबेरे कि कहीं अंधेरा में न पकड़ा जाय, तो यह राज था उस समय, महोदय पहले थाना में क्या होता था, यह सब कोई जानता है, पहले थाना में अपराधी जाकर बैठते थे, जिसका मर्डर होता था, तो पुलिस आती थी, मार-पिट कर ..... (व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्या अपनी बात को समाप्त करें ।

श्रीमती आशा देवी: महोदय, अभी तो हमें बहुत सी बातें कहनी थी । माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चले गये लेकिन मैं कहना चाहती हूँ महोदय..... (व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): समय की कमी है, अपनी बात को जल्दी समाप्त करिये ।

श्रीमती आशा देवी: महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि दानापुर कोर्ट में जब अपने केस के संबंध में लोग कोर्ट परिसर में जाते हैं, तो वहाँ पर अनेक लोग रहते हैं, तो मैं गृह विभाग से मांग करती हूँ कि वहाँ पर जॉच करके लोगों को कोर्ट में जाने दें, नहीं तो कोर्ट में काफी भय लगता है महोदय, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ महोदय, वहाँ मैं हर

समय जाती हूँ महोदय, तो मैं गृह विभाग से कहना चाहती हूँ कि दानापुर कोर्ट में बहुत से अपराधी लोग जाते हैं, हर तरह के अपराधी लोग जाते हैं, तरह-तरह के लोग जाते है, तो इसकी जांच कर गेट के अंदर जाने दे महोदय ताकि बिहार की जनता सुरक्षित रह सकें महोदय ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/18-7-19

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी । पांच मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादवः सभापति महोदय, मैं सरकार के द्वारा गृह विभाग पर लाये गये अनुदान के विपक्ष में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आज बिहार की क्या स्थिति है, वह हम सभी जानते हैं । भले ही सत्ता पक्ष के लोग जितना बेंच थपथपा दें लेकिन आज अगर देखा जाय तो जम्मू कश्मीर से ज्यादा हत्या हमारे बिहार में हो रहा है। लोगों की नजर वहां जम्मू कश्मीर पर होती है और अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतना लोग मर गया लेकिन उससे ज्यादा हत्याएं बिहार में हो रही है और यहां कोई सुशासन नाम का चीज नहीं है । मैं पिछली बार भी बोला था इसी सदन में कि थाना को 175 लीटर प्रतिमाह डीजल दिया जाता है गश्ती के लिए, 175 लीटर डीजल महीना में दिया जाता है 6 लीटर डीजल रोज के हिसाब से और उसी में उसको गश्ती भी करना है, उसी में मुजरिम के यहां रेड भी मारना है और 6 लीटर प्रति रोज के हिसाब से जो मिलता है उससे थाना को साधन मुहैया कराया जा रहा है ,आप सोच सकते हैं सभापति महोदय कि उसमें क्या हो सकता है, इस प्रकार पुलिस वाले को मजबूर किया जाता है कि वह जनता का शोषण करे और जनता के शोषण करके थाना में अपना साधन मुहैय्या करावे । महोदय, मेरे पास उदाहरण है, शराब के कानून की बात हो रही थी, हमारे साथी ने शराब के कानून का बात किया है, हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारे यहां एक केस दर्ज हुआ 17-2-19 को और उसमें वहां के जो अभी सिनियर एस0पी0 थे, वे भी रेड में थे और जब एफ0आई0आर0 होता है तो थाना का इंस्पेक्टर रैंक का ही है सब इंस्पेक्टर वह बयान देता है, उसके बयान पर केस होता है कि फलां मुजरिम को घर से भागते हुए देखा गया, वहां शराब की बोतलें बरामद होती है, शराब का रैपर बरामद होता है, भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद होता है और उसके बाद भी उस आदमी को बरी कर दिया जाता है । जिस केस में सिनियर एस0पी0 खुद मौजूद हों तो क्या उम्मीद किया जा सकता है, यह कानून केवल गरीब लोगों के लिए बना है, जब उसको बरी किया गया, तब हमने पूछा तो हमको यह कहा गया कि किसी ने उसके घर में जाकर चार मंजिल

पर शराब रख दिया था। एस0आई0टी0 का गठन हुआ, उसको क्लीन चीट दे दिया गया, ये मुजफ्फरपुर के मीनापुर की घटना है । महोदय, कोई भी ऐसा दिन नहीं है, मैं पिछली बार सदन में माननीय प्रभारी मंत्री जी से बात किया था, 35 कि0मी0 मुजफ्फरपुर का अहियापुर थाना से लेकर रूनीसैदपुर थाना के बीच में 35 कि0मी0 एन0एच0खाली है । सभापति महोदय, पहले वहां दो-तीन ओ0पी0 हुआ करता था, छपहा ओ0पी0 और आगे भी ओ0पी0 था, सारे ओ0पी0 खत्म हो गये और 35 कि0मी0 में आज अपराध का तांडव हो रहा है । पता लगा लिया जाय तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब एन0एच0-77 पर रूनीसैदपुर से अहियापुर तक हत्याएं, लूट और बलात्कार का घटना नहीं होता है और जब मैंने क्वेश्चन किया था 2017 में तो माननीय प्रभारी मंत्री जी ने हमको कहा था कि आप जमीन मुहैय्या करा दीजिये रामपुरहई में, हम थाना बनाने का काम करेंगे । मैंने जमीन मुहैय्या करा दिया लेकिन आज डेढ़ साल हो गया वहां जिला से एस0पी0 और डी0एम0 से रेकुमेंड करवाये हुए, वहां प्रस्तावित है थाना लेकिन आजतक वहां थाना का नामोनिशान नहीं है, उसका काम भी शुरू नहीं हुआ है इससे आप समझ सकते हैं कानून का क्या स्थिति है, सरकार की मंशा क्या है । सरकार चाहती है कि चाहे लोग कितना भी त्रस्त रहे, मेरे पास प्रुफ है उस समय जो प्रभारी मंत्री जी ने कहा था वह सब प्रुफ मेरे पास है और आजतक दो साल में वहां एक ईंट भी नहीं गड़ पाया जबकि जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया । सभापति महोदय, जैसा कि हमारे साथी ने कहा है क्राईम का आंकड़ा घट गया है, मेरे पास एक आंकड़ा है 2016 से लेकर अभी तक का आंकड़ा है..

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) अब आप कंक्लूड कर के समाप्त करें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादवः थोड़ा और सुन लिया जाय, 2016 से 2019 तक का जो आंकड़ा है, किसी साल में ऐसा नहीं है कि 500 से 1000 आदमी की हत्या नहीं हुई हो, लूट डकैती, बलात्कार की घटना नहीं बढ़ा हो । अंत में मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रभारी मंत्री जी, हमारा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और जो स्थिति वहां बना हुआ है, आज से 10 दिन पहले तीन दिन में 3 हत्याएं हुई है हमारे यहां, हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसी एन0एच0-77 पर जो हत्याएं हुई, आप अबिलम्ब वहां रामपुरहई थाना को बनवाने का काम करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय जी, 7 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है ।

श्री रामदेव रायः सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में चंद बातें आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूँ । ऐसे तो हमारे बहुत सदस्य इस पर

बोले हैं, हम अस्वथ थे इसलिए बहुत दिनों तक नहीं थे, मैं सर्वप्रथम पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि वे कांग्रेस की राह पर चल चुके हैं इसीलिए तो वे नेहरू मार्ग घोषित किये हैं इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद । अगर इस तरह चलते रहेंगे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो हैं नहीं, हमारी बात सुनते भी नहीं होंगे, अगर इस तरह चलते रहेंगे कांग्रेस की डगर पर तो

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती,
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर भागती है,
चढ़ती है दीवारों पर तो कई बार फिसलती है,
मन का विश्वास रहने से सांस भरती है,
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है ।

आपकी मेहनत बेकार नहीं जायेगी । मैं क्राईम का चिट्ठा लेकर नहीं आया हूँ चूंकि मैं कई बार सदन में क्राइम का चिट्ठा बतलाया हूँ, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था पिछली बार, उस पर भी जो मैं कटौती दिया था उस समय भी दिया था और सदन में हमारे बड़े आला अफसर बैठे हुए हैं, हमारे पाण्डेय जी बैठे हुए हैं, वे तो जानते ही हैं तो मैं चिट्ठा क्यों दूं । मंत्री जी तो भिज्ञ हैं, हमारे मंत्री जी जो गृह विभाग संभालते हैं काफी भिज्ञ हैं, केवल हमलोगों से अनभिज्ञ हैं । जब हमलोग से भिज्ञ हो जायेंगे तो फिर सदन का वही रास्ता होगा जो कुछ दिन पहले था । मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी कि 2007 में याद होगा आपको 2 बजे से 7 बजे रात तक पुलिस संशोधन विधेयक, 2007 पर मैं डिवेट पर अकेले हिस्सा लेते रहा और हर प्वायंट पर आपको अपना सुझाव और अपना संशोधन देता रहा लेकिन किसी भी संशोधन को आप माने नहीं, नहीं माने जिसका हश्र आज है और पड़ है पुलिस बल पर, 2007 में जो भी आप भी बिल बनाये, वह बहुत अच्छा था, हमलोग समझे थे कि बिल के बाद बिहार में उच्चतम कोटि का पुलिस बल हमारा तैयार हो जायेगा लेकिन क्या कमी रही, पता नहीं काम करने की कमी रही या कराने वाले की, जब आप जैसे मंत्री हैं तो कराने वाले की कमी नहीं होनी चाहिए थी । मैं एक दो चार धारा का जिक्र करता हूँ, आप याद करेंगे महोदय कि वह धारा जो संशोधन में हमलोग आपके सामने रखे थे उसमें राज्य पुलिस बोर्ड के गठन के बारे में था । राज्य पुलिस बोर्ड के गठन के बारे में आपने घोषणा की थी कि हम 6 माह के भीतर, यह नियम लागू होने के 6 माह के भीतर इसे लागू करेंगे । मुझे पता नहीं है, अभी तक हो सकता है कि मेरी जानकारी में नहीं हो, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो ये अपने कार्य को जवाबदेही के साथ सम्पन्न कर रहे हैं या नहीं, ये मुझे नहीं मालुम है, ये

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे तो ये मालूम होगा । चूंकि उसमें हमारे जो डी0जी0पी0 को काफी पावर दिया गया था, ऐसे ऐसे पावर दिये गये थे जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास होता । चूंकि आपका लक्ष्य है, मंत्री जी आपका लक्ष्य है, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विधि व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित किया जाय

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) गागर में सागर भरना है, इसका ध्यान रखें ।

श्री रामदेव राय: और अपराधियों पर अंकुश लगाकर लोगों को भयमुक्त समाज एवं विकास का प्रयास किया जाय , समाज के सभी वर्गों को सम्मान और न्याय प्रदान किया जाय । राज्य में साम्प्रदायिक शक्तियों को और जातीय सौहार्द्र को बनाये रखने में राज्य सरकार सफल रही है, बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए मगर आप स्वयं सोचिए, भयमुक्त समाज है क्या? भयमुक्त समाज नहीं है, आज आप चलकर देखिये गांव में, श्रीमान् आज आपका एक साधारण व्यक्ति गांव के कर्मचारी के सामने, एक साधारण सिपाही के सामने खड़ा नहीं हो सकता है । (क्रमश:)

टर्न-21/मधुप/18.07.2019

... क्रमश: ...

श्री रामदेव राय : भयमुक्त समाज का अर्थ होता है कि हम अच्छे कामों के लिए किसी से डरे नहीं, बुरे कामों के लिए सबसे डरें । हम इसका अर्थ यह समझते हैं लेकिन आज जो बुरे काम करते हैं वे डरते नहीं हैं और जो अच्छे काम करते हैं वे डरते हैं। आप सोच लीजिये । गागर में सागर भरने के लिए कहे इसलिये मुझको जल्दी-जल्दी करना होगा....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप अपनी बात को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ें ।

श्री रामदेव राय : अभी बहुत टाईम है । कानून-व्यवस्था संधारण करने के लिए राज्य पुलिस को निरंतर मजबूती प्रदान की जानी चाहिये और इसके लिए जरूरी है कि 2007 का संशोधन आप लागू करें । 2007 में धारा-8 में आप बताये थे कि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज करने और महिलाओं और बच्चों से संबंधित....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब अपनी बात समाप्त करेंगे । रामदेव बाबू ।

श्री रामदेव राय : कैसे 7 मिनट बीत जायेगा ! डिस्टर्ब कर रहे हैं आप ।

महिला से संबंधित है । 2010 में 6970 और 2016 में 2793 घटना घटी है । महिला के लिए आपने क्या किया ? हर थाने में महिला डेस्क बनाने की बात थी, नहीं हुआ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : कैसे कर दें ? समय पूरा हुआ ही नहीं तो कैसे समाप्त कर दें ?

दूसरी बात, गॉव में विशेष पुलिस बल तैयार करने की योजना बनाई । जिला मजिस्ट्रेट....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप वरीय सदस्य हैं, आप छोटी बात भी कहेंगे तो बड़ी बात होगी।

श्री रामदेव राय : हमारा समय आप जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई बार टोका-टोकी कर चुके हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : मैं आपकी सरकार की आलोचना करने नहीं जा रहा हूँ लेकिन उसको पैसा आप नहीं देंगे श्रीमान् । वह टॉर्च और लाठी लेकर निकलेगा....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आपका समय समाप्त है, रामदेव बाबू ।

श्री रामदेव बाबू : लेकिन आप उसको एक पैसा भी नहीं दे सकते हैं तो आप बोलिये वह क्या काम करेगा ?

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : 7 मिनट बीत चुका है ।

श्री रामदेव राय : नहीं बीता है अभी, हम घड़ी देख रहे हैं । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जबतक हमारा तीनों अंग मजबूत नहीं होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तबतक आप कानून का राज और न्याय के साथ विकास का काम, सर्वांगीण विकास का काम नहीं कर सकते हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव जी । रामदेव बाबू, अपनी बात समाप्त करें । प्रह्लाद बाबू, अपनी बात शुरू करें ।

(व्यवधान)

प्रह्लाद बाबू, आप अपनी बात प्रारंभ करें ।

रामदेव बाबू, आपकी बात समाप्त हो गई । आप बैठ जायं ।

माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव जी, आपका समय अब शुरू हो चुका है । आप अपनी बात शुरू करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : सभापति महोदय, आज जो बजट यहॉ प्रस्तुत किया गया है, मैं कटौती-प्रस्ताव के पक्ष में और मॉग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

यह बड़ा ही इम्पौर्टेंट आज का विषय है । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 365 दिन एक वर्ष में होता है और माननीय मंत्री जब जवाब देंगे तो बता देंगे कि कौन दिन ऐसा रहा कि जिस दिन कि लूट, हत्या, छेड़खानी नहीं हुआ है, एकाध दिन का उदाहरण दे देंगे तो हम मान जायेंगे कि सुशासन चल रहा है । माननीय उच्च न्यायालय ने, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, माननीय उच्च

न्यायालय ने एक बात बहुत सटीक सरकार पर टिप्पणी किया है कि पुलिस जो होता है क्या लोग को परेशान करने के लिए होता है ? यह बात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी किया गया है । कब टिप्पणी किया गया, नहीं किया गया, उतना नहीं हम बता सकते हैं लेकिन हाल की यह टिप्पणी है । यह स्थिति है आपकी ।

महोदय, चूंकि समय हमलोगों को बहुत कम मिला है, सबसे बड़ी बात है कि लगभग 12 करोड़ बिहार की जनसंख्या है । उस हिसाब से पुलिस बल कितना होना चाहिये, उतना बल तो है नहीं । पुलिस को जो सुविधा होनी चाहिये, वह आप दे नहीं पा रहे हैं । एक पुलिस का कितना वेतन होता है जब नियुक्ति होता है, मात्र 30–35 हजार प्रतिमाह, तो एक दिन में जोड़ लीजिये कि कितना होगा और काम कितना है उसका कठिन, उसी पुलिस पर हम भी हैं, आप भी हैं और यह पूरा बिहार है, जिसके लाठी और राइफल के बल पर हमलोग रह रहे हैं उसका वेतन क्या है – 30–35 हजार मात्र शुरूआत में, बाद में बढ़ता है । इसका वेतन बढ़ना चाहिये, कम से कम जिस हिसाब से ये मेहनत करते हैं, उस हिसाब से इनको 50 हजार से उपर इनका वेतन होना चाहिये निश्चित रूप से ।

अगर कानून–व्यवस्था और न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सीवान का एक धरौंदा थाना है, काण्ड सं0 116/2019, एक शमशाद नाम का अभियुक्त उसको बनाया गया है, 2 तारीख को वह मोटरसाइकिल से गिर जाता है । न्याय के साथ विकास की बात करते हैं.....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आपको भी गागर में सागर भरना है ।

श्री प्रह्लाद यादव : गागर में सागर भरना है, मेरा 7 मिनट है । 7 मिनट खतम हो जायेगा, हम बैठ जायेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे ।

सवाल है कि इस तरह से मोटरसाइकिल से उस आदमी का एक्सीडेंट होता है और 9 तारीख को उसपर केस करता है कि हमको अमुक–अमुक आदमी तलवार, छुरा लेकर आया और मारपीट कर दिया । एक कौआकोल की घटना है, काण्ड संख्या 148/2019 है, कौआकोल थाना नवादा जिला में पड़ता है, तीन आदमी की हत्या हो जाती है । अज्ञात एफ0आई0आर0 होता है, न्याय के साथ विकास की बात हम कर रहे हैं, आप सुनिये, तो उसमें क्या होता है कि जिसका मरता है वह किसी का नाम नहीं लेता है और एक आदमी को जबर्दस्ती पकड़कर उसके बाद सादा कागज पर दस्तखत करवाकर स्टेटमेंट बनाकर, जो आदमी को उससे कोई मतलब नहीं, वैसे आदमी को उसमें फँसा देता है । यह तो स्थिति है । एक हमारे साथ भी घटना घटी, काण्ड संख्या 30 और 23, जो जमीन विवाद से संबंधित था, जो विशेषाधिकार हनन अभी चल रहा है, उसका आज तक निपटारा

नहीं हुआ । भूमि विवाद है, उसमें रंगदारी का केस होता है, उसमें फायरिंग का केस होता है, यह स्थिति है । तो यह न्याय के साथ विकास है ? यही सब न्याय के साथ विकास है । हम छोटा-छोटा उदाहरण दे रहे हैं, ज्यादा नहीं । एक किउल धर्मशाला है, एक दिन प्रश्न भी आया था, माननीय प्रभारी मंत्री जी जवाब दे रहे थे, वह धर्मशाला है उसमें स्थायी थाना खोला गया.....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप अपनी बात अब समाप्त करेंगे ।

श्री प्रह्लाद यादव : एक मिनट में हम समाप्त कर देंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे । उस किउल धर्मशाला को असामाजिक तत्व के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, ऐसा जवाब वहॉ के पुलिस पदाधिकारी भेजते हैं । हम चुनौती देना चाहते हैं, जॉच कीजिये । क्यों किसी संस्था को आप बदनाम करते हैं ? किसने हक दिया ?

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अपनी बात समाप्त करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : एक मिनट और । दूसरी बात, हमारा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहॉ होता है क्या, नक्सल तो पकड़ाया नहीं जाता है, जब महीना, दो महीना होता है तो जंगल के अन्दर जितने भी आदिवासी लोग हैं, उस निर्दोष को पकड़-पकड़कर एम0सी0सी0 बनाकर उसको जेल भेजने का काम करते हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब समाप्त करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : सवाल है कि इस तरह का न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, अगर न्याय के साथ विकास की बात करना चाहते हैं....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी । 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये । (व्यवधान)

प्रह्लाद बाबू बैठ जायं ।

टर्न-22/आजाद/18.07.2019

श्री सुदामा प्रसाद : सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । आज गृह विभाग के सामने मुख्य चुनौती क्या है तो मैं समझता हूँ कि समाज में आतंक और अफवाह फैलाकर जो सामाजिक शांति और सद्भावना को भंग कर रहे हैं, वैसे सम्प्रदायिक, सामन्ती और अपराधी ताकतों के नाक में नकेल डालना आज बिहार की मुख्य चुनौती है गृह विभाग के सामने और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, भले वे लोग बचे कि आर0एस0एस0 के जो 19 आनुवांशिक संगठन हैं, उनके बारे में पड़ताल किया जाय कि जो समाज में अशांति पैदा कर रहे हैं । आज लोकसभा चुनाव के बाद भी जिन लोगों ने, जिन गरीबों ने एन0डी0ए0 को वोट नहीं दिया, भोजपुर में दर्जनों गांव हैं जहां पर गरीबों

को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है । राजपुर गांव है, आपको कनई गांव है, पठार है, मैनपुरा है, थाना वह धोबहा ओ0पी0 में है, वह बड़हरा थाना में है ....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, बात समाप्त करेंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद : बस, एक बात और । आपका गृह विभाग चलता है पुलिस से, लेकिन आज पुलिसकर्मियों की क्या स्थिति है कि उनको छुट्टी लेने के लिए, उनको अपना वेतन पास कराने के लिए अधिकारियों के सामने उनको अश्लील गीत पर डांस करना पड़ता है । पटना पुलिस लाईन में जो कुछ हुआ, पुलिसकर्मियों का जो कहा जाय उग्र आन्दोलन हुआ, उनपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय उनपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको दंडित कर रहे हैं, यह मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है । सिवान में जो हुआ .....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार । 5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका हम आभार प्रकट करते हैं और हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, आज मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और गृह विभाग द्वारा लाये गये मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, पूरे राज्य में विधि-व्यवस्था चौपट है और पूरे राज्य में दर्जनों हत्या, बलात्कार और लूट की सैकड़ों घटनायें रोज हो रही है । परन्तु पूरे राज्य की पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ शराब मंगाने में, शराब बेचवाने में, शराब पकड़ने में, शराबियों को पकड़ने में लगी हुई है । इसके अलावे इस राज्य की पुलिस को कोई काम नहीं है । अगर राज्य सरकार को शराब की इतनी ही चिन्ता है तो मैं तो मांग करता हूँ सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि शराब के लिए अलग से पहले से उत्पाद विभाग बना हुआ है, उस विभाग को मजबूत करिए, उसमें बहाली कीजिए और उसमें पद सृजन करके उसमें बहाली कीजिए और पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर में लगाईए, इससे दूसरा काम नहीं लीजिए । अगर इस तरह से आप दूसरे कामों में लगाते रहेंगे तो इसी तरह से राज्य की स्थिति बदहाल होती रहेगी महोदय । महोदय, राज्य की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसमें आम लोगों का क्या कहना, इस सदन के जो मेम्बर हैं, वे भी सुरक्षित नहीं है । इसका उदाहरण है कि 11.05.2019 को तरैया के माननीय विधायक मुन्द्रिका प्रसाद राय, अपने क्षेत्र में घुम रहे थे, वहां अपराधियों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा इनको पकड़ करके और दो-तीन घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया । वहां के एस0पी0 ने जाकर के इनको उन अपराधियों से मुक्त

कराया । हथियार के बल पर इनको बंधक बनाकर रखा गया है महोदय । आज घटना का ढ़ाई महीना हो गया है लेकिन अभी तक एस0पी0 ने अपने पर्यवेक्षण रिपोर्ट में 11 अभियुक्तों पर मामला सही पाया है, जिसका कांड सं0-84/19 दर्ज है और अभी तक ढ़ाई महीना बीत गया है, एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है इस राज्य के लिए, इस विभाग के लिए और हम माननीय सदस्यों के लिए ?

दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात महोदय कि उसमें का एक आदमी जो गिरफ्तार हुआ था, उस समय घायल हुआ था और उसका पटना पी0एम0सी0एच0 में ईलाज हो रहा था, बेहतर ईलाज कराने के बहाने उसको बुलाकर के पारस हॉस्पीटल में ले गया और वहां से उसको वहां के थानेदार और वहां के डी0एस0पी0 ने मिलकर उसको भगाने का काम किया, जिसका केस दर्ज है महोदय शास्त्रीनगर थाने में 498/19 और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है महोदय, यह बहुत बड़े शर्म की बात है तो हम अपने जनता की रक्षा की बात क्या करें, उनकी सुरक्षा की बात क्या करे ?

महोदय, मैं जिस जिला से आता हूँ सीतामढ़ी जिला में, बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है, जिस दिन एक मर्डर कम से कम नहीं होता है और लूट की घटना और बैंक डकैती की घटना, चोरी और मोटरसाईकिल छिनने की घटना की तो कोई चर्चा ही नहीं है । कोई ऐसा दिन नहीं है, वहां पर हर रोज कोई न कोई घटना होती है महोदय उस जिला में ।

महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्या है । मेरा क्षेत्र जो एन0एच0-177 है, उसमें मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा तक लगभग 70 कि0मी0 में कोई थाना नहीं है, मैं मांग करता हूँ कि लगमा सुबई के बीच एक थाना का निर्माण कराया जाय । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के डुमरा थाना जो जिला का हेडक्वार्टर है । उसमें भवन की कमी है, पुलिस पदाधिकारियों एवं आरक्षियों को रहने की दिक्कत होती है। वहां भवन का निर्माण कराया जाय । नया थाना बना है पुनौरा ओ0पी0, वहां पर भी भवन का निर्माण कराया जाय । मेहसोल ओ0पी0 जिसमें भवन नहीं है, पुलिस पदाधिकारियों को दिक्कत होती है, वहां भवन का निर्माण कराया जाय । माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और सीतामढ़ी जिला में जो महिला थाना है, उसमें भवन नहीं है, वहां भवन का निर्माण कराया जाय ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, एक मिनट में अपनी बात खतम करेंगे । एस0सी0/एस0टी0 थाना में भवन नहीं है, वहां भवन का निर्माण कराया जाय । महोदय, मैं मांग करता हूँ कि सरकार जब लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, व्यवसायियों की सुरक्षा

करने में सक्षम नहीं है तो जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसायी आग्नेयाशास्त्र के लाईसेंस के इच्छुक हैं, उनको लाईसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो आत्म रक्षा के लिए आर्म्स रखें महोदय ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : ठीक है, अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, आधा मिनट में मैं अपनी बात खतम करूंगा । कटिहार जिला के कुरसैला थाना का भवन बनाया जाय और कटिहार जिले में ही बरारी थाना का भी जर्जर भवन है, इसको बनाया जाय । महोदय, आपने जो समय दिया, बहुत,बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, श्री बशिष्ठ सिंह जी । 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे ।

श्री बशिष्ठ सिंह : सभापति महोदय, आपने मुझे गृह विभाग पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ । मैं आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करते हुए अपनी क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदय, आज गृह विभाग पर बोलना है और गृह विभाग, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय है और लोगों को छटपटाहट होने लगा जब मैं खड़ा हुआ । 2005 के पहले आपका ध्यान मैं केन्द्रित करना चाहता हूँ । महोदय, जब ये लोग 2005 में बिहार से सत्ता से बाहर हुए, उस समय बिहार में हमलोगों के लिए टूटी हुई बिहार, बिखड़ा हुआ बिहार, बदनाम हो चुका बिहार को छोड़कर इन लोगों ने गया था और मुख्यमंत्री जी ने एलान किया था कि जब बिहारवासी हमें एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका देंगे तो मैं बिहार में कानून का राज स्थापित करूंगा, तीन महीना के अन्दर जितने गुन्डे, क्रिमिनल, अपराधी हैं, सारे लोग कहां चले जायेंगे, इसका कोई पता नहीं चलेगा । महीना-दो महीना के अन्दर मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे गुन्डे, अपराधी भाग निकले और बिल में घुस गये और जो बाहुबली टाईप के लोग थे, वो भी अपना रास्ता बदल दिये महोदय, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है । आज बिहार में कानून का व्यवस्था लागू है और हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमारा कानून का व्यवस्था लागू हो और साथ ही साथ भयमुक्त समाज प्रदान हो और जो भी अपराध हो रहा है छोटा-मोटा या जिस अपराध पर कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । महोदय, जब हमको याद है, जब हमलोग राजनीति की शुरूआत में आये थे तो थाना पर जो जीप थी, जब जीप वह चालू होकर चलती थी तो अपराधी को पहले ही पता चल जाता था जीप की आवाज से लगता है कि पुलिस की जीप आ रही है और वह भाग जाते थे और टूटी-फुटी हुई हथियार

मिलती थी, रहने के लिए पुलिस को मकान नहीं था, बारिश पर उनके बेड पर पानी टपकता था और आज की व्यवस्था में स्कार्पियो गाड़ी थाना को दिया गया है, सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया गया और इतना ही नहीं साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार दिया गया कि कोई अपराधी अगर फन उठायेगा तो उसके फन को कुचल देंगे, यह नीतीश कुमार सरकार की देन है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-23/शंभु/18.07.19

श्री वशिष्ठ सिंह : क्रमशः....महोदय, डी0जी0पी0 पुलिस नियंत्रण कक्ष लगा हुआ है कोई भी शिकायत करेगा तो उस शिकायत पर 24 घंटा के अंदर कार्रवाई होगी । यह सरकार ने व्यवस्था दी है । महोदय, विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तमाम तरह के पुलिस, डी0एस0पी0, इन्सपेक्टर रैंक की बहालियां हो रही है इससे व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा । साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए 74 जगहों पर व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई गलत काम न करे, किसी का पैसा कहीं से न निकाल ले इसपर भी हमारी सरकार काम कर रही है । आज 13-14 साल से हमारी सरकार है नक्सली पर भी लगाम लगा है । हमारी सरकार भ्रष्टाचार के सवाल पर जीरो टोलरेंस पर काम करती है । महोदय, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी की सोच है और मैं बताना चाहता हूँ कुछ विपक्ष के साथी बोल रहे थे सांप्रदायिक सौहार्द्र की बात कह रहे थे, सामाजिक सद्भावना की बात कह रहे थे- हमारे नेता ने जब से बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभालने का काम किया है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी कोई एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन भागलपुर दंगा को याद कीजिए महोदय ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, भागलपुर दंगा को याद कीजिए, दंगा पीड़ितों को मुख्यमंत्री जी ने पेंशन देने का काम किया और कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने का काम किया, मंदिर की घेराबन्दी कराने का काम करा रहे हैं । मुख्यमंत्री किसी अकलियत के आंख पर पर्दा डालकर वोट लेने का काम नहीं करते बल्कि उन अकलियतों के मान-सम्मान और सुरक्षा के लिए सारा काम करते हैं । यह हमारी सरकार की देन है । महोदय, इतना ही नहीं मैं एक, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूँगा ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : एक मिनट में ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, लोक संवाद के माध्यम से आज के डेट में मुख्यमंत्री जी ने कई अनेक काम किये हैं । 20 करोड़ 50 लाख आवेदन को निष्पादित करने का काम किया है । महोदय, इतना ही नहीं पहला राज्य है हिन्दुस्तान में बिहार और उसके

नायक हैं आदरणीय नीतीश कुमार जिन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लाकर के 4 लाख लोगों का निष्पादन कराने का काम किया है । इतना ही नहीं विपक्ष के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जब हमलोगों का गठबंधन टूटा था तो लोग कहते थे नो इंट्री, कुछ लोग कहते थे नीतीश कुमार नो फैक्टर फिर आज आप क्यों थाली लेकर खड़ा है आरती उतारने के लिए नीतीश कुमार जी का कि जल्दी आ जाइये । अरे, 22 पर थे जब नीतीश कुमार जी ने गठबंधन किया, 80 पर आये हैं और फिर नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ा 40 में 39 एन0डी0ए0 की सरकार लायी है । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फिर नीतीश कुमार की सरकार 200 प्लस लायेगी यह हम महोदय आपसे कहना चाहते हैं । महोदय, समय का अभाव है क्षेत्र की समस्या है एक मिनट ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : जल्दी समाप्त करें ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, कोचस प्रखंड में कुचला थाना है और कुचला थाना रोहतास जिला में अवस्थित है और उसमें कार्य चल रहा है कैमूर जिला का.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : समाप्त करें ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, सुन लिया जाय जटिल समस्या है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य डा0 रामानुज प्रसाद, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें । वशिष्ठ बाबू, समाप्त करें, हो गया ।

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, गृह विभाग के लाये गये अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं अपनी पार्टी और आसन को धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया । महोदय, यह विदित सत्य है कि आज देश दुनिया पूरा राज्य भी बदल रहा है, तरह-तरह के बदलाव हो रहे हैं । आज समाज की परिस्थिति बदली है और बदली हुई परिस्थिति में हमको आपको न सिर्फ बदलना है बल्कि अपने शासन तंत्र को अपनी प्रणाली को भी चुस्त-दुरूस्त करके जनता की सेवा हमें करनी होगी । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी राज्य राष्ट्र के लिए अगर हम उसमें अमन-चैन चाहते हैं हम उस राज्य राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो करप्शन ऐंड क्राइम इज ए प्राइम इनीमी ऑफ डेवलपमेंट ऐंड ऑफ गुड गवर्नेन्स यह मानक सिद्धांत है, लेकिन हमें इधर के दिनों में ऐसा लग रहा है कि हम कहीं न कहीं इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वह सिस्टम लगता है कि एकान्टेबुल नहीं रह गया है । कई उदाहरण है उसके साथ उदाहरण के साथ मैं रखना चाहता हूँ । अब हमलोग तो रोज इस हाऊस में भी देखते हैं कि माननीय मंत्री जी जब जवाब देते हैं तो जो जवाब विभाग से बनकर आता है उसमें कोई तारतम्य नहीं होता है सवाल में और जवाब में तो एकाउन्टेबिलिटी जब तक हम तय नहीं करते हैं सिस्टम का, हम अगर

मोनीटर हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं हमलोग जनता के माउथपीस हैं, हम जनता के रिप्रेजेन्टेटिव हैं सिस्टम जो गवर्नमेंट की है उसको चुस्त-दुरूस्त करने की हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इधर के दिनों में अजीब एक संशय है, कई तरह की बातें है समय कम है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इधर हमलोग जिधर जा रहे हैं सिस्टम में दो-तीन बातें देखने, सुनने को मिल रही है सिस्टम में बड़ी अजीब ढंग से उहापोह की स्थिति दिखायी दे रही है, सुनाई पड़ रही है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

एक तो ये कई भाई ने उद्धृत किया है, हमारी पार्टी के चीफ व्हिप ने भी रखा है कि एक अजीब ढंग से संशय की स्थिति है कि किसका इन्क्वायरी हो रहा है, किसका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, किसपर इन्टेलीजेंस डिप्लॉय किये गये हैं, लगाये गये हैं तो इससे सिस्टम में भी बैठे हुए लोग अजीव उहापोह में हैं कि आखिर यह सरकार किसके साथ बैठेगी, किधर जायेगी, किसके पक्ष में काम करेगी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । हमलोगों से भी जो ऑफ द रेकर्ड बात करते हैं वे कहते हैं कि क्या होनेवाला है ? आपलोग क्या करेंगे । तो इस उहापोह को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि साफ करने की जरूरत है । आपके तरफ तो देश ही है, अभी एक भाई मेरे सी0पी0आइ0 के नेता ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी पी0एम0 मैटेरियल हैं । हमलोगों ने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसने कहा था कि साहब आप वहां चले जाइये जहां वैकेन्सी तो नहीं ही है वह देश कब्जा करने का, आर0एस0एस0 के विचार को देश पर लादने का जहां कुचक्र रचा जा रहा है, जहां संविधान बदलने की बात होती रही है वहां आप चले गये। हम सब लोगों ने तो पहले ही कहा था आज भी कह रहे हैं कि आप विजलेन्स को क्या लगा रहे हैं, आप खुद तय कीजिए कि आपको करना क्या है, जाना कहां हैं, किस दिशा में जाना है, कैसे राजनीतिक, सामाजिक वातावरण को निर्मित करना है ? देश आपकी तरफ देख रहा है, हम सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं । आज जो स्थिति है एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, समय का अभाव है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज चूंकि गृह विभाग का ये अनुदान मांग है, बहुत से विभाग उसमें हैं सामान्य प्रशासन है सब है, लेकिन हमलोग मोटामोटी कन्सन्ट्रेशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर तो ये मेरी समझ है कि आज के दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स की बात देश स्तर पर हो रही है अपने राज्य में भी मैं महसूस करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ओल्सो । उसमें एक चीज मुझे और लगता है मैं इधर देख रहा हूँ कि मेरे राज्य के डी0जी0पी0 कह रहे हैं कि हमारे पीछे हमारे महकमा का लोग पड़ा हुआ है । भाई कौन है ? जो हमारे डी0जी0पी0 के पीछे पड़ा हुआ है, कौन है

जो डी0जी0पी0 को काम नहीं करने दे रहा है ? कौन मामलों को अंजाम तक नहीं ले जाने दे रहा है । हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण- मैंने अपने डी0जी0 को भाषण देते हुए सुना है । इनका तो सौभाग्य है कि चुनाव भी लड़ लिये, मैं बक्सर से जुड़ा हुआ हूँ, बक्सर से मेरा लगाव है । मैंने बक्सर में एलेक्शन में भाषण सुना, एलेक्शन में वे क्या लाजवाब भाषण दे रहे थे, वोट मांग रहे थे फिर आज हमारे डी0जी0 भी हैं ।

(व्यवधान)

अरे भाई सुनो तो धैर्य के साथ मैं.....

अध्यक्ष : रामानुज जी, मैंने अनेक बार कहा है कि मेरी तरफ देखकर बोलिये, आप उधर देख रहे हैं ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सराय भगवानपुर है हाजीपुर में वहां भी हमने डी0जी0 साहब को भाषण देते हुए सुना है । डी0जी0 साहब भाषण दे रहे थे । हमारी बात जाने दीजिए न, अपने जवाब में सुधार कर देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सबलोग शांत रहिये । रामानुज जी अब गृह विभाग के संबंध में सरकार सरकार को कुछ बहुमूल्य सुझाव देनेवाले हैं । अब सुझाव देनेवाले हैं सबलोग ध्यान से सुनिये ।

टर्न-24/ज्योति/18-07-2019

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : रामानुज जी, लेकिन विभाग में गृह और गुणवत्ता में सुझाव यानी गृह विभाग पर सुझाव इन्हीं दोनों चीजों पर आप केन्द्रित रहियेगा ।

डा0 रामानुज प्रसाद : जी, एक मुझे यह कहना है सुझाव के तौर पर अध्यक्ष महोदय, आपने कहा तो मैं चाहता हूं कि जो राज्य में स्थिति बनी हुई जो शासन प्रशासन में भ्रम बना हुआ है, वह दूर हो और पुलिसिंग का जहांतक सवाल है तो पुलिसिंग के बारे में इसलिए कह रहा था कि साहब जब राज्य के डी.जी.पी. इसतरह से बोलेंगे तो कैसे नीचे महकमा के जो हमारे प्रशासन में तंत्र में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उनकी मनोदशा क्या होगी, ये मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसपर सरकार का जवाब आए तो मैं पुलिस रिफौर्म की बात कर रहा था । मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, होम गार्ड की जो स्थिति है, वह हम देखते हैं कि हमारे पुरात आज अपराधियों के पास तरह तरह के आर्म्स ऐण्ड एम्यूनिशंस है आज उनके पास ए.के. 476 और उससे आगे अनुसंधान वाला अस्त्र शस्त्र लेकर घूम रहे हैं

और हमारी पुलिस वही परम्परागत अस्त्र शस्त्र लेकर काम करने का काम कर रही है । कैसे हम अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा दे पायेंगे । कैसे अपने राज्य को सुरक्षा देंग । हम दूसरा कहना चाहते हैं कि एक कौम्युनिटी पुलिस का कंसेप्ट आया है उसपर काम हो रहा है लेकिन उसमें हमने देखा कि उस कंसेप्ट में, उसपर सरकार की जो मनोदशा है, उसके जो इनहेरेंट इफैक्ट्स जो उस कंसेप्ट में छुपा हुआ है, उसमें मैंने देखा है, पक्षपात होते हुए तो इसको रोकने की जरुरत है या सुधारने की जरुरत है । तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि इसमे सामान्य प्रशासन भी है । पुलिस को अपग्रेड करने की, पुलिसिंग को अपग्रेड करने की जरुरत है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : एक जो महत्वपूर्ण जो सवाल आज उठा है माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं आज हमलोगों का पिछड़ो का, दलितों का, अति पिछड़ो का जब वह सामाजिक न्याय के अवधाारण का और आरक्षण का सवाल उठाता है तो हमारे में इफ बट होता है और जो 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोगों को मिला तो वह दो दिन में पास हुआ सब लोगों ने समर्थन किया लेकिन आज जो सवाल आया वह स्थगित हो गया । मैं चाहता हूँ कि उसपर माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दें कि साहब यह आखिर क्यों हो रहा है । यह सामान्य प्रशासन की बात है । यह माननीय मुख्यमंत्री जी जो आरक्षण के जो प्रावधान किए गए हैं जो सामाजिक न्याय के दायरा में आने वाले लोगों का प्रावधान है उसमें कटौती किया जा रहा है । इसको आपको संज्ञान में लेना है ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : हम कहना चाहते हैं कि साहब ये अग्निशामक की बात है, हम कहना चाहते कि सभी वैसे इलाके में, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए जहाँ अगलगी की घटना से जान माल की क्षति होती है उन इलाकों के थानों को अग्निशामक से सुस्सजित की जाय । चीट फंड कंपनी इस राज्य में जिस तरह से साईबर क्राईम बढ़ा है । साईबर क्राईम में एक डी.जी.पी. का वक्तव्य है कि 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । साईबर क्राईम को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है । चीटफंड पर नियंत्रण होना चाहिए उसमें ठगी हो रही है ।

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : एक मिनट ।

अध्या : अब कहाँ एक मिनट है । नहीं है एक मिनट । अब स्थान ग्रहण कर लीजिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : एक सदस्य कह रहे थे ।

अध्यक्ष :आप बहुत ही अनुशासित सदस्य हैं, चलिए बैठ जाईये, स्थान ग्रहण करिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अभी एक सदस्य उठा रहे थे जबकि उनपर खुद ही मामला दर्ज हैं उनके ऊपर मामला दर्ज है और हमारे माननीय सदस्य के विषय में कह रहे थे मैं कहता हूँ कि वैसे लोग जिनपर खुद ही मामले दर्ज हो, खुद ही इनवेस्टीगेशन में इनवौल्भ हो और दूसरे पर मामला उठाते हैं, यह हास्यास्पद स्थिति है यह रुकनी चाहिए । सदन में इसतरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए । अवांछित व्यवहार नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये । अब वाद-विवाद समाप्त हुआ । सरकार का उत्तर होगा । माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज की चर्चा में हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए । अध्यक्ष महोदय, कानून का राज स्थापित करना और भय मुक्त समाज का निर्माण करना ही हमलोगों का लक्ष्य है और इस दिशा में हमलोगों ने निरंतर प्रयास किया है । अब अभी हाल में चुनाव संपन्न हुआ तो एक तरह से पूरे तौर पर शान्तिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया लेकिन जहां तक धार्मिक त्योहार की भी बात होती है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा शान्ति का ही माहौल रहा है और परस्पर सद्भाव का माहौल रहा है । अपराध, कोई दावा नहीं कर सकता है कि पूरे तौर पर आप चाहियेगा और वह खत्म हो जायेगा लेकिन अपराध में कमी लाना, अपराध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना यही हमलोगों का कर्त्तव्य है और इसके लिए निरंतर प्रयास होता रहता है और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि चाहे क्राईम हो, करप्शन हो, कौम्यूनलिज्म हो इसके साथ हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं और यह हमलोगों का लक्ष्य है, उद्देश्य है इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे हैं और पहले तो हर वर्ष केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा हर साल पूरे देश के विभिन्न राज्यों के अपराध की स्थिति प्रकाशित होती थी लेकिन 2016 के बाद अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन यह 2016 में और यह जो संज्ञेय अपराध होते हैं 1 लाख की आबादी पर कितनी घटनाएं घटी उसके आधार पर उनका इभैलुएशन पूरे देश के हर प्रान्त का होता रहा है और आप जानते हैं कि जो सबसे लास्ट उनका आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसमें बिहार का स्थान कुल मिलाकर 22 वें नंबर पर है अपराध के मामले में, अपराध दर के आधार पर, हत्या के मामले में 17 वॉं स्थान, डकैती में 15वॉं स्थान, लूट में 18वॉं स्थान, बलात्कार में 34वॉं स्थान, गृह भेदन में 28वॉं स्थान, चोरी में 20वॉं स्थान, सामान्य अपहरण में 13वॉं स्थान, फिरौती हेतु अपहरण में 23 वॉं

स्थान, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 19 वॉ स्थान । ये जो लास्ट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित हुआ है, वह बिहार की स्थिति अपराध के मामले में पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में यह स्थिति रही है । अब अपराध की घटनाएं तो घटित होती हैं और ये खबरें तो प्रकाशित होंगी । मीडिया में खबरें चलेंगी, समाचारपत्रों में खबरें प्रकाशत होंगी और यह तो आजादी है अखबार की और मीडिया की, वह जिस प्रकार से चले । लेकिन आजकल अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा क्या चल रहा है । आज कल चल रहा है सोशल मीडिया और यह सोशल मीडिया पर क्या क्या खबर चलाता है किस तरह से तनाव का माहौल पैदा किया जाता है समाज में क्या नहीं, कौन सी तस्वीर चला देगा और उसके बारे में बिल्कुल गलत सूचना और अभी हाल में भी एक जगह प्रकाशित हुआ, अभी यह बाढ़ के समय की भी एक खबर प्रकाशित हुई । खैर उन लोगों को छोड़ दीजिये । यही तो काम है । हम तो शुरु से कह रहे हैं कि यह जो सोशल मीडिया का इतना प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और उसी के कारण आप देखियेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी अब ज्यादा खबर वही सब छपने लगा है । उसका कारण और कुछ नहीं केवल कंपीटीशन है लेकिन यह आजादी है, हम तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं । तो आप में से कई माननीय सदस्यों ने मीडिया का ही हवाला देकर कहा तो उसपर ज्यादा जाने की जरुरत नहीं है । ज्यादा जाने की जरुरत है कि समाज के वातावरण को हम बेहतर बनायें ताकि अपराध भी कम हो और इसके लिए सब को प्रयास करने की जरुरत है । हम कभी किसी चीज को नकारेंगे नहीं । हमारे यहॉ अगर तुलना करियेगा 2001, 2005 से उसके आगे का तुलना हम बहुत बार बता चुके हैं मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ ।

क्रमशः

टर्न–25/18.07.2019/बिपिन

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः क्रमशः.. लेकिन हॉ, कुछ चीज है जो अगर हम 2018 का देखते हैं, हमने ही आंकड़ा मांगा है और आप जानते हैं कि हम निरंतर समीक्षा करते हैं । हर वर्ष एक नहीं, एक से अधिक बार समीक्षा करते हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव के बाद हमने 07 जून को किया और सारी बात सुनने के बाद फिर हमने कहा कि 25 जून को जो भी मुझको कहना था वह बातें इसपर अंतिम निर्णय लेकर आप प्रस्ताव लाइए । तो 25 जून को भी हमने किया । तो हम तो निरंतर प्रयास करते रहते हैं लेकिन हम कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं तो अपराध की

कोई घटना ही नहीं घटेगी । अरे भाई, आदमी का स्वभाव है, कब, कहां, किस प्रकार से कौन किस तरह का अपराध करता है, आप सबको मालूम है लेकिन हमको कहिएगा, हम आंकड़ों को छिपाएंगे भी नहीं, हम आपके सामने रख देंगे । कुछ मामले में अपराध में कमी आई है, कुछ मामले में कुछ वृद्धि हो गई है । यह बात सही है । तो कमी को भी सोचिए और वृद्धि पर भी गौर करिए कि क्यों वृद्धि हो रही है । अब हमने तुलना करवाई कि जनवरी से मई, 2018 और जनवरी से मई 2019 के बीच में अलग-अलग किस्म के जो अपराध हैं इसकी तुलना करके मुझको लिस्ट दीजिए, जानकारी दीजिए । तो जनवरी से मई की तुलना में, जनवरी से मई 2018 से 2019 की तुलना में सामान्य दंगा शीर्ष में 32 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण शीर्ष में 44 प्रतिशत, बलात्कार शीर्ष में 01 प्रतिशत, गृह भेदन, मतलब मानव निवास के लिए प्रयुक्त भवन में चोरी वगैरह गृह भेदन शीर्ष में 0.4 प्रतिशत की कमी आई । लेकिन हत्या शीर्ष में वृद्धि हुई है 02 प्रतिशत की, डकैती शीर्ष में हुई है वृद्धि 08 प्रतिशत की, तो इस तरह से हमने सारे आंकड़े और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि अब जो आपको हम बता रहे थे सामान्य दंगा, दंगा क्या कहा जाता है, ऐसा मत समझिएगा, दंगा का मतलब, जो लिखता है कि सामान्य दंगा, इसका मतलब यह मत समझिएगा दंगा मतलब कॉम्युनल, दंगा मतलब वह नहीं होता है । क्राइम के मामले में जो परिभाषित है पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर विधि विरूद्ध कार्य कारित किए जाने के फलस्वरूप प्रतिवेदित कांड, पांच या पांच से अधिक आदमी मिलकर कुछ करता है घचपच, गड़बड़, तो वह सब आ जाता है उसी श्रेणी में, सामान्य दंगा के श्रेणी में । यह नहीं कि कोई दो कम्युनिटी के लोग भिड़ गए हैं । तो सामान्य दंगा उसको कहते हैं । तो सामान्य दंगा में जो कमी आई है, अब मई तक जो था, मई माह तक 2018 में 4436 और इस बार इसकी संख्या है 3001, पांच महीने में। तो सामान्य दंगा की घटनाओं में उत्तरोत्तर अप्रत्याशित कमी यह संकेत करती है कि समाज में थोड़ा-सा एक दूसरे के प्रति सौहार्द्र के वातावरण में वृद्धि हो रही है, लेकिन पांच और पांच से अधिक लोग मिलकर जो करता है, कोई-न-कोई इस तरह की गड़बड़ी, उसको कहते हैं सामान्य दंगा । तो इसलिए उसमें थोड़ी कमी आई है । फिरौती हेतु अपहरण, यह जानते ही हैं बहुत बड़ा क्राइम है, फिरौती हेतु अपहरण के मामले में भी काफी कमी आई है । अब कहां 2001 से 2005 में वार्षिक औसत था फिरौती हेतु अपहरण का 356, एक साल में 356 फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं होती थी । 2011 से 2015 के बीच वार्षिक औसत घटकर हुआ 63, 2016 से 2018 तीन साल के अंदर वह घटकर हुआ है 42 और 2018 में पांच महीने में जनवरी से लेकर मई तक में 25 ऐसी घटना घटी और इस वर्ष जनवरी से मई 2019 के बीच में 14 घटना घटी है । तो फिरौती हेतु अपहरण में जो दर्ज कांड हुए हैं, 46

कांडों में 91 प्रतिशत कांडों का सफल उद्भेदन करते हुए 42 अपहृत को बरामद किया गया तथा 132 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई । 2018 का फीगर बता रहे हैं । फिरौती हेतु अपहरण के कांडों में अप्रत्याशित कमी आने से समाज में सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है । पहले फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं बहुत घटती थी, यह आप सबलोगों को मालूम है । उसमें कमी आई है । बलात्कार की घटना में कमी आई है जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बता दिया । अब गृह भेदन की बात भी हम कर चुके हैं, उसमें भी कमी आई है । साम्प्रदायिक घटनाओं में यानी चाहे, साम्प्रदायिक या सामाजिक रूप से दूसरे के बीच में जो क्लैश होता है उसको कहा जाता है । यह जो साम्प्रदायिक और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का जो प्रयास है उसी का प्रतिफल है कि इनकी घटनाओं में दिन-ब-दिन कमी आती जा रही है । माह 2018 में जनवरी से मई तक में अगर 42 घटनाएं घटी थी तो 2019 में यह घटकर और 40 हो गई । इसलिए बहुत सारी घटनाओं में कमी आई है । इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सीधे कह दीजिए । घरेलु हिंसा, इसमें कमी आ रही है तो घरेलु हिंसा में जो अवेयरनेस आ रहा है और जिस तरह से शराबबंदी हुई है उसके कारण उसका भी प्रभाव है । उसमें भी कमी आई है । नक्सली हिंसा में कमी, तो इन सब चीजों में कमी तो आ ही रही है लेकिन बढ़ा है । हत्या के मामले में घटनाएं बढ़ी हैं। हत्या के मामले में जो गिरावट आ रही है कुल मिलाकर लेकिन हम पांच महीने की तुलना किए हैं, 2018 का और 2019 का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं तो इसमें घटना घटी है यानी कुल मिलाकर जो 2018 में पांच महीने में 1252 घटना थी, इस बार पहले पांच महीने में यह घटना बढ़कर 1277 है । यह वृद्धि हुई है लेकिन गिरावट आती रही है । अगर पहले से तुलना करिएगा, 2001 से 2005 के बीच में हत्या का वार्षिक औसत था 3638, घटा 2011 से 2015 के बीच में 3357, 2016 से 2018 के बीच में यह घटकर हुआ है 2772 और अभी हम पांच माह की तुलना किए, इसके आधार पर पूरे वर्ष का नहीं, पांच माह की तुलना करके हम इस बात को ऐडमिट करते हैं । एक-एक चीज के बारे में जो इनके साथ चाहे पुलिस विभाग हो, पुलिस की जो मशीनरी हमलोगों के यहां है या गृह विभाग है उसके साथ जो मीटिंग करते हैं और एक-एक चीज का आंकड़ा उनसे लेते हैं और जो घटनाएं घटती हैं जिसके समाचार प्रकाशित होते हैं उन सब चीजों को देखकर जो हम जानकारी लेते हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसको पूछते हैं तो यह बात सामने आई लेकिन अब इसके बाद हमने कहा इसका विश्लेषण करिए । हत्या के मामले में और बहुत सारे क्राइम के मामले में, अब यह आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो हत्या की घटना होती है, इसमें सबसे बड़ा कारण भूमि विवाद और संपत्ति विवाद, जो मुख्यतः भूखंड से संबंधित है और इसका कारण क्या है ? जमीन की कीमत बढ़ती चली जा रही है,

छोटे-से-छोटे भूखंड की कीमत अब लाखों रूपए में हो गई है । इसलिए दो पक्षों के बीच में विवाद बढ़ रहा है और भूमि विवाद तो जमीन के अभिलेखों में स्पष्टता नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं घटती है । अब आप जान लीजिए, इस चीज को देखते हुए हमने शुरू से ही एनालीसिस किया है । तो यह पाया है हमने ओवरऑल, सब कुछ देखते हुए कि अगर हत्या के बारे में हम देखते हैं तो यह महसूस करते हैं कि साहब, औसतन 60 प्रतिशत हत्या के कांड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि और संपत्ति विवाद के कारण घटित हो रहे हैं, लगभग 60 प्रतिशत के करीब । यह जमीन का विवाद हो, संपत्ति का विवाद हो, इसी के कारण घटनाएं हत्या की ज्यादा घटित हो रही है । तो इसको ध्यान में रखते हुए, अब इसका क्या कीजिएगा, संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है । इतना न ज्यादा आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जा रही है कि जरा टेंडेंसी भी बहुत लोगों का बहुत कुछ बढ़ते चला जाता है । परिवार में भी विवाद बढ़ रहा है । पैसा थोड़े ही है कि कोई दूसरा दूसरे को कर देता है । पारिवारिक भी विवाद हो जाता है । भूमि विवाद को लेकर कहीं तो घटना घट जाती है । अब आपराधिक तत्वों द्वारा विवादित जमीन कम मूल्य में लेने के लिए भी कई प्रकार के अपराध की घटनाएं घटती हैं । तो इस तरह से यह जमीन का जो विवाद है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है हत्या के मामलों में । अब एक ही भूखंड है और कई लोग उसका निबंधन करा लिया है । तो डिस्प्युट रहता है । एक दावा करता है कि यह मेरा जमीन है, एक दावा करता है हमारा जमीन और इसी को ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने क्या किया । चूंकि इसका जो आंकड़ा है वह अपडेट तो कभी होता नहीं रहा है । तो हमलोगों ने क्या तय किया कि पूरे बिहार में नए सिरे से हम सर्वे और सेट्लमेंट का काम करेंगे और वह काम चल रहा है और यह बात हमलोगों के सामने आई, उसके लिए कानून भी सदन ने पारित किया और उसमें एरियल सर्वे, उसके बाद फिर जमीन पर उसको देखना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यह सब काम चल रहा है... क्रमशः ...

टर्न : 26/कृष्ण/18.07.2019

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री (क्रमशः) : यह सब काम चल रहा है और जमीन के वेरीफिकेशन में स्टाफ की कमी थी, उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया हमलोगों ने की है, कर रहे हैं अपना काम । लेकिन जब फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट आ जायेगा उस समय और स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि जमीन किसकी है । लेकिन जो पुराने सर्वे और सेटलमेंट के आधार पर जिसके नाम से जमीन है । अब एक ही जमीन का निबंधन, किस तरह के लोग हैं, कैसी स्थिति है, क्या सिस्टम है, एक ही जमीन को कई लोग निबंधन करा लेते हैं और उसके चलते आपस में होता

है संघर्ष । देखते रहते हैं । हमेशा जो सबसे अधिक चर्चा में खबर आती है, कोई इम्पॉर्टेंट आदमी होता है जिसकी हत्या हो गयी लेकिन उसके बाद छापता ही नहीं है कोई कि आखिर इस हत्या का कारण क्या था । जमीन का विवाद था कि नहीं । सरकार पर आरोप लगा देना आसान है । जरा देखिये तो कोई भी सरकार, कभी भी कोई सरकार बन जायेगी तो क्या यह देख लेगी कि जमीन के विवाद के कारण उनका आपस में विवाद चल रहा है । फिर एक दूसरे की हत्या कर देगा, क्या यह आपको पता चल जायेगा ? तो भूमि विवाद को कम करने के लिये जो किया जा सकता है, वह हमलोग करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ओवर ऑल नये तरीके से सर्वे सेटलमेंट और अभी जितने आंकड़ें हैं तो आप समझ लीजिये क्या किया हमलोगों ने । पहले क्या थी स्थिति ? पारिवारिक बंटवारा भी लोग नहीं करते थे । जमीन दादा जी, परदादा जी के नाम से, जब रजिस्ट्रेशन करायेगा परिवार के बंटवारे में भी उस समय के लिये था कि 8 परसेंट लगेगा तो हमलोगों ने तत्काल ध्यान दे कर के खत्म किया और कहा मात्र 100/-रूपया, सिम्बॉलिक खर्च पर पारिवारिक बंटवारा जमीन का करवा लीजिये तब झंझट नहीं होगा । आपस में बातचीत करके बंटवारा कर लेते हैं और उसमें से एक आदमी बाहर रहने लगता है और दूसरा जो वहीं रहता है तो दूसरे भाई के नाम पर जो है, किसी को बेच दिया । तो कई प्रकार की घटनायें घटती हैं । हमलोगों ने यह सुविधा दे दी भाई, परिवार में आपस में बंटवारा कीजियेगा तो मात्र 100/-रूपया में आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा । यह भी काम किया है ताकि आसानी से पारिवारिक बंटवारा निबंधित हो सके और तात्कालिक प्रभाव से पारिवारिक बंटवारा से संबंधित परिवार के सभी सदस्यों के नाम की प्रविष्टि सभी संबंधित राजस्व अभिलेखों में स्वतः कर दी जायेगी । इससे सम्पत्ति से संबंधित बिक्री होनेवाली भूमि विवादों में कमी आयेगी । हम और भी विचार कर रहे हैं जो हम अंतिम स्टेज पर लागू कराना चाह रहे हैं कि निबंधित सेल डीड के समय विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम होने के बाद ही निबंधन किया जायेगा । आज क्या है निबंधन ? कोई जरूरी नहीं है जमाबंदी उनके नाम से है और निबंधन हो जाता है । अब हमलोग यह कोशिश कर रहे हैं जब जमाबंदी जिसके नाम से होगा तब निबंधन करा सकता है । आज का जो रूल और नियम बना हुआ है जिसके चलते लोगों को इस तरह के धंधेबाजी में मदद मिल जाती है । तो इसका एक-एक चीज का आकलन करके, अब हमलोगों ने कर दिया है निबंधित सेल डीड के समय विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम होने के बाद ही निबंधन किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता

अपनी ही जमीन का बिक्री कर रहा है। इसके पश्चात वही व्यक्ति जमीन विक्रय कर पायेंगे जिनके नाम से जमाबंदी एवं दाखिल-खारिज होगा ।

अब दाखिल-खारिज को भी अद्यतन करने का अभियान चलाया जा रहा है । कोशिश हमलोग कर रहे हैं । ऐसा अभी नहीं कहेंगे कि टोटल ठीक हो गया । ये सब ऐसी चीजें हैं, सब जानते हैं इस राज्य में जो मानसिकता है सब को पता है लेकिन इसमें हमलोग लगे हुये हैं । अब दाखिल-खारिज अभियान चल रहा है, दाखिल-खारिज अद्यतन हो जायेगा तो आप समझ लीजिये भूमि विवाद जनित हिंसा में कमी आ जायेगी ।

हमलोगों ने कर दिया है कि थाना स्तर पर यानी सी0ओ0 और थाना प्रभारी के बीच में सप्ताह में एक दिन मीटिंग ।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं दोनों को मीटिंग करना है । आपको हम बता देते हैं, प्लीज, मैं कहूंगा कि अगर आपको पक्का खबर मिल जाये कि सप्ताह में एक दिन थाना प्रभारी और सी0ओ0 ने मीटिंग नहीं की है, प्लीज, आप सीधे हमको फोन कर दीजिये । स्ट्रेट वे में हमको फोन कर दीजिये, मेरे ऑफिस को फोन कर दीजिये और उसके बाद तत्काल उसकी खबर चली जायेगी और देखेगा कि अगर नहीं किया है तो दोनों को छोड़ेंगे हम ? जब यह नियम बना दिया गया ।

(व्यवधान)

भाई, सुनिये जरा गौर से । हमको कोई एतराज नहीं होगा । हम आपका फिर सुन लेंगे । लेकिन एक बार ग्रहण कर लीजिये । और आपको लगे कि और ऐसा कर देने से बेहतर होगा तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। इसलिये हम कह रहे हैं कि थाना स्तर पर प्रत्येक सप्ताह में एक दिन थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के द्वारा भूमि विवादों की समीक्षा कर समाधान करने का प्रावधान किया गया है । इसका पर्यवेक्षण एस0डी0ओ0 और डी0एस0पी0 के द्वारा और जिला स्तर पर डी0एम0 और एस0पी0 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि भई आप निरंतर करते रहिये, नीचे वह कर रहा है ताकि बहुत सारे डिस्प्यूट के बारे में अगर थाना प्रभारी और सी0ओ0 मिलकर देख लेगा तो बहुत सारी चीजें का समाधान हो जायेगा और उसको मॉनिटर करे एस0डी0ओ0 और डी0एस0पी0/एस0डी0पी0ओ0 और उसके ऊपर डी0एम0 और एस0पी0 । अब यह सब काम करवा रहे हैं किसलिये ? सिर्फ जो भूमि निबंधन, दाखिल-खारिज यह सब जल्दी हो जाय ताकि भूमि विवाद का जैसे ही मामला घटेगा, आप पक्का जानिये कि जैसा हमने पहले कहा कि सबसे बडी संख्या ऐसे मामलों में हो रहा है भूमि विवाद, संपत्ति विवाद और कीमत तो सब चीज का बढ़ गया

है। बता ही रहे हैं । तो आजकल एक ट्रेंड है, मानसिकता है, उसके चलते यह भी हो रहा है ।

अब दूसरी बात है कि लूट के मामले । लूट के मामले में संख्या बढ़ी है । लूट के मामले में जो संख्या बढ़ी 2018 के 5 महीने में 715 और 2019 के 5 महीने में 860 तो लूट की संख्या बढ़ी है । तो लूट में एक कारण जो उसका विश्लेषण करके बाद, हमने विश्लेषण करवाया, हम उसकी चर्चा बाद में करके आपको बतायेंगे कि हमने क्या-क्या करवाया है लोगों से, एक-एक चीज का फिगर निकालिये, उसका विश्लेषण कीजिये, उसपर हम आगे आयेंगे, अभी तो सिर्फ अपराध कौन कितना बढ़ा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ घट गया, केवल उसी की चर्चा नहीं, जो बढ़ गया उसकी चर्चा कर रहे हैं। लूट की संख्या में वृद्धि हुई । अब हुआ क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है और बैंक की शाखायें, पोस्ट ऑफिस, ग्राहक सेवा केन्द्र की संख्या बढ़ी है । नॉन-बैंकिंग फाईनेन्शियल कंपनी तथा माईक्रो फाईनेन्शियल संस्थाओं की पहुंच भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक हो रही है । तो हो क्या रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग नगद राशि के साथ भ्रमणशील होते हैं और जो गड़बड़ करनेवाला है उनकी नजर इन चीजों पर रहती है, देखा कि अकेले जा रहा है तो फट से लूट लिया । तो उसका कारण है कि अब रूरल एरिया में भी इतनी गतिविधियां बढ़ी है, बैंक की शाखायें, पोस्ट ऑफिस, ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से, नॉन-बैंकिंग फाईनेन्शियल कंपनी, माईक्रो फाईनेन्शियल संस्थाओं की पहुंच के कारण । यह जो नगद एक जगह से दूसरे जगह जाने का ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया है तो मान लीजिये कि आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है सुविधायें दी जा रही है तो इसमें कुछ वृद्धि आयी है। विश्लेषण में यही पता चल रहा है । लेकिन इसके चलते क्या हमलोग उसमें कमी ला देंगे । जरूरत तो इस बात की है इसपर नजर रखना, जागरूकता लाना लेकिन घटना जो बढ़ी है । चाहे जितनी आप आलोचना कर दीजिये । लेकिन फैक्ट है कि एक-एक बात को सब को जानना पड़ेगा। यह मत समझिये कि जो विधायक हैं उनकी शिकायत नहीं हो जाती है बेचारे की । सबकी शिकायत हो जाती है । तो नजर तो रखना ही पड़ेगा ।

अब चोरी, इसमें भी वृद्धि हो गयी है । सुनिये न भाई, बाद में बोलियेगा न हम तो कह रहे हैं । बीच में एक बोलने से क्या फायदा है ? सबलोग बोल दिये, कुछ इन्सिडेंट होगा, आप लिखकर भी दीजियेगा, बताईयेगा भी । आप तो मिलते ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं मिलते हैं । हमारे साथ तो सबको मिलने का अधिकार है । ऐसा गड़बड़ मत समझियेगा कि उधर से बहुत नाराज

है । इसलिये मिलियेगा । ऐसी बात नहीं है । सबको अधिकार है मिलने का, मिलते है, अपनी समस्या बताते हैं और मेरा यह कर्त्तव्य है, सबके इलाके की बात को सुनना, सबकी बात जानना । जो भी संभव हो, यथासंभव कार्रवाई करना। लेकिन जरा सुन लीजिये गौर से सुनियेगा ।

चोरी की संख्या में वृद्धि हुई है । हम जो देख रहे थे कि चोरी की संख्या, धीरे-धीरे बढ़ा है, चोरीवाली बात हम देख रहे हैं, अब क्या हुआ है, पिछले साल के 5 महीनों में 12,182 और इस बार 5 महीने में बढ़ कर हो गया है 14,189 चोरी की घटना । अब इसका जब विश्लेषण होता है तो पता चलता है कि 60 प्रतिशत वाहन चोरी के काण्ड प्रतिवेदित हुये हैं । कितना बढ़ गया है? आजकल मोटर साईकिल की संख्या कितनी हो गयी है ? दोपहिया वाहन की संख्या में तो बेतहाशा वृद्धि हुई है । बिहार में ही सबसे ज्यादा मोटर साईकिल की बिक्री हो रही है । पूरे देश के किसी प्रांत में इतनी बिक्री नहीं हो रही है ।

क्रमशः

टर्न-27/अंजनी/दि0 18.07.19

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः... दुपहिया वाहन बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, अब इसके बाद जो प्रतिवेदित हुई है, घटनायें होती है, उसमें देखा गया है कि वाहन चोरी वाली घटनायें सबसे ज्यादे है । अगर कोई मोटर साईकिल पर है और कहीं वह सार्वजनिक स्थान में लगा देता है तो वह पब्लिक प्लेस है न, क्या करेगा वह ? हम एनालिसिस बता रहे हैं, जरा जान लीजिए, सार्वजनिक स्थानों से इसकी चोरी करना आसान है और इन वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था कम होती है । क्या करेगा सुरक्षा व्यवस्था? लगाता है और उसी को लेकर चल देता है और दूसरी चीज देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो कामकाजी लोग हैं, काम के सिलसिले में भ्रमणशील रहते हैं, प्रायः अपना घर बंद करके नौकरी एवं व्यवसाय के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और ऐसे घरों को चोरों के द्वारा लक्षित करना आसान होता है कि कितना दिन से वे घर से बाहर रह रहे हैं । पास-पड़ोस के लोग भी अनभिज्ञ रहते हैं और वह सीधे जाता है, मालूम हो जाता है कि इतना दिन नहीं रहते हैं, सीधे जाकर वह अन्दर-ही-अन्दर चोरी कर रहा है तो चोरी की घटनाओं में जो वृद्धि बता रहे हैं, इसमें दो बात एनालाइसिस में सामने आयी है, एक तो वाहन चोरी, उसमें भी दुपहिया वाहन और दूसरा जो घर से बाहर चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, कोई और काम में निकले रहते हैं, घर में कोई नहीं रहता है, घर बंद रहता है, उसी में चोरी की घटना ज्यादा हुई है । एक है-सामान्य अपहरण, सामान्य अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है, आप जान लीजिए कि सामान्य अपहरण की घटनाओं में

वृद्धि का कारण क्या है ? ये जो बचपन बचाओ आन्दोलन के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में आदेश पारित किया कि गुमशुदा बच्चों के संबंध में भी अपहरण की धाराओं में नियमित प्राथमिकी दर्ज करायी जाये । कोई बच्चा गुमशुदा हो गया, वह अपहरण है या नहीं, उससे मतलब नहीं, गुमशुदा बच्चा है तो उसके मामले में जो आप दर्ज करेंगे केस, उसमें जो अपहरण का भी धारा है, उसको भी नियमित प्राथमिकी में दर्ज की जाती है । अब उसके चलते भी संख्या बढ़ी है । तो इसलिए एक-एक चीजों का विश्लेषण करके हमलोगों ने देखा है तो इस तरह से आप देखियेगा कि कई प्रकार की घटनाओं में कमी, कई प्रकार की घटनाओं में वृद्धि, यह सब चीजें है । अब इसके बारे में क्या किया जाय ? अब हमलोगों ने जो काम शुरू किया है इसके लिए, एक तो पूरा-का-पूरा बिहार में किस तरह के कांड, उसके बारे मैंने बता दिया और उसका एनालिसिस करे, क्या इसका रास्ता निकलेगा, इसके बारे में सोचिए । इन सब चीजों के अलावे हमलोगों ने क्या तय किया - पुलिस ऐक्ट, 2007 हमलोगों ने बनाया, नया पुलिस ऐक्ट, उसमें ही प्रावधान किया गया था कि हर थाने में लॉ एण्ड ऑर्डर का काम और इनवेस्टिगेशन के काम के लिए अलग-अलग टीम रहेगी । अभी क्या होता है थाना में ? जो भी है, वह लॉ एण्ड ऑर्डर को भी देखने के लिए जा रहा है और वही में कहीं क्राइम हो गया तो इनवेस्टिगेशन भी कर रहा है । कोई काम ठीक से होता नहीं है । जितने क्राइम रेकर्डेड होते हैं, एफ0आई0आर0 होता है, इनवेस्टिगेशन जितना तेजी से होता है, नहीं हो पाता है । सब सब काम में लगा रहता है तो हम प्रारम्भ से ही हमने इसके लिए प्रयास किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात बहुत बार मोनिटर किया । हमने अपने यहां के सारे अफसरों को न जाने हर बार जो हम समीक्षा करते हैं, उसमें तेजी लाईए । तो कभी कहा गया कि बहुत पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो कीजिए पोस्ट क्रिएट, सैंक्सन किया । अब तो चाहे दारोगा की बहाली हो या सिपाही की बहाली हो, उसके लिए तो अलग-अलग आयोग बना हुआ है, बहुत तेजी से काम हो रहा है । हमने कहा कि वो करिए और यह बहुत जरूरी है कि कोई भी थाने में कोई दारोगा है और कोई भी एस0आई0 या दूसरे लोग, अगर किसी को टोटल आप जो इनवेस्टीगेट कर रहे हैं, उस काम में लगे रहिए और कुछ लोगों को लॉ एण्ड और्डर के कांड में लगाइए तो इसलिए दोनों का अलग-अलग अनुसंधान इकाई और विधि व्यवस्था इकाई का गठन किया जा रहा है और हमने इस बार लक्ष्य बना दिया है । हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हुआ तो हमलोगों ने एकदम टारगेट रख दिया है कि इस बार का जो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, 2019 तक इसे पूर्णतः लागू किया जायेगा । हर थाने में एक हिस्सा रहेगा पुलिस मेन का, अफसर का, जो करेगा

अनुसंधान और इसमें कर दिया फिफ्टी-फ्टी । आमतौर पर हर थाने में 50 प्रतिशत अनुसंधान के काम में और 50 प्रतिशत लॉ एण्ड ऑर्डर के काम में । लेकिन अगर किसी इलाके में ज्यादा क्राईम का इन्सीडेंस है, जिसमें अनुसंधान की ज्यादा जरूरत है तो आप 75 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं । यानी 75 प्रतिशत लोगों को सिर्फ इनवेस्टिगेशन में लगाइए और बाकी 25 परसेंट लॉ एण्ड और्डर के काम में रहेंगे । इसलिए दोनों काम को अलग करना मैं प्रारंभ से ही समझ रहा हूँ कि बहुत जरूरी है । लेकिन आप जानते हैं पुलिस तंत्र को, किसी भी चीज को इम्पलीमेंट कराने में विलम्ब होता ही है, समय तो लगता ही है, कानून बना हुआ है, सदन ने ही पारित किया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी मोनेटरिंग की जाती है, तब भी देखिए लेकिन अब तो हमने अंतिम रूप से कह दिया है कि इस साल इंडिपेंडेंस-डे के दिन तक ये काम दोनों को, विधि व्यवस्था और अनुसंधान की इकाई अलग-अलग आप वहां पर करिए । अब इसके अलावे विधि व्यवस्था की साधारण ड्यूटी, अब प्रत्येक थाने में थानाध्यक्ष के साथ-साथ अनुसंधान इकाई का सिर्फ एक थाना प्रभारी नहीं, उसके नीचे दो रहेगा । एक अनुसंधान इकाई के प्रभारी के रूप में अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान और विधि व्यवस्था इकाई के रूप में अपर थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था । थानाध्यक्ष उसके नीचे दो अपर थानाध्यक्ष । एक देखेगा अनुसंधान, दूसरा देखेगा विधि व्यवस्था । यह क्लीयर-कट हमलोग करने जा रहे हैं। थाने में पदस्थापित, वह तो हम पहले ही बता चुके हैं और एक इकाई में अगर किसी की ड्युटी लग गयी है अनुसंधान में तो कम-से-कम दो साल तक वही काम करेगा और अगर उसकी ड्यूटी लग गयी है लॉ एण्ड ऑर्डर में, विधि व्यवस्था में तो दो साल तक उसको वही काम करना है और दो-दो वर्ष दोनों के लिए न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित कर दिया है और अच्छी तरह से चले, इसके लिए पूर्व में ही हमलोगों ने पहले बताये कि 7,800 पुलिस पदाधिकारियों के नये पद सृजित कर दिये । अब दूसरी बात है, भई आप सब लोग बोल रहे थे और सब लोग जानते हैं अलग-अलग थाना में क्या स्थिति रहती है, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कैसे उसकी पोस्टिंग में क्या होता है, बताईए न, पता नहीं, यह सब पता चल जाय तो आज कल तो आप लोगों के पास मोबाइल है, कहीं से बातें भी तो जप्त कर लीजिए भाई । उसपर तो क्या-न-क्या हो जायेगा । खैर, आप बोल रहे थे लेकिन आप जान लीजिए, आपको हम बता रहे हैं कि हम क्या करनेवाले हैं । सभी थानाध्यक्ष और अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापन हेतु यानी थाना प्रभारी और उसके अलावे जो होता है, आपका पुलिस निरीक्षक, पुलिस इन्सपेक्टर, स्वच्छ पदाधिकारियों का चयन किया जायेगा और जिन पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही हो, जिनको तीन या उससे अधिक जो डिपार्टमेंटल

सजा मिलती है, वह मिल गयी हो और जिनके विरूद्ध पुलिस द्वारा किसी कांड के अनुसंधान में साक्ष्य पाया गया हो, कोई कांड में अनुसंधान में वे भी हैं साक्ष्य पाया गया हो, जो न्यायालय से किसी कांड में दोषसिद्ध हो, कोर्ट से अगर किसी को दोषी करार दिया गया हो अथवा जिनपर मद्य निषेध के क्रियान्वयन में कोताही अथवा मिलीभगत का आरोप हो । ये पांचों जैसे होंगे, विभागीय कार्रवाई चल रही हो, जिनको डिपार्टमेंटल सजा मिली हो, किसी कांड में, अनुसंधान में साक्ष्य पाया गया है, किसी कांड में दोषी हैं और मद्य निषेध के क्रियान्वयन में कोताही या मिलीभगत का आरोप, अभी आप बोल रहे थे कि थाने से होता है, हमको तो हुआ जरा हम मजाक करें कि अपना अनुभव भी है क्या ? चूंकि यह सब तो रिपोर्ट करना चाहिए । आई0जी0(प्रोहीवीसन) का हमलोगों ने सेंटर स्थापित कर दिया है और आई0जी0(प्रोहीवीसन) को अपने फोन से वहां का नम्बर है, उसपर फोन कर दीजिए, कभी भी आपका नाम नहीं उजागर होगा और अगर जो गड़बड़ कर रहा है, उसके बारे में सिर्फ वहां सूचना दीजिए, तीन घंटा के अन्दर ऐक्शन होगा ।

...क्रमशः ...

टर्न–28/राजेश/18.7.19

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, क्रमशः और आपसे भी कहेगा कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, इसलिए इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिये और जब लागू किये थे, तो आप अलग थोड़े थे.....

अध्यक्षः वे तो बोल ही रहे थे कि हमलोग कसम खाये थे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः ये जो बोल रहे थे और विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी कार्यालयों में विधि–व्यवस्था शाखा स्थापित की जा रही है, विधि व्यवस्था संधारण के लिए वर्ष 2012 में राज्य में दंगा निरोधी बल विकसित करने की कार्रवाई की गयी थी, उसी को जारी रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर बिहार बी0एम0पी0 के तीन वाहिनियों को दंगा निरोधी बटालियन के रुप में विकसित किया जा रहा है, इनको अलग से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है यानी रैपिड एक्शन फोर्स हम केवल सेंट्रल से मॉगेंगे वह नहीं, हम अपने स्टेट के अंदर भी, अब जो विधि–व्यवस्था की बात है, कहीं टेंशन उस तरह का आ गया, तो रैपिड एक्शन फोर्स सिर्फ सेन्ट्रल से तो नहीं मांग सकेंगे हर जगह, इसलिए अपने यहॉ भी इसी तर्ज पर रैपिड एक्शन फोर्स बना रहे हैं, यह आपको कह दिया हमने, विधि–व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो अभी क्राईम की स्थिति है, उसको देखते हुए जो दो तरह का काम हमलोगों को करना है, यह हमलोगों ने शुरु कर दिया है, अब इसके बाद गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण के लिए 43 बड़े पुलिस अनुमंडलों में

अनुमंडल अपर पुलिस अधिकारी के पद सृजन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, हमने थाना के बारे में बता दिया, अब जो एस0डी0पी0ओ0 का ऑफिस है, अनुमंडल पुलिस कार्यालय है, अब वहॉ भी गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण के लिए 43 बड़े पुलिस अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, पुलिस के लिए समय पर घटना पर पहुंचना जरुरी है, इसलिए थानों में एवं अन्य पदाधिकारियों को अच्छी गाड़ी उपलब्ध कराना आवश्यक है, सभी थानों के लिए न्यूनतम दो गाड़ियॉ और रेल थानों के लिए एक वाहन, गाड़ी का मानक बनाया गया है, इसी के अनुसार पिछले वर्ष 2018-19 में पुलिस थानों में कुल 1007 वाहन उपलब्ध कराये गये हैं, इसके अतिरिक्त 135 अन्य विभिन्न प्रकार के वाहनों का क्रय पुलिस के ढांचे का सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये हैं । थानों में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को थ्री नॉट थ्री राईफल की जगह ए0के0-47, इन्सास, एक एम0पी0-फाइव आधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं । राज्य के 384 थाने जिनको अपना भवन नहीं है, उनमें से 202 थानों की भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गयी है और उसके 109 में काम प्रारंभ भी हो गया है, जो शेष 182 भूमिहीन पुलिस थाने हैं, 121 ओ0 पी0 हैं और 5 पुलिस केन्द्र की भूमि उपलब्धता को शीघ्र सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है । सभी डी0एम0 को यह जिम्मेवारी दी गयी है और एस0पी0 को, स्थल चयन की जिम्मेवारी दी गयी है, सरकार की भूमि उपलब्ध है, किसी भी डिपार्टमेंट में हस्तांतरण उसका होगा और प्रमंडलीय आयुक्त को सक्षम माना गया है, उसको वे कर देंगे और रैयत भूमि की अधिग्रहण अथवा किसी दूसरे विभाग की भूमि के हस्तांतरण के लिए नियमतः कार्रवाई की जानी है, शहरी क्षेत्रों में जहॉ खाली भूमि की कमी है, वहॉ सरकार भूमि क्रय करने के लिए भी और कोई निर्मित भवन है, तो उसको खरीदने के लिए भी सरकार तैयार है, अब यह भी पॉलिसी बना लिये हैं, अगर जमीन नहीं है और कोई बिल्डिंग ठीक है, उसको ही खरीदकर हम थाने का बिल्डिंग बना देंगे, यह भी सब कुछ किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है और इस दिशा में कार्रवाई को प्रति सप्ताह विडियो कन्फ्रेंस के माध्यम से अनुश्रवण किया जा रहा है, बार-बार कहा जाता था, अब हर सप्ताह इसकी मोनेटरिंग हो रही है, कि बताइये कि कितना थाना का जमीन मिल गया, कहॉ-कहॉ क्या हुआ, क्या निर्णय लिया, यह मोनेटरिंग अब यहॉ से शुरु की गयी है, यह सब और इसके अलावे, जो भी है पुलिस केन्द्र परिसर अथवा थाना परिसर में बैरक एवं आवासीय भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है और एक बात जान लीजिये, लोग जाते हैं शिकायत करने थाने में, तो कैसे खड़ा रहते हैं, कैसा महसूस करता है, बहुत सा आदमी तो जाना नहीं चाहता है कि बड़ा ही बेईज्जती महसूस करता है, भाई डेमोक्रेसी है,

लोकतंत्र है, तो अब हमलोगों ने क्या तय किया है, पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने वाले सामान्य जनों को सम्मानपूर्वक बैठाया जायेगा एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय, यह हमलोगों की प्राथमिकता है, इसलिए सरकार ने सभी थानों में .....(व्यवधान)

अरे भाई, सुनिये न, अरे भाई दूसरा चीज है, इसको ठीक से सुनिये आप, काहे इधर-उधर ध्यान दे रहे हैं आप, यह करेंगे, यह हम बता रहे हैं, यह करने वाले हैं, अरे भाई करने वाले हैं, इसकी जानकारी नहीं देंगे, इसलिए बता रहे हैं कि थानों में आगन्तुक कक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है और उनके लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा, समझ गये न, पीने का पानी कहीं ऐसा नहीं कि पीना लिखा हुआ है तो कुछ और पीने की बात सोचिये, तो पीने का पानी और बिजली का पंखा भी रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको धूप में बैठा देगा, उनके बैठने के लिए ... .(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रः हुजूर, चाय वगैरह भी रखा जाय ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः यह आपका सुझाव है न । ठीक है, आपका सुझाव है लेकिन अभी है पीने का पानी और उसको बिजली का पंखा ताकि उसको कोई तकलीफ नहीं हो, जो भी शिकायत कराने के लिए जायेगा और इसके लिए सरकार ने 24 करोड़ 20 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है और छः महीने में यह काम पूरा होगा और थाना का प्रबंधन भी बड़ा ही विचित्र रहता है, कभी-कभी तो पता चला है इधर हमको कि मुंशी के रुप चौकीदार को बहुत से लोग यूज करते रहता है, कमाल है थाना का हाल, तो इसलिए अब एक थाना प्रबंधक, थाना के प्रबंधन को देखने के लिए, अब कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसके पूरा मैनेजमेंट के लिए हर पुलिस स्टेशन में एक थाना प्रबंधक का पद हमलोग सृजित कर रहे हैं, अब इसकी जिम्मेवारी होगी थाना की साफ-सफाई, भवन, गाड़ी आदि का संधारण, आगन्तुकों के सहुलियतों का ध्यान रखना इत्यादि, जो ये बोल रहे हैं चाय वाला, वह भी हम देखेंगे लेकिन प्रबंधक आ जायेगा तब न, नहीं तो पता नहीं चाय के चक्कर में क्या पिला दें।

अध्यक्षः ऐसा नहीं कि कहीं चाय पीने के लिए लोग केस करना शुरु कर दें ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः तो खैर । इनका ठीक है, पीने का पानी हमलोग कराये हैं और क्या उसके सम्मान के लिए किया जा सकता है, इसके बाद भाई वीरेन्द्र जी..... (व्यवधान)

जो भी सुझाव आपलोगों का होगा, सब हम करेंगे, अब एक बात जान लीजिये, अनुसंधानकर्ताओं के लिए 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्ष 2018 के दौरान 25 समूहों में लगभग तीन हजार पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किये गये

हैं अनुसंधान के लिए, तो यह अनुसंधान करने का एक नया तरीका भी है, इसलिए इनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पुलिस एकेडमी, राजगीर तो कार्यरत है ही, उसके बारे में हम आगे बता देंगे, अब अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के राशन मनी भत्ता को दिनांक 11.10.2017 के प्रभाव से 2000/- रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, दिनांक 11.10.2017 के प्रभाव से हवलदार, सिपाही, आरक्षी निरीक्षक, आरक्षी अवर निरीक्षक, इन सभी को पोशाक के लिए ड्रेस का पैसा दे रहे थे, उसकी राशि बता दिया, वर्दी भत्ता जो हवलदार या सिपाही थे, उनको 7000/- से बढ़ाकर 10,000/- कर दिया, उसी तरह से अवर निरीक्षक से आरक्षी निरीक्षक तक वाले को बढ़ा करके 4500/- से 11,000/- कर दिया और आरक्षी निरीक्षक, जो बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी थे, उनका 6000/- रुपये से बढ़ाकर 12,000/- कर दिया, यह देख लीजिये, हमलोग पुलिस वाले को कितना ध्यान दे रहे हैं, गाड़ी, हथियार, बिल्डिंग और एक-एक चीज ड्रेस का पैसा, यह सब देखिये, सब चीज हमलोग दे रहे हैं पुलिस वालों को और पुलिस वाले से एक्सपेक्ट क्या है हमको, वह आप सब जानते हैं लेकिन हम सब चीज पहले दे देते हैं कि लीजिये और तब गड़बड़ करेगा, तो हम छोड़ेंगे नहीं, यह हम आगे बताते हैं ।

अब अपराध अंकेक्षण, सार्वजनिक अपराध ।

क्रमशः

टर्न-29/सत्येन्द्र/18-7-19

श्री नीतीश कुमार (क्रमशः): एक और बात जो हमलोग 2015 से दे रहे हैं, ये जो थाना में और पुलिस में लोग काम करते हैं, उनके लिए छुट्टी नहीं के बराबर रहती है इसलिए उनको 12 महीने के अलावे 1 महीने का अतिरिक्त वेतन हमलोग उनको देते हैं और ये हमलोगों ने लागू कर दिया है, मानदेय के रूप में हमलोग एक महीने का वेतन दे रहे हैं । चूंकि उनको बहुत काम करना पड़ता है और कोई छुट्टी नहीं है इसलिए एक महीने का और एक्सट्रा वेतन दे रहे हैं । अब अपराध अंकेक्षण- सर्वाधिक अपराध प्रभावित जिला, अनुमंडल, अंचल एवं थाना का पुलिस मुख्यालय तथा अपराध अनुसंधान विभाग के पदाधिकारी के स्तर पर समीक्षा की गयी है । हमने ही कहा था, देखिये कौन थाना में क्या हो रहा है, थाने के किस एरिया में किस तरह का क्राईम ज्यादा हो रहा है, इसको जबतक आप एनलाईज नहीं करियेगा, आपको कहां क्या करना पड़ेगा, यह नहीं सोच सकते है । ये कहा है, तब ये लोग स्थल पर भ्रमण कर समीक्षा की है और अपराध नियंत्रण हेतु निर्देश दिये गये हैं । क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा पुलिस मुख्यालय के स्तर से वरीय पदाधिकारियों की टीमों को जिलों में भेजकर अपराध अंकेक्षण क्राईम ऑडिट कराया

जा रहा है, जो हमने बतलाया एक एक एरिया के बारे में किस तरह का क्राईम किस एरिया में हो रहा है, कहां पर क्या स्थिति है, इसका पूरा का पूरा अंकेक्षण करने पर ही आप कुछ विशेष पहल कर सकते हैं और थानावार अपराध विश्लेषण जिसकी हमने चर्चा किया, इसके साथ साथ अब जो हम अभी बतला रहे थे, वर्ष 2018 के दौरान गम्भीर अपराध में वृद्धि वाले थानों को चिन्हित किया गया, उन थानों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनुसंधान, उद्भेदन एवं गिरफ्तारी आदि कार्रवाई की गहन समीक्षा कर किया गया, लापरवाह एवं उदासीन 314 पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है । जब सब फैसिलिटी दे रहे हैं लेकिन समय पर अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, तो 314 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, उसी प्रकार 2019 के प्रथम तीमाही के दौरान अपराध वृद्धि वाले थानों को चिन्हित कर 127 लापरवाह और उदासीन पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है । दो दर्जन से अधिक पुलिस उपाधीक्षक, डी0एस0पी0 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इस प्रकार सरकार जहां एक ओर पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हर प्रकार की सुविधाओं और व्यवसायगत जरूरतों को पूरा कर रही है, वहीं कार्य के प्रति लापरवाह एवं उदासीन पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी कर रही है । हमलोगों दोनों काम कर रहे हैं, अब जिसका जिक्र हमने कर दिया, अब इसके बाद जान लीजिये, हम शुरू से कहते हैं पुलिस का गश्ती, पेट्रोलिंग, ये तो हमेशा करना पड़ेगा, इससे लोगों का थोड़ा विश्वास बढ़ता है, सेल्फ कंफिडेंस बढ़ता है, पुलिस की गश्ती नियमित एवं प्रभावकारी तरीके से होनी चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि वरीय अफसरों से पुलिस गश्ती की मोनेटरिंग की जा सके । इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ,पुलिस की सभी गश्ती गाड़ियों में जी0पी0एस0 संयत्र लगाया जा रहा है ताकि इससे हमेशा पता लगता रहेगा कि कौन सी गाड़ी कहां है, पूरे दिन उसने किस इलाके में गश्ती की, कितनी दूरी तय की, कितने स्थानों पर कितने समय के लिए रूकी इत्यादि, इससे अधिक से अधिक अपराध नियंत्रण हो सकेगा । अब ऐसा नहीं कि गश्ती में गया और आराम से वह बैठ गया, गाड़ी कोना में खड़ा हो गया और वह रह गया वहीं पर बैठा हुआ, ये वो नहीं कर सकेगा, जी0पी0एस0से पूरी मोनेटरिंग होगी, इसको जो रूट दिया गया उसमें वह निरंतर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है..

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद कुछ बोलते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्ष: आज आप अकेले हैं क्या ? जब अकेले हैं तो आप शांतिपूर्वक जाईए न ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद सदन से बाहर चले गये)

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्रीः वरीय पदाधिकारियों द्वारा जो हमने कहा सभी गश्ती गाड़ियों के लिए रूट निर्धारित किया गया है जिसमें से कम से कम तीन चार अपराध प्रभावित स्थान चिन्हित हों, पुलिस पदाधिकारी वहां वाहन से उतरकर स्थानीय लोगों से पूछताछ करेंगे, औचक रूप से वाहन चेकिंग की कार्रवाई भी की जायेगी । वरीय पदाधिकारी जैसे पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को नियमित रूप से गश्ती चेक करना है, जिले में प्रत्येक दिन कम से एक पदाधिकारी अलग अलग समय पर गश्ती चेकिंग के लिए निकलते हैं, गश्ती तो लगेगी और गश्ती की चेकिंग करने के लिए उनके हायर पदाधिकारी निकलेंगे । पुलिस के सभी थानों एवं उससे वरीय लोगों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है जिससे अपराध आंकड़ों एवं अन्य अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा, पुलिस तत्परता से जानकारी प्राप्त कर सकेगी, संचार में तीव्रता आयेगी, पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता आयेगी । अक्तूबर 2019 तक राज्य के सभी थानों में इसे लागू कर दिया जायेगा । सभी पुलिस थानों के ..

(व्यवधान)

अरे, एक बात सुन के, यह बड़ा जरूरी बात है, बड़ा इम्पोर्टेंट है । अरे, बाद में अफसोस करियेगा, अरे सुनकर के फिर जाओ न यार । यह बड़ा जरूरी चीज है, सुन लीजिये इसको, उसके बाद जो मन है वह कीजियेगा ।

अध्यक्षः यह जरूरी वाला बात है ?

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः देखिये, सभी पुलिस थानों के, सुन लीजिये गौर से, सभी पुलिस थानों के हाजत में बंद कैदियों के मानवाधिकार का उल्लंघन न हो, इसके लिए सभी हाजत को सी0सी0टी0वी0 कैमरा से अच्छादित किया जा रहा है और सरकार द्वारा 282 करोड़ 26 लाख रू0 मुहैय्या कराया गया है । अब जो मन करे, आप जाईए, अब सब बात सुना दिये ।

(व्यवधान)

महिलाओं के सशक्तीकरण में रूचि नहीं है इसलिए निकल जाईए । अभी हमारा वुमेन इम्पावरमेंट पर अगला चीज है । अगर वुमेन इम्पावरमेंट पर दिलचस्पी नहीं है तो निकल जाईए ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये)

एक बात जान लीजिये, अब राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इसके लिए सभी थानों में शौचालय आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य है । अभी तक 659 थानों में महिला शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 93

थानों में महिला शौचालय के लिए थानाध्यक्ष को राशि भेज दी गयी है, उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जायेगा । इस बारे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग से शौचालय और स्नानागार उपलब्ध नहीं है, उन प्रतिष्ठानों में, थानों में महिला पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का पदस्थापन ही नहीं किया जायेगा । जब तक ये बन नहीं जायेगा, थाना और दूसरे सेंटर में तब तक हम महिला पुलिस को, पुलिकर्मी को वहां नहीं भेजेंगे, यह हो जायेगा और ज्यादातर हो चुका है, कुछ ही बचा है, उसमें यह काम पूरा हो जायेगा लेकिन जबतक पूरा नहीं होगा महिला पुलिस को वहां नहीं भेजेंगे, यह भी काम कर दिये हैं । एक बात और पता नहीं, क्यों भाग गये, सुनते तो उनको अच्छा ही लगता ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचिबद्ध कार्य समाप्त होने तक सदन की कार्यावधि बढ़ायी जाती है ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री, जारी रखें ।

श्री नीतीश कुमार(मुख्यमंत्री): अब राज्य में अनेक ऐसे पुलिस अनुमंडल हैं, जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा है जिनके अधीन थानों की संख्या 10-12 से अधिक है । वहां प्रति माह प्रतिवेदित होने वाले कांडों की संख्या इतनी अधिक है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी न तो कांडों का सही तरीके से पर्यवेक्षण कर पाते हैं और न ही विधि व्यवस्था संधारण में अपना समय दे पाते हैं । साम्प्रदायिक रूप से स्थिति संवेदनशील है तथा व्यवसायिक रूप से यह स्थान महत्वपूर्ण है और जहां व्यवसायियों के सुरक्षा के लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था आवश्यक है, ऐसे 43 पुलिस अनुमंडलों की पहचान की गयी है, इनमें अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पद सृजित किया जा रहा है ताकि पुलिस अनुमंडल कुशलता से कार्य कर सके । दो आदमी रहेगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पायेगा । ऐसे 42 जो पुलिस अनुमंडल है, उसका चयन हमलोग कर चुके हैं और इस पर निरंतर नजर रखे हुए हैं और एक बात और जान लीजिये, ये बहुत इम्पौर्टेंट है, वह यह है कि बिहार में अभी क्या है हेडक्वार्टर, इसके बाद आई0जी0 यानी जोन और तब रेंज डी0आई0जी0 और तब एस0पी0, अब हमने उसको देखकर तय कर दिया है, अब जोन को खत्म कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस कार्यालय के बीच में, एस0पी0 के बीच में सिर्फ एक औफिसर हों और वह सिर्फ रेंज होगा और अब 12 रेंज बना दिया है । हमलोगों ने 12 रेंज और उस 12 रेंज के कुछ रेंज में आई0जी0 रेंक के औफिसर रहेंगे और कुछ रेंज में डी0आई0जी0 रेंक के औफिसर रहेंगे तो एस0पी0 के ऊपर जो कुछ भी देखना है वह एक रेंज के औफिसर, चाहे

वे डी0आई0जी0 हों या आई0जी0 हों, वह देखेंगे और उसका सीधा संबंध होगा पुलिस मुख्यालय से । (क्रमशः)

टर्न-30/मधुप/18.07.2019

... क्रमशः ...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इसके बारे में भी हम बता देना चाहते हैं कि 12 पुलिस रेन्ज की व्यवस्था की गई है । इसमें 5 पुलिस रेन्ज है - पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया एवं पूर्णियां पुलिस रेन्ज में आई0जी0 की पोस्टिंग होगी और 7 रेन्ज - बेतिया, सारण, सहरसा, मुँगेर, शाहाबाद एवं बेगूसराय में एक पुलिस रेन्ज का कार्यालय बनेगा । पुलिस रेन्ज में पुलिस उप महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे, जैसा हमने बता दिया कि बेगूसराय में नया रेन्ज बनाया जा रहा है ।

आबादी के अनुपात में पुलिस बल की संख्या राष्ट्रीय औसत के अनुरूप हो, इसके लिए राज्य सरकार ने 2012 में ही 43 हजार पुलिस महानिरीक्षकों एवं कर्मियों के पदों का सृजन किया । 5 वार्षिक चरणों में इन पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति की जा रही है । नियमित बहाली होना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है । इसमें युवा एवं ऊर्जावान पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा उपलब्ध रहते हैं । 2012 से अबतक 2205 सब इंस्पेक्टर पुलिस अवर निरीक्षक और 23737 सिपाहियों की नियुक्ति की जा चुकी है । नवनियुक्त सिपाहियों में 11 हजार महिलाएँ हैं । अब आप सोच लीजिये, इतना परसेंटेज कहीं नहीं होगा, हमलोग 35 परसेंट रिजर्वेशन दिये हैं । शुरू किया है काम । जितना पुलिस में महिला का प्रतिशत है, शायद इस देश के किसी प्रांत में नहीं है । यह स्थिति हो गई है ।

बिहार पुलिस में 137 पुलिस उपाधीक्षकों की नियुक्ति इस वर्ष की गई है, पदाधिकारियों की बहाली के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं सिपाही तथा समकक्ष कोटि के कर्मियों के लिए केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) गठित है । इनके संयुक्त कार्यालय भवन एवं अन्य संरचना के लिए भवन-कर के लिए, संरचना के लिए राशि की मंजूरी दी जा चुकी है ।

अब इसके अलावे साइबर अपराध - विगत वर्षों में कम्प्युटर, मोबाइल फोन, ए0टी0एम0 एवं क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से होने वाले अपराध में भारी वृद्धि हुई है । आने वाले समय में यह और भी महत्वपूर्ण होगा । इसकी रोकथाम एवं अनुसंधान के लिए पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है । इसके लिए सरकार स्टेट साइबर क्राइम फौरेंसिक लैबोरेटरी-कम-ट्रेनिंग सेन्टर तैयार कर रही है। इस सेन्टर के भवन सहित आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए राशि

की स्वीकृति दी जा चुकी है । प्रत्येक जिला में साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया मोनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है । साइबर क्राइम के अनुसंधान में प्रशिक्षित दस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रत्येक यूनिट में प्रतिनियुक्त किया गया है । पुलिस के आधुनिक हथियारों के अच्छे रख-रखाव के लिए नवीन पुलिस केन्द्र, पटना में केन्द्रीय आयुध कर्मशाला सह प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना को मानव बल एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है । क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर 2015 से कार्यरत है । क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर दिनांक 01 जून, 2019 से कार्यरत कराया गया है । वर्ष 2018 के दौरान सहायक निदेशक एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक की रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है ।

अब यह सब काम हमलोगों ने करा दिया, थाना से लेकर रेन्ज तक के लिए ये सारे काम की जानकारी अब दे दिया । अब बताइये, पुलिस मुख्यालय पहले कहाँ थे, पहले अलग-अलग पटना में जगह-जगह पर अफसरों के ड्युटी के लिए था ऑफिस और यहाँ पर जो हमारा मुख्य सचिवालय है, जिसको लोग ओल्ड सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, उसके एक हिस्सा में डी0जी0पी0 एवं उनके साथ मुख्यालय के बहुत लोग बैठते थे । हमलोगों ने क्या किया ? पटना में एक अलग से भवन बनाया - सरदार पटेल भवन उसका नामकरण हमलोगों ने किया है । उसमें पूरा का पूरा पुलिस मुख्यालय और जितना इधर-उधर ऑफिस था, सबको एक जगह और उसके साथ-साथ वहाँ गृह विभाग का कार्यालय । गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय, ऐसा घर बनाया है कि वहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग भी है । इमरजेंसी सिचुएशन में, इस तरह की बिल्डिंग बनाई गई है, यह पहला ऐसा भूकम्परोधी भवन है जिसमें 9 रिक्टर स्केल पर भी अगर भूकम्प आयेगा तो बिल्डिंग बच जायेगा । अबतक सबसे ज्यादा रिक्टर स्केल का नेपाल का है- 8.4 रेक्टर स्केल । हमलोग पटना में बनाये हैं 9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकम्प आयेगा तो वह बिल्डिंग बचा रहेगा । इस टेक्नॉलोजी से उस बिल्डिंग को बनाया गया है और वहीं पर पुलिस मुख्यालय है, वहीं पर आपदा प्रबंधन का कार्यालय है, गृह विभाग का है । ऐसा बिल्डिंग है वह कि अगर कुछ भी हो गया, आपदा जैसी स्थिति आई तो उसके उपर में हेलीपैड है, तत्काल हेलिकॉप्टर वहाँ पर आयेगा और वहीं से सब जगह का निरीक्षण-निगरानी हो सकेगा । आपदा प्रबंधन के बारे में सारी जानकारी वहाँ उपलब्ध रहेगी । ऐसा हमलोगों ने काम किया है । पुलिस मुख्यालय के लिए जो बिल्डिंग बना है, जरा देख लीजिये, सबलोग उसको ताकते रहता है, देखते रहता है, कैसा सुन्दर बिल्डिंग है ।

हमलोग तो पुलिस के लिए सब काम कर रहे हैं । अब तो यह पुलिस का कर्त्तव्य है न कि राज्य के नागरिकों की वह रक्षा करें, सेवा करें । कौन-सा काम है जो हमलोगों ने नहीं किया है और कौन-सा काम है जो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमलोगों ने तंत्र विकसित नहीं किया है या दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। लेकिन अब कीजियेगा क्या ? भईया लोग, कुछ भी होता है सीधे फेल्योर किसका है, मेरा नामकरण तो एक से एक किया गया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है । मुझको चाहे जो नामकरण कर दीजिये लेकिन जनता को भी आप ठीक से जानते नहीं हैं । जनता का जो भरोसा है, यह सब देख लिये न ! जनता का क्या भरोसा है हमलोगों के काम के प्रति, कोई भी चीज के बारे में। इतना काम जरा हमको बताये कोई, जो क्राइम की रिपोर्ट लिखते हैं । जरा उसका एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं ? एनालिसिस करेंगे या खुद ज्ञानी हैं तो कुछ सुझाव भी तो दीजिये । कोई सुझाव नहीं ! कोई सुझाव नहीं ! सिर्फ इन्सीडेंट का वर्णन और जब बाद में पता चल जाता है कि इन्सीडेंट भूमि विवाद है तो धीरे-धीरे वह खबर कहॉ चला जाता है, पता ही नहीं चलता है । भाई यह तो करना चाहिये । जब घटना के बारे में छापते हैं तो घटनाएँ किस कारण हो रही हैं, अगर वह प्रकाशित होगी, प्रसारित होगी तो लोगों पर इसका असर पड़ेगा । तो लोगों पर असर भी डालना है । सिर्फ असर डालना है, तो आज रात-दिन मेहनत करके जनता की सेवा कर रहा है, मेरे लिए लोगों की सेवा करना ही मेरा धर्म है और हम इस धर्म का पालन कर रहे हैं । लेकिन जरा गौर से देख लीजिये, किस-किस तरह की बातें लिखी जाती हैं, प्रचारित किया जाता है । अब तो आजकल और हो गया है - सोशल मीडिया, उसपर न जाने क्या-क्या चीज छापते रहता है, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो कोई मतलब नहीं है, लोग बताते रहते हैं तो हम कहते हैं कि छोड़िये, काम कीजिये । मेरा और कोई भरोसा नहीं है, हम लोगों की सेवा करते हैं, काम करते हैं । भाई लिखते हैं, स्वतंत्रता है, लेकिन जरा-जरा क्राइम के बारे में जब अनुसंधान होकर जो चीजें आती हैं, उसको भी थोड़ा प्रचारित करियेगा, प्रसारित करियेगा तो लोगों पर असर पड़ेगा । सिर्फ हम एक बार बोलेंगे, कल काहे के लिए छपेगा यह सब ! कुछ नहीं छपना है, वे लोग बहिष्कार किये हैं, नहीं छपेगा । ध्यान से सुन रहे थे, बात यह नहीं छापेंगे लेकिन । हम कितना बात एक-एक कहकर बता रहे हैं, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है । मैं जानता हूँ, मैं स्पष्टता के साथ सदन के अन्दर कह रहा हूँ लेकिन इन सब चीजों के बाद मेरा कोई एतराज नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है । जो चाहें, वह लिखें, जो चाहें वह प्रचारित करें, जो चाहें प्रसारित करें लेकिन हम तो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आप चाहे जो भी लिखिये, हमलोग एक-एक चीज करेंगे ।

आप जान लीजिये, अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से सेफ सिटी सर्विलियंस परियोजना लागू की जा रही है । प्रथम चरण में पटना जिले के सभी संवेदनशील स्थानों को सी0सी0टी0वी0 से आच्छादित कर दिया जायेगा । इससे महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध, सभी प्रकार के व्यवसायिक अपराध, ट्रैफिक प्रबंधन, विधि-व्यवस्था का प्रबंधन इत्यादि बेहतर हो पायेगा । सरकार ने जो पैसा देना है, वह दे दिया है और इसके बाद सभी जिलों में इसका विस्तार किया जायेगा । यह हमलोगों की मंशा है, कोशिश है और हमलोगों ने जो पुलिस एकेडमी बनाया है, हम सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अब दूसरे जगह के लोग आकर देख रहे हैं। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जरा पुलिस एकेडमी का देख लीजिये, आगे का फोटो कोई देखता है तो कभी-कभी उसको कंफ्यूजन होता है कि कहीं व्हाइट हाउस तो नहीं देख रहे हैं ! देख लीजिये सरदार पटेल भवन, जो पुलिस मुख्यालय है और पुलिस एकेडमी राजगीर में जाकर देख लीजिये।

..क्रमशः ...

टर्न-31/आजाद/18.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम तो पुलिस के लिए सब काम कर रहे हैं । लेकिन मेरी एक ही अपेक्षा है कि कुछ तो करोगे भाई, यह तो नहीं कह सकोगे कि हमको यह दिक्कत है, वह दिक्कत है, हम एक-एक बात बता दिये । अब इसके बाद घचपच करेंगे, दिक्कत करेंगे तो जायेंगे और हमने बता दिया है कि थानों में किनकी बहाली होगी, जिनपर ये पाँच चीज जो हम जोड़कर के बता दिया है, उसमें कोई रहेगा, वह थाना प्रभारी नहीं बनेगा और यह भी कर दिया है कि जिसके इलाके में क्राईम है और शराबबंदी लागू किया, सब शपथ किये हुए है लेकिन फिर भी उसके इलाके में शराब का धंधा चल रहा है, भाई उनको तो कम से कम 10 साल के लिए थाना में पोस्टिंग नहीं होगी, यह सब हमलोग कोशिश कर रहे हैं । और क्या करें बताईए, कुछ सुझाव दीजिए । चाहे वे विपक्ष के लोग हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे पत्रकार बन्धु हों, कुछ सुझाव भी तो दीजिए । जितना हमको बुद्धि काम करता है, जो विश्लेषण किया, जो एनालाइसिस किया, उसके आधार पर जो-जो करना चाहिए, वह हम कर रहे हैं । लेकिन कोई जरूरी है कि हमको ही बुद्धि है, बाकी आप सबलोग ज्यादा बुद्धिमान हैं । आप सोचकर बताईए कि और क्या किया जाना चाहिए। मैं दोबारा कहूँगा कि यह कोई सोचता हो, यह मानव की जो प्रजाति है, आप सभी का स्वभाव क्या एक तरह का है ? सब अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं,

कई तरह के स्वभाव के लोग होते हैं तो आप सोचियेगा कि हम सबको ठीक ही कर देंगे, यह संभव है ? उद्देश्य रखना सही है लेकिन हमारे इस उद्देश्य से हम सब कुछ ठीक कर देंगे, कोई दावा कर सकता है क्या ? मैं दूसरी बार कह रहा हूँ कि उसको नियंत्रित करने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए, अपराध की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास करने की जरूरत है । एक तो लोगों के बीच में वातावरण, एक तो जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, उनके लिए सब तरह की ट्रेनिंग और सुविधा, यह सब एक-एक चीज सोच रहे हैं । इसके अलावे और भी जितना कुछ होगा, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस एकेडमी बन गया है, 137 पुलिस उपाधीक्षक और 1889 अवर निरीक्षक सहित लगभग 2200 पदाधिकारियों का वर्तमान में वहां प्रशिक्षण चल रहा है । पहले प्रशिक्षण का कोई तंत्र नहीं था और हमने आदेश दे दिया है कि अभी 8 जगह पुलिस का प्रशिक्षण हो रहा है और एक वहां पर भी 4000 पुलिस के प्रशिक्षण के लिए उसमें और भी स्ट्रक्चर बनाकर के वहां भी प्रशिक्षण का काम हो, यह हमलोगों ने तय कर दिया है । आज रिजनल ट्रेनिंग सेंटर 8 जो हमने बताया, जिसमें 8000 सिपाहियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । विभिन्न सैन्य पुलिस वाहिनियों में और पुलिस केन्द्रों में 9000 से अधिक सिपाहियों का विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है । इसमें सिपाही से हवलदार की प्रौन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और नवनियुक्त सिपाहियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण शामिल किया गया है तो एक-एक काम पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके प्रोपर ट्रेनिंग के लिए, क्राईम कंट्रोल के लिए, विधि-व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने के लिए जो भी संभव हमलोग हिसाब से है, उसको कर रहे हैं । मैं पुनः इसको दोहराना चाहता हूँ कि जिनके मन में जो भी विचार आये, वे जरूर बताये ताकि उसपर भी गौर करके हमलोग कोशिश करेंगे कि वह क्रियान्वित हो ताकि धीरे-धीरे, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति पहले से बेहतर है , इसमें कोई शक नहीं है । कोई भूल जाते हैं कि आबादी कितनी बढ़ी है, अर्थ-व्यवस्था बेहतर हो रही है, कई तरह की बातें हो रही है, इन सब चीजों पर गौर करना चाहिए हमलोग तो हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं ।

एक बात जो बार-बार यहां उठता है, गृह विभाग में कब्रिस्तान की घेराबंदी, भाई कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए 2006 में हमलोगों ने सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण कराकर देख लिया । कई बार हम इस बात को हाऊस में बता चुके हैं । आज भी हम बता देना चाहते हैं । 8064 कब्रिस्तान को चिन्हित किया गया, जहां पर यह हो सकता है कि कब्रिस्तान में अगल-बगल ऐसी स्थिति है कि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, ऐसे कब्रिस्तानों को चिन्हित कर लिया गया है ।

अब इसमें वो कब्रिस्तान शामिल नहीं है जहां किसी प्रकार का विवाद की संभावना नहीं है । जहां एक ही कॉम्युनिटी का पोपुलेशन है उस बीच में, इसलिए उसका नहीं है, हमने चयन ही किया 2006 में यह तय किया तो हमने चयन करवाया कि आप वैसे कन्ट्रोवर्सियल और जो साम्प्रदायिक रूप से विवाद होता था, उसमें हमने विश्लेषण किया, उसमें एक प्रमुख विवाद का कारण कब्रिस्तान था । कब्रिस्तान के अगल-बगल में झंझट होता है, इसलिए हमलोगों ने कहा कि कब्रिस्तान के जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, उसी समय हमने तय किया कि सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी, वैसों कब्रिस्तानों को चिन्हित कर लीजिए । चिन्हित हो गया 8064 कब्रिस्तान और उसकी घेराबंदी 6003 की पूरी हो गई, 1318 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य प्रगति पर है । यानी कुल मिलाकर 8064 में से 7321 हो गया है या काम चल रहा है । अब हमने यह तय कर दिया है कि अब जो चिन्हित कब्रिस्तान 8064 इसकी घेराबंदी का काम पूरा 2020 तक कर दिया जायेगा और उन कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए डी0एम0 और एस0पी0 को अधिकार दिया गया कि जिसको आप प्रायोरिटी देना चाहे अपने जिले में, आप सोचकर के प्रायोरिटी दीजिए लेकिन अब सबको कर देना है । चूँकि अब थोड़ा बचा है तो यह सबको चिन्हित करके कर दिया जायेगा और इसके लिए जो आवश्यक राशि है, वह सब और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में भी यह शामिल हो गया है । हमारे कई माननीय सदस्य कहते रहते हैं कि भाई हमलोगों को दिया है तो हमलोग कहीं भी घेरवा देंगे लेकिन वह बाद में करियेगा । पहले 8064 का घेराबंदी करवा लीजिए और तब वैसे जब कोई काम होने लगता है तो सबका एक्सप्रेशन नहीं है, हमलोग हर गांव तक सड़क बनवा रहे हैं तो जिस गांव का सड़क बन जाता है तो वह नहीं कहता है कि मेरे इस गांव से उस गांव को जोड़ दीजिए तो यह तो एक्सप्रेशन है । कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है तो सबको लगेगा कि यह भी कब्रिस्तान घेर दीजिए । अरे वो कब्रिस्तान चिन्हित है इसलिए उनकी घेराबंदी पहले पूरी हो जाय तब आगे के बारे में सोचिए ।

दूसरी चीज बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना का भी प्रगति प्रतिवेदन हम रखना चाहते हैं । हमलोगों ने मंदिरों में देखा, आये दिन न्यूज छपता रहता था कि वहां से मूर्त्ति की चोरी कोई कर ले रहा है, किसी तरह का है, अब उसकी कोई घेराबंदी नहीं थी तो हमलोगों ने इसका भी अध्ययन और आकलन किया और कहा कि ऐसे मंदिरों की चहारदिवारी का निर्माण होना चाहिए । हमलोग तो इतना मदद कर सकते हैं कि अगर हम चहारदिवारी बनवा देंगे तो चोरी करने वाले को घुसने में और निकलने में दस तरह का झंझट, एक ही न गेट रहेगा तो दिक्कत हो गया । नहीं तो कहीं से कहीं चला जाता था अन्दर से और लेकर चला

जाता था और बहुत पुरानी-पुरानी मूर्त्तियां हैं और आप जानते हैं कि यह भी एक धंधा है तो इसलिए मंदिरों की रक्षा के लिए, मंदिरों के चहारदिवारी निर्माण की योजना की गई । अब इसमें दो ही बात शुरू में रखी गई कि 60 साल का मंदिर हो, पुराना मंदिर हो और उसके बाद ऐसे मंदिर हों जिसके निर्माण से पर्यटन की संभावना बढ़ती है । यानी 60 साल वाला तो एक है, उससे कम भी है लेकिन पर्यटन की संभावना बढ़ रही है, वैसे मंदिरों को और ऐसे मंदिर जहॉ विधि-व्यवस्था या सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, हम जैसे कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वैसे ही किसी मंदिर को लेकर इस तरह का कोई मामला है तो वैसे सब मंदिर को चयनित करके, लेकिन एक बात हमलोगों ने कहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन जरूर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से होना चाहिये । धार्मिक न्यास पर्षद को यह अधिकार है कि सारे मंदिरों का वह रजिस्ट्रेशन जो करवा लेते हैं तो उसपर उनकी नजर होती है । तो इन सबको प्रेरित करिये कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से । धार्मिक न्यास पर्षद से रजिस्टर्ड हो और यह जो तीन बात हमने बताई, या तो 60 साल या फिर वहॉ पर्यटन की संभावना हो और तीसरा, किसी प्रकार का कोई विवाद हो, अगर जरा भी मन में खतरा हो तो उसको देखते हुये ऐसे मंदिरों के चहारदिवारी के निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया है । हर जिले में डी0एम0 और एस0पी0 को इसके लिए जिम्मेवारी दी गई है कि आप इन मंदिरों का चयन करिये और उसकी घेराबंदी की राशि राज्य सरकार दे रही है, वह घेराबंदी हो रहा है । अबतक 500 ऐसे मंदिरों का चयन हो गया और 260 में योजनाएँ पूर्ण भी हो चुकी हैं, बाकी में काम चल रहा है । बाकी सारे मंदिरों का चयन भी हो रहा है । तो चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मंदिर चहारदिवारी निर्माण की योजना हो, हमलोग सब चीज के लिए, एक-एक चीज के लिए प्रयत्नशील हैं । उसका कारण सबसे बड़ा है कि लोगों की संवेदनशीलता को समझना चाहिए और समाज में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, आपस में कोई कटुता पैदा नहीं हो, तो इन सब चीजों को देखते हुये हमलोग इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं ।

इसलिये आज जो भी स्थिति है बिहार की और जैसा हमने पहले कह दिया है, हमलोगों की प्रतिबद्धता है और काम कर रहे हैं । जितनी बातें हो रही हैं और हमने कभी इस बात को डिनाय नहीं किया है, अगर किसी मामले में अपराध में वृद्धि हुई है, उसको खुद कह रहे हैं और उसके कारण बता रहे हैं कुछ हद तक और उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, यह भी हमने बता दिया है । इसलिये हमलोगों की कोशिश जारी है और यह कोशिश हमेशा रहेगी, इसके लिए हमलोगों की प्रतिबद्धता है । समाज में शांति का, प्रेम का, सद्भावना का वातावरण

रहे, लोगों का मनोबल ऊंचा हो, अपराध में कमी आये, कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे और किसी भी राज्य की पहली जिम्मेवारी है संविधान के मुताबिक पब्लिक ऑर्डर, यह राज्य की जिम्मेवारी है ।

...क्रमशः.....

टर्न-32/शंभु/18.07.19

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः..... इसलिए हमलोगों की प्रतिबद्धता है कि हर प्रकार से एक जो सामाजिक स्थिति है वह पूरे तौर पर ठीक रहे उसके लिए हमलोग प्रतिबद्धता पर काम करते हैं और जिन बातों का जिक्र मुझे करना था मैंने कर दिया है । इसलिए अब इतना ही कहते हुए आपकी इजाजत से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दीजिएगा विनय जी, अभी क्या सुझाव दीजिएगा? आप दे दीजिएगा न इनको अलग से ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 109,68,58,44,000/- (एक सौ नौ अरब अड़सठ करोड़ अन्ठावन लाख चौवालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगों का मुखबन्ध होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''31 मार्च, 2020 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए :-

मांग सं0-2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 9,53,25,30,000/-(नौ अरब तिरपन करोड़ पचीस लाख तीस हजार)रूपये

मांग सं0-4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 4,91,81,52,000/-(चार अरब इक्यानवे करोड़ इक्यासी लाख बावन हजार)रूपये

मांग सं0-6 निर्वाचन विभाग के संबंध में 5,36,51,33,000/-(पॉच अरब छत्तीस करोड़ इक्यावन लाख तैंतीस हजार)रूपये

मांग सं0-7 निगरानी विभाग के संबंध में 44,70,06,000/-(चौवालीस करोड़ सत्तर लाख छः हजार)रूपये

मांग सं0-8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,55,18,73,000/-(एक अरब पचपन करोड़ अठारह लाख तिहत्तर हजार)रूपये

मांग सं0-11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 16,03,15,07,000/-(सोलह अरब तीन करोड़ पन्द्रह लाख सात हजार)रूपये

मांग सं0-12 वित्त विभाग के संबंध में 11,74,92,77,000/-(ग्यारह अरब चौहत्तर करोड़ बानवे लाख सतहत्तर हजार)रूपये

मांग सं0-15 पेंशन के संबंध में 184,43,71,12,000/-(एक सौ चौरासी अरब तैंतालीस करोड़ एकहत्तर लाख बारह हजार)रूपये

मांग सं0-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 122,06,30,76,000/-(एक सौ बाइस अरब छः करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार)रूपये

मांग सं0-17 वाणिज्यकर विभाग के संबंध में 1,61,83,02,000/-(एक अरब एकसठ करोड़ तेरासी लाख दो हजार)रूपये

मांग सं0-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 13,97,79,67,000/-(तेरह अरब सन्तानवे करोड़ उनासी लाख सड़सठ हजार)रूपये

मांग सं0-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 5,01,77,26,000/-(पांच अरब एक करोड़ सतहत्तर लाख छब्बीस हजार)रूपये

मांग सं0-23 उद्योग विभाग के संबंध में 8,21,39,25,000/-(आठ अरब इक्कीस करोड़ उनचालीस लाख पच्चीस हजार)रूपये

मांग सं0-24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के संबंध में 2,38,31,86,000/-(दो अरब अड़तीस करोड़ एकतीस लाख छियासी हजार)रूपये

मांग सं0-25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,68,99,83,000/-(दो अरब अड़सठ करोड़ निनानवे लाख तिरासी हजार)रूपये

मांग सं0–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 7,97,51,34,000/–(सात अरब सन्तानवे करोड़ इक्यावन लाख चौंतीस हजार)रूपये

मांग सं0–27 विधि विभाग के संबंध में 9,90,28,31,000/–(नौ अरब नब्बे करोड़ अठाइस लाख एकतीस हजार)रूपये

मांग सं0–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 51,87,96,000/–(इक्यावन करोड़ सतासी लाख छियानवे हजार)रूपये

मांग सं0–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 4,59,09,62,000/–(चार अरब उनसठ करोड़ नौ लाख बासठ हजार)रूपये

मांग सं0–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 2,00,00,000/–(दो करोड़) रूपये

मांग सं0–32 विधान मंडल के संबंध में 2,07,49,81,000/–(दो अरब सात करोड़ उनचास लाख इक्यासी हजार)रूपये

मांग सं0–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 7,20,77,99,000/–(सात अरब बीस करोड़ सतहत्तर लाख निनानवे हजार)रूपये

मांग सं0–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 24,88,94,90,000/–(चौबीस अरब अठासी करोड़ चौरानवे लाख नब्बे हजार)रूपये

मांग सं0–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 36,84,18,17,000/–(छत्तीस अरब चौरासी करोड़ अठारह लाख सत्रह हजार)रूपये

मांग सं0–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 109,17,96,62,000/–(एक सौ नौ अरब सत्रह करोड़ छियानवे लाख बासठ हजार)रूपये

मांग सं0–38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 2,37,40,94,000/–(दो अरब सैंतीस करोड़ चालीस लाख चौरानवे हजार)रूपये

मांग सं0–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 48,90,55,75,000/–(अड़तालीस अरब नब्बे करोड़ पचपन लाख पचहत्तर हजार)रूपये

मांग सं0–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 8,86,80,20,000/–(आठ अरब छियासी करोड़ अस्सी लाख बीस हजार)रूपये

मांग सं0–43 विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के संबंध में 2,78,71,98,000/–(दो अरब अठहत्तर करोड़ एकहत्तर लाख अनठानवे हजार)रूपये

मांग सं0–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 15,15,53,99,000/–(पंद्रह अरब पंद्रह करोड़ तिरपन लाख निनानवे हजार)रूपये

मांग सं0–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 2,17,51,83,000/–(दो अरब सत्रह करोड़ इक्यावन लाख तिरासी हजार)रूपये

मांग सं0–46 पर्यटन विभाग के संबंध में 2,98,09,37,000/–(दो अरब अनठानवे करोड़ नौ लाख सैंतीस हजार)रूपये

मांग सं0-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 7,38,19,46,000/-(सात अरब अड़तीस करोड़ उन्नीस लाख छियालीस हजार)रूपये

मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 70,37,73,07,000/-(सत्तर अरब सैंतीस करोड़ तिहत्तर लाख सात हजार)रूपये

से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

टर्न-33/ज्योति/18-07-2019

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 18 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 44 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनॉक 19 जुलाई, 2019 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।